# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 श्रावण, 1926 शकाब्द

संख्या 239/क

राँची, वृहस्पतिवार 29 जुलाई, 2004


## खान एवं भूतत्व विभाग

---

### अधिसूचना

26 जुलाई, 2004

संख्या 12/2002-936/एम०--खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 का प्रतिपादन करते हैं ।

यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,<br>
हीरा लाल राम बिहारी,<br>
सरकार के उप सचिव ।

## अध्याय - 1

1. लघु शीर्षक विस्तार तथा प्रारम्भ :-

(1) इन नियमों को "झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004" कहा जाएगा ।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह नियम झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. परिभाषा :-

(क) यदि सन्दर्भ की आवश्यकता भिन्न नहीं हो तो इन नियमों में -

(1) 'अधिनियम' का अर्थ है - खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 67)

(2) अपीलीय 'प्राधिकारी' का अर्थ सरकार अथवा कोई प्राधिकारी जिसको सरकार ने ऐसा करने के लिए शक्ति प्रदान की हो ।

(3) 'करदाता' का अर्थ है वह व्यक्ति, जिसके पास खनन का पट्टा है अथवा अल्पावधि अनुमति पत्र है तथा, इसमें ऐसे कोई भी व्यक्ति शामिल है जिन्होंने खनन किया है, निष्कासन किया है अथवा व्यवहार किया है अथवा खनन कर रहे हैं, निष्कासन कर रहे हैं, संधारण कर रहे है अथवा लघु खनिज या खनिजों का उपयोग करे रहे हैं ।

(4) 'समाहर्त्ता' का अर्थ है किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य प्रभारी पदाधिकारी अथवा इन नियमों के अधीन समाहर्त्ता के दायित्वों का निष्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदत कोई अन्य पदाधिकारी ।

(5) "सक्षम पदाधिकारी" का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला/सहायक खनन पदाधिकारी ।

(6) के अधीन दायित्वों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा उस कार्य के लिए प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी ।

(7) "प्रमंडलीय आयुक्त" का अर्थ है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रमंडल के आयुक्त ।

(8) "खान निदेशक" का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक, खान ।

(9) "खान अपर निदेशक" का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपर निदेशक, खान ।

(10) "खान उप निदेशक" का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उप निदेशक, खान ।

(11) "कर निर्धारण प्राधिकारी" का अर्थ है सक्षम पदाधिकारी तथा इसमें शामिल है- निदेशक, खान, अपर निदेशक, खान, उप निदेशक, खान, जिला खनन पदाधिकारी, सहायक खनन पदाधिकारी तथा इस सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी ।

(12) कर निर्धारण वर्ष का अर्थ है पट्टा के प्रारम्भ होने की तारीख से प्रारम्भ होने वाला कैलेंडर वर्ष ।

(13) "जिला खनन पदाधिकारी" तथा "सहायक खनन पदाधिकारी" का अर्थ है क्रमशः खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड के पदाधिकारी जिसका उन क्षेत्रों पर क्षेत्राधिकार समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो ।

(14) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है सरकार अथवा इन नियमों के प्रावधानों के अनुपालन हेतु सरकार के द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी ।

(15) "नियत लगान" का अर्थ है एक खनन पट्टे के अन्तर्गत अनुबंध के नियमों के तहत प्रति वर्ष भुगतेय स्वामिस्व की न्यूनतम प्रत्याभूत राशि ।

(16) 'व्यापारी' का अर्थ है कोई व्यक्ति जो खनिजों के खरीदने, बेचने अथवा वितरण या प्रसंस्करण करने का प्रत्यक्ष रूप से अथवा अन्यथा रोकड़ के लिए अथवा विलम्बित भुगतान के लिए अथवा कमीशन के लिए, पारिश्रमिक के लिए अथवा अन्य मूल्य प्राप्ति के लिए व्यापार करता हो ।

(17) 'विभाग' का अर्थ है, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार ।

(18) 'उत्खनन' का अर्थ है, खोदना और/अथवा किसी भूमि से लघु खनिजों का संग्रह करना ।

(19) "अतिरिक्त स्वामिस्व संग्रह संविदा" का अर्थ है, संविदा के अन्तर्गत खनन पट्टा या पट्टों के धारक से सरकार की ओर से नियत वार्षिक लगान के लिए अतिरिक्त स्वामिस्व संग्रहण के लिए एक दिए हुए क्षेत्र में एक विशेष खनिज अथवा खनिजों के लिए स्वामिस्व संग्रह करने की संविदा जिसके अनुसार संवेदक सरकार को, संविदा की शर्तों के अनुरूप वार्षिक आय से निश्चित की गई राशि का भुगतान करेंगे ।

(20) 'खनिज' का अर्थ है खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 3 के खण्ड 'ई' में परिभाषित लघु खनिज ।

(21) 'प्रपत्र' का अर्थ है इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र ।

(22) 'सरकार' का अर्थ है झारखण्ड राज्य सरकार ।

(23) "खान निरीक्षक" का अर्थ है और इसमें शामिल है खान निरीक्षक अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी जिसका क्षेत्राधिकार समय-समय पर जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो ।

(24) "खुली खान अनुमति पत्र" का अर्थ है एक विशेष क्षेत्र में, एक विशेष निश्चित मात्रा में किसी लघु खनिज के निष्कासन अथवा उठाव के लिए इन नियमों के अन्तर्गत दिया गया अनुमति पत्र ।

(25) 'स्वामिस्व' का अर्थ है, किसी भूमि से उत्खनन किए गए, हटाए गए अथवा उपयोग किए गए अयस्कों अथवा खनिजों के लिए राज्य सरकार को भुगतेय राशि ।

(26) 'व्यक्ति' का अर्थ है, व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, एक संगठन अथवा व्यक्तियों का निकाय, एक संस्थान अथवा राज्य अथवा केन्द्र सरकार का विभाग ।

(27) 'स्वामिस्व संग्रह संविदा' का अर्थ है, जैसे खुली खान अनुमति पत्र धारकों से, सरकार की ओर से, अनुमति शुल्क के साथ समय अथवा इसके बिना, जैसा भी मामला हो किसी विशेष खनिज अथवा खनिजों के स्वामिस्व संग्रह करने की संविदा, जो लघु खनिजों का उत्खनन संविदा के अन्तर्गत निर्धारित की गई भूमि से करते है एवं संविदा की शर्तों के अनुरूप सरकार को एक निश्चित की गई राशि के भुगतान करने का बचन देते हैं ।

(28) 'अनुसूची' का अर्थ है इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची ।

(ख) इन नियमों के अन्तर्गत उपयोग किए गए, किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं उद्धरणों का वही अर्थ होगा जो उनके लिए अधिनियम तथा अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत सरकार द्वारा बनाए गए खनिज समनुदान नियमावली, 1960 में है बशर्ते इन नियमों में जहाँ भी 'खनिज' शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसका अर्थ "लघु खनिज" होगा ।

3. नियमों के अनुप्रयोग की सीमाएँ-

किसी केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों अथवा विनियमन अथवा नियमों को जो खान एवं खनिजों के विकास तथा विनियमन के लिए अथवा इन खानों में कार्य करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए है अथवा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के प्रावधानों के तहत किए गए किसी कार्य अथवा की गई कारवाई को यह नियम प्रभावित नहीं करेंगे ।

## अध्याय - 2

## खनन कार्य पर सामान्य प्रतिबंध

4. अनुमति पत्र अथवा खनन पट्टा के बिना खनन कार्य का निषेध-

(1) खुली खान अनुमति पत्र की शर्तों के अनुसार अथवा जैसा मामला हो, खनन पट्टा जो इन नियमों के अन्तर्गत दिया गया हो, के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में, कोई भी व्यक्ति खनन कार्य नहीं करेगा ।

वशर्ते कि इन नियमों के प्रारम्भण के पूर्व दिए गए खनन पट्टों अथवा खुली खान अनुमति पत्र के शर्तों के अनुरूप किसी क्षेत्र में किया गया कोई खनन अथवा खुली खान कार्य इस उप नियम को प्रभावित नहीं करता है ।

(2) इन नियमों के प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से कोई खुली खान अनुमति पत्र अथवा खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।

5. खुली खान अनुमति पत्र अथवा खनन पट्टा स्वीकृत करने पर प्रतिबंध:-

(1) बिना सरकार के पूर्वानुमोदन के ऐसी किसी भी व्यक्ति को खुली खान अनुमति पत्र अथवा खनन पट्टा निर्गत नहीं किया जायगा जो भारतीय नागरिक नहीं है ।

(2) बिना सरकार के पूर्वानुमोदन के, ऐसी किसी भी भूमि पर जिसे सरकार ने अपने उपयोग के लिए स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी जनहित अथवा विशेष उद्देश्य के लिए सुरक्षित भूमि के रूप में अधिसूचित किया है, खुली खान अनुमति पत्र अथवा खनन पट्टा निर्गत नहीं किया जायगा ।

(3) बिना केन्द्र सरकार का पूर्वानुमोदन के सुरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्रों में कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायगा।

(4) अनुसूचित क्षेत्रों में संबंधित ग्राम सभा अथवा समुचित पंचायत स्तर की पूर्व संस्तुति के बिना लघु खनिज का कोई खनन पट्टा अथवा खुली खान अनुमति पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा ।

6. अधिकतम क्षेत्र जिसके लिए खनन पट्टा दिया जा सकता है अथवा नवीकृत किया जा सकता है- राज्य में कोई भी व्यक्ति 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का, लघु खनिज का एक अथवा एक से अधिक खनन पट्टा नहीं प्राप्त कर सकता है ।

वशर्ते कि राज्य सरकार का यह विचार हो कि खनिज के विकास की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है, राज्य सरकार उपर्युक्त अधिकतम सीमा से अधिक क्षेत्रफल के लिए कारण को अंकित करते हुए किसी व्यक्ति को एक या एकाधिक खनन पट्टा के लिए अनुमति पत्र दे सकती है ।

7. अवधि जिसके लिए खनन पट्टा दिया जाएगा अथवा नवीकृत किया जाएगा - वह अवधि जिसके लिए एक खनन पट्टा दिया जाएगा अथवा नवीकृत किया जाएगा सामान्यतः दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी ।

8. पट्टा क्षेत्र का एक संहत भूखण्ड होना - खनन पट्टा के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र एक संहत खण्ड होगा तथा प्रत्येक संहतभूखण्ड के लिए खनन पट्टा निर्गत करने हेतु अलग-अलग आवेदन देना होगा ।

## अध्याय - 3

## खनन पट्टा स्वीकृत करना

9. खनन पट्टा स्वीकृत करने हेतु आवेदन :-

(1) (क) ग्रेनाइट को छोड़ कर अन्य खनन पट्टा समाहर्त्ता द्वारा स्वीकृत किया जाएगा ।

(ख) ग्रेनाइट का खनन पट्टा अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाएगी ।

(2) किसी भूमि में खनन पट्टा के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम अधिकारी अथवा यथा 1 क में वर्णित स्वीकृति अधिनियम द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रपत्र 'ए' में दिया जाएगा ।

(3) खनन पट्टा के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ संलग्न होंगे ।

(क) आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का तीन फोटोग्राफ ।

(ख) आवेदक के वर्त्तमान एवं स्थायी पता की सम्पुष्टी के संबंध में दस्तावेज ।

(4) प्रत्येक आवेदन के साथ पांच हजार रुपये 5000/- आवेदन शुल्क के रूप में तथा जिस भूमि में खनन पट्टा के लिए आवेदन दिया जाना है, उसका विस्तृत ब्योरा और जहाँ आवश्यकता हो, खतियान के आवश्यक अंश की अभिप्रमाणित प्रति या प्रतियाँ संलग्न की जाएगी ।

(5) खनन पट्टा के प्रत्येक आवेदन के साथ झारखण्ड राज्य में सभी खनिज रियायतों के विषय में गत वित्तीय वर्ष का स्वामित्व अथवा नियत लगान अथवा सतह लगान जैसे खनन बकाए का भुगतान किए जाने से संबंधित वैध स्वच्छता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।

(6) प्रत्येक आवेदन में एक शपथ पत्र इस कथन के साथ संलग्न करना होगा कि आवेदक ने-

(क) अद्यतन आयकर रिर्टन जमा किया है ।

(ख) आवेदक पर लगने वाला आय कर चुका दिया गया है ।

(ग) आयकर अधिनियम 1961 के तहत व्यक्तिगत कर निर्धारण के आधार पर आयकर का भुगतान कर दिया गया है ।

(7) प्रत्येक आवेदन के साथ एक शपथ पत्र संलग्न होगा जिसमें उस राज्य में आवेदक अथवा उसके साथ संयुक्त रूप से कोई अन्य व्यक्ति के नाम खनिज अधिकार का क्षेत्र का ब्योरा देगा कि-

(क) वह पूर्व से एक खनन पट्टा धारक है ।

(ख) उसने आवदेन दिया है किन्तु अभी तक खनन पट्टा स्वीकृत गथ) नहीं हुआ है, तथा

(ग) साथ-साथ आवेदन किया जा रहा है ।

(8) प्रत्येक आवेदन के साथ लिखित रूप से यह बयान देना होगा कि आवेदक ने यदि भूमि का स्वामित्व उसका नहीं है तो, उस क्षेत्र के सतह का [illegible] लिया है, अथवा खनन कार्य करने के लिए भूधारियों की सहमति प्राप्त कर ली है परन्तु कि जहाँ भूमि सरकार की है वहाँ ऐसे किसी कथन के आवश्यकता नहीं है ।

(9) यदि खनन पट्टे के लिए दिए गए आवेदन के साथ उप नियम 2,3,4 तथा 5,6,7 तथा 8 में उल्लेख किए गए कागजात संलग्न नहीं किए गए हैं तो सक्षम अधिकारी आवेदन प्राप्त करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन को सीधे रद्द कर देंगे ।

10. आवेदन की प्राप्ति रसीद :-

खनन पट्टा के लिए आवेदन प्राप्त होने पर स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी अथवा स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी उसके प्राप्ति के संबंध में आवेदन पर तारीख के साथ अपना हस्ताक्षर अंकित करेंगे तथा आवेदक को प्रपत्र 'ड' में तारीख बताते हुए प्राप्ति रशीद देंगे ।

11. खनन पट्टा के आवेदन का निपटारा :-

(क) खनन पट्टा के एक आवेदन का निपटारा उसकी प्राप्ति तारीख से 120 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा ।

(ख) यदि किसी आवेदन को उप नियम '1' के तहत उल्लिखित अवधि के भीतर निपटारा नहीं किया जाता है तो उस आवेदन को अस्वीकृत समझा जाएगा ।

(ग) यदि आवेदक ने उस राज्य में कोई खनन पट्टा नहीं प्राप्त किया है तो उसे इस तथ्य का एक शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा ।

12. बालू घाटों की बंदोबस्ती -

(1) बालू घाटों की बन्दोवस्ती नीलामी प्रक्रिया द्वारा नहीं होगी ।

(2) बालू घाट जिस ग्राम सीमा के अंतर्गत हो उसका सीमांकन कर उससे संबंधित ग्राम सभा को जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा सुपुर्द कर दिया जाएगा । ग्राम-सभा स्वयं बालूघाट का संचालक होगी अथवा अपने स्तर से संविदा स्थानीय स्तर पर करेगी। बालू खनिज से जो राजस्व प्राप्त होगा उसे ग्राम-सभा अपने कोष में जमा कर इस राशि का व्यय ग्राम विकास अथवा स्थानीय विकास के लिए करेगी।

13. खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता का अधिकार :-

(1) (क) लघु खनिज के खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति के सहयोग समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। उनके आवेदन की अनुपलब्धता पर अनुसूचित जाति के सदस्यों की सहयोग समिति को प्राथमिकता दी जाएगी ।

(ख) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के सदस्यों की सहयोग समिति का आवेदन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के सदस्य को क्रमशः प्राथमिकता दी जाएगी ।

(ग) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के सदस्यों की सहयोग समिति अथवा व्यक्ति के आवेदन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में सामान्य वर्ग के सदस्यों की सहयोग समिति को प्राथमिकता दी जाएगी ।

(घ) सामान्य वर्ग के सदस्यों की सहयोग समिति के आवेदन उपलबध नहीं रहने की स्थिति में समान्य वर्ग के व्यक्ति को खनन पट्टे की स्वीकृति दी जाएगी ।

व्यख्या - इस नियम के लिए सहयोग समिति से अभिप्रेत है वह सहयोग समिति जो बिहार स्वावलम्बी सहयोग समिति अधिनियम, 1996, सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत विधिवत निबंधित हो ।

(2) नियम 13 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत जहाँ दो या दो से अधिक सहयोग समितियाँ/एक ही वर्ग के व्यक्तियों ने एक ही भूमि के लिए खनन पट्टा के लिए आवेदन दिया है उस आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसका आवेदन पहले से प्राप्त हुआ है बनिस्पत कि उसके जिसका आवेदन बाद में प्राप्त हुआ है ।

परन्तु दो या दो से अधिक समान सहयोग समितियों/एक ही वर्ग के व्यक्तियों के आवेदन यदि एक ही तारीख को प्राप्त हो तब समाहर्त्ता उप नियम (3) में उल्लेखित तथ्यों पर विचार करते हुए ऐसे किसी एक आवेदन पर खनन पट्टा स्वीकृत कर सकते हैं जिसे वे सर्वाधिक उपयुक्त समझते हों ।

(3) उपर्युक्त प्रावधान में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार होंगे -

(क) खुली खदान व्यवसाय में आवेदक का अनुभव ।

(ख) आवेदक की वित्तीय मजबूती तथा स्थिरता ।

(ग) आवेदक द्वारा खनिज का अंतिम रूप से उपयोग ।

(घ) कोई अन्य तथ्य जिसे सरकार निर्धारित करे ।

(4) कोई भी आवेदक इस कारण से प्राथमिकता के लिए दावा नहीं कर सकेगा कि उसने इस क्षेत्र में पूर्व में काम किया है, जिस क्षेत्र से आवेदन संबंधित है ।

(5) यदि इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व खनन पट्टा के लिए कोई आवेदन दिया गया हो तथा प्रारंभ के पूर्व से लंबित हो तो इसकी प्राथमिकता इस नियम के तहत होगी बशर्ते कि आवेदक सक्षम पदाधिकारी से इसके बारे में सूचना प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर इन नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करता है ।

(6) उप नियम (2) में कुछ भी अन्तर्विष्ट होते हुए भी राज्यहित में सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त कर समाहर्त्ता किसी आवेदन को जिसने पूर्व में आवेदन दिया है की अपेक्षा उस आवेदन को जिसने बाद में आवेदन दिया है खनन पट्टा स्वीकृत कर सकते हैं ।

14. प्रारंभिक व्यय को जमा करना :-

जब पट्टा स्वीकृत, अथवा नवीकृत किया जाता है तब प्रारंभिक व्यय को पूरा करने के लिए, संविदा निष्पादन से पूर्व आवेदक 1000.00 (एक हजार) रु० मात्र जमा करेगा ।

15. सुरक्षित जमा :-

आवेदक खनन पट्टा संविद निष्पादन के पूर्व पट्टा की शर्तों का अनुपालन करने के लिए वार्षिक नियत राशि के बराबर राशि अथवा रु० 1000/- (एक हजार) रु० इनमें से जो भी अधिक हो, कोषागार चालान अथवा प्रतिभूत डाक प्रमाण पत्र के माध्यम से जमा करेगा जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा पट्टा की अवधि के समापन के पश्चात वापस लौटा दिया जाएगा यदि यह राशि अन्यथा, अंश रूप से अथवा पूर्ण रूप से सक्षम पदाधिकारी द्वारा खनन सरकार के देय सहित अन्य सटीक कारणों से जो लिखित रूप से अभिलेख में अंकित की गई हो को रोक न लिया गया हो। सुरक्षा कारणों से चालान द्वारा जमा की गई राशि पर कोई सूद देय नहीं होगा ।

16. पट्टा क्षेत्र का सर्वेक्षण :-

जब खनन पट्टा स्वीकृत किया गया हो, तब पट्टा निष्पादन करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर, सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किए गए पट्टा के अन्तर्गत क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन किए जाने का प्रबंध किया जायेगा ।

17. आवेदन पंजी :-

निम्नलिखित ब्योरा का उल्लेख करते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा खनन पट्टा के लिए आवेदन का एक पंजी संधारित की जाएगी -

(क) आवेदक का नाम ।

(ख) आवेदक का पता ।

(ग) चालान का विवरण जिसके द्वारा आवेदन के शुल्क का भुगतान किया गया है ।

(घ) भूमि का विवरण जिसके लिए आवेदन दिया गया है एवं उसका क्षेत्रफल ।

(ड़) खनिज अथवा एकाधिक खनिज जिसे आवेदक उत्खनन करना चाहता है ।

(च) अवधि जिसके लिए पट्टे की आवश्यकता है ।

(छ) आवेदन पर की गई कार्रवाई तथा आदेश की तारीख ।

(ज) आवेदक अथवा आवेदकों का फोटो चिपकाया जाना है ।

18. खनन पट्टा पंजी :-

सक्षम पदाधिकारी द्वारा खनन पट्टा की एक पंजी **प्रपत्र 'डी'** में संधारित की जाएगी ।

19. पंजियों का निरीक्षण :-

सक्षम पदाधिकारी द्वारा नियम 17 तथा 18 के तहत संधारित किसी भी व्यक्ति के लिए 10.00 (दस) रु० प्रति पंजी की दर से भुगतान करने पर मुआयना के लिए उपलब्ध रहेगा ।

20. आवेदन शुल्क की वापसी :-

यदि खनन पट्टे को स्वीकृत करने या नवीकृत करने का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है या स्वत: अस्वीकृत हो जाता है तो आवेदन का शुल्क समाहर्त्ता अथवा स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी के आदेश द्वारा वापस किया जाएगा ।

21. खनन पट्टे को स्वीकृत एवं नवीकृत किए जाने हेतु आवेदन को अस्वीकार करना :-

समाहर्ता कारणों को अभिलेख में लिखित रूप से अंकित करते हुए तथा आवेदक को सूचित करते हुए खनन पट्टे के आवेदन को पूर्ण क्षेत्र अथवा आंशिक क्षेत्र के लिए अस्वीकृत कर सकते हैं ।

22. शर्त्ते:-

(1) प्रत्येक खनन पट्टा **प्रपत्र '(ई)'** अथवा परिस्थिति जन्य आवश्यकताओं के अनुरूप जैसा भी मामला हो, के समतुल्य प्रपत्र में होगा ।

(2) प्रपत्र 'ई' में दी गई शर्त्ते इस नियम के अन्तर्गत लागू की गई शर्ते होगा ।

(3) समाहर्त्ता ऐसी अन्य शर्ते लगा सकते है जैसा वे निम्नांकित के विषय में आवश्यक समझते है नामत:-

(क) लगान एवं स्वामिस्व भुगतान की समय सीमा, पद्धति एवं स्थान ।

(ख) पट्टाधारी भूमि सतह के दखलकार रैयत को इन नियमों के अन्तर्गत जो भी क्षतिपूर्ति देय है, का भुगतान करेगा ।

(ग) पट्टाधारी उस क्षेत्र अथवा केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा चयनित किसी अन्य क्षेत्र में वृक्षारोपण के ऐसे उपाय करेगा जो बाद उस क्षेत्र में खनन प्रक्रिया के दौरान यदि वृक्ष नष्ट हुए हों तो कम से कम उसकी दुगुनी संख्या में वृक्ष रोपण हो सकेगा तथा ऐसी प्रक्रिया में विनष्ट हुई हरियाली को जहाँ तक निश्चित रूप से संभव हो सके पुन: बहाल करेगा ।

(घ) किसी भी प्राधिकारी द्वारा किसी भू-सतह पर कार्य करने पर प्रतिबंध लगाने के ऊपर ।

(ङ) पट्टाधारी द्वारा भू-सतह के कब्जे से संबंधित नोटिस ।

(च) समुचित तौल करने वाली मशीन प्रावधान ।

(छ) पट्टाधारी द्वारा पट्टा क्षेत्र में अथवा इसके निकट अन्य खनिजों के दोहन की सुविधा देना ।

(ज) सुरक्षित एवं संरक्षित वन में प्रवेश तथा कार्य करना ।

(झ) दुर्घटनाओं की सूचना ।

(ञ) गड्ढा तथा भू-छिद्रों को सुरक्षित करना ।

(ट) तीसरे पक्ष के दावे के विरुद्ध सरकार को प्रत्याभूत करना ।

(ठ) पट्टा के प्रत्यर्पण, समापन अथवा परिसमाप्ति किए जाने पर भूमि तथा खदान की दखल दहानी ।

(ड) पट्टा के समापन के बाद अवशेष सम्पत्ति की जब्ती ।

(ढ) युद्ध अथवा आपातकाल की स्थिति में सर्वत्र खनिज, खदान एवं खदान का कब्जा ले लेने की शक्ति ।

(ण) पट्टाधारी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तगत समय-समय पर केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा ।

(त) पट्टाधारी, खान अधिनियम 1952 तथा धातुमय खान विनियम, 1961 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा ।

(4) यदि समाहर्त्ता का खनिज के विकास की हित में ऐसा विचार है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह सरकार से पूर्वानुमोदन प्राप्त करके, जैसा वह उचित समझता है, वैसा शर्त्त लगा सकता है ।

(5) यदि पट्टाधारी नियम 29 के तहत लगान/स्वामिस्व का भुगतान, समय पर नहीं करे अथवा इन नियमों अथवा प्रपत्र 'ई' के उल्लेखित किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करता है तो सक्षम अधिकारी इस सूचना को पाने के 30 दिनों के भीतर पट्टाधारी को लगान/स्वामिस्व के भुगतान कर देने का नोटिस देगा ताकि इन शर्तों का उल्लंघन नहीं हो, और यदि लगान/स्वामिस्व का भुगतान नही होता है तो समाहर्त्ता अथवा स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी, इसके लिए पट्टाधारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके पट्टा को समाप्त कर सकते हैं तथा उसकी सुरक्षित राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से जब्त कर सकते हैं ।

(6) खनन पट्टा द्वारा आच्छादित क्षेत्र सतह से पृथ्वी के केन्द्र की ओर लम्ब रूप से नीचे की ओर जाएगा ।

23. खनन पट्टा का नीवकरण :-

(1) खनन पट्टे के नवीकरण के लिए अवेदन पट्टा के समाप्त होने के पहले कम से कम 90 दिन पूर्व किन्तु 180 दिन से पहले नहीं, प्रपत्र 'एफ' में दिया जा सकेगा ।

(2) खनन पट्टा के नवीकरण के प्रत्येक आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा -

(क) 5000 रु० पाँच हजार रुपये का आवेदन शुल्क ।

(ख) खनन पट्टा के नवीकरण से संबंधित, आवेदन में झारखण्ड राज्य में दिए गए सभी खनिज रियायतों के मामले में अन्तिम वित्तीय वर्ष तक स्वामित्व, नियत लगान, भूतल लगान आदि के भुगतान का एक वैध स्वच्छता प्रमाण पत्र ।

(ग) खनन पट्टा के नवीकरण के प्रत्येक आवेदन के साथ एक शपथ पत्र संलग्न किया जाएगा जिसमें प्रदर्शित होगा कि आवेदक ने-

1. अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल किया है ।
2. निर्धारित आयकर का भुगतान कर दिया है ।
3. जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 में प्रावधान है, स्वमूल्यांकन के आधार पर आयकर का भुगतान कर दिया है ।

(घ) खनन पट्टा के नीवकरण के प्रत्येक आवेदन के साथ एक शपथ पत्र संलग्न होगा जिसमें उस राज्य में आवेदक अथवा उसके साथ संयुक्त रूप से कोई अन्य व्यक्ति के साथ खनिजवार क्षेत्र का ब्योरा देगा -

1. वह पूर्व से ही एक खनन पट्टा धारण करते है ।
2. कि उसने आवेदन दिया है किन्तु अभी तक खनन पट्टा स्वीकृत नही हुआ है, तथा साथ-साथ आवेदन किया जा रहा है ।

(ड.) यदि किसी खनन पट्टा के आवेदन के नवीकरण के आवेदन का निस्तार समाहर्त्ता द्वारा उप नियम '1' में उल्लिखित समयावधि के भीतर पट्टा की समाप्ति के पूर्व नही किया जाता है तो यह माना जाएगा कि उस पट्टे को अगले 90 दिन अथवा समाहर्त्ता अथवा स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के प्राप्ति की तारीख इनमें से जो भी पहले हो तक बढ़ा दिया समझा जाएगा।

(च) यदि आवेदन का निपटारा उप नियम 2 'ड.' में उल्लिखित बढ़ी हुई अवधि में भी नहीं किया जा सका तो इसे अस्वीकृत माना जाएगा।

(छ) खनन पट्टा के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ उप नियम '1' और '2' में उल्लिखित कागजात संलग्न नहीं होने की स्थिति में 15 दिनों के भीतर सक्षम पदाधिकारी द्वारा इसे सीधे अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

24. पट्टे का हस्तान्तरण :-

(1) समाहर्त्ता की लिखित पूर्वानुमति के बिना पट्टाधारी -

(क) खनन पट्टा को न तो किसी को देगा, न तो किराए पर देगा और न उसका अन्तरण करेगा अथवा खनन कार्य के हितों, स्वामित्व तथा कार्य करने के अधिकार का किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण करेगा ।

अथवा

(ख) पट्टाधारी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करेगा या कोई ठेका नहीं देगा या खनन कार्य के लिए किसी से कोई समझौता नहीं करेगा जिसके तहत उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर धन उपलब्ध हो या इस समझौता के तहत पट्टाधारी की बजाए कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय खनन कार्य को व्यापक रूप से करेगा या उनके नियंत्रणाधीन होगा ।

(2) उप नियम (1) के प्रावधानों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव [illegible] नियम '6' में वर्णित स्थितियों के अन्तर्गत पट्टाधारी तथा हस्तांतरण ग्राही व्यक्ति के द्वारा स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाण-पत्र समर्पित करने पर 10000 रु० (दस हजार रुपये) शुल्क के भुगतानोपरान्त खनन पट्टा के अधिकार, स्वामित्व तथा हितों का हस्तान्तरण कर सकता है।

वशर्ते पट्टाधारी हस्तान्तरण ग्राही व्यक्ति को उस क्षेत्र में छोड़ दिए गए कार्यों एवं उसके इर्द गिर्द 60 मीटर चौड़ी पट्टी के सभी योजनाओं की मूल तथा अभिप्रमाणित नक्शे की प्रति उपलब्ध करा देंगे ।

(3) समाहर्त्ता एक लिखित आदेश के तहत किसी भी समय [illegible] कर सकते हैं यदि समाहर्त्ता का यह [illegible] होता है कि पट्टाधारी [illegible] नियम (1) के प्रावधान का उल्लंघन किया है अथवा उप नियम (2) के अनुरूप [illegible] अन्य तरीके से अपने खनन पट्टा के अधिकार स्वामित्व तथा हितों का हस्तान्तरण कर दिया है ।

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी आदेश पट्टाधारी को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना नहीं दिया जाएगा ।

(4) खनन पट्टा के हस्तान्तरण के आवेदन का निपटारा समाहर्त्ता द्वारा इसके प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा, तथा यदि इस अवधि में इसका निपटारा नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि इसे अस्वीकृत कर दिया गया है ।

(5) प्रत्येक खनन पट्टा [illegible] हस्तान्तरण किया जा रहा है [illegible] निस्पादित किया जाएगा ।

25. खनन पट्टा के हस्तान्तरण के लिए आवेदन -

हस्तान्तरण कर्त्ता तथा ग्राही व्यक्ति जो हस्तान्तरण में अभिरुचि रखते हैं, वो स्वामिस्व, नियत लगान, भूतल लगान आदि का खनन बकाए के भुगतान का स्वच्छता प्रमाण-पत्र समर्पित करेंगे ।

26. खनन पट्टा प्रत्यार्पण का अधिकार :-

(1) पट्टेधारी किसी समय में सक्षम अधिकारी को नोटिस, जो कि छः माह से कम समय का न हो, देकर पट्टा प्रत्यर्पित कर सकते हैं ।

(2) पट्टेधारी प्रत्यर्पण आवेदन के साथ सम्बद्ध क्षेत्र का [illegible] अग्रिम स्वामिस्व, नियत लगान की राशि जमा करेगा ।

27. खनन पट्टा की समाप्ति :-

(1) राज्य सरकार खनन पट्टे को समाप्त कर सकती है यदि इसके विचार में इसे जनहित में करना वांछित है अथवा पट्टेधारी ने सम्पत्ति का नुकसान किया है और इस शर्त के साथ कि राज्य सरकार ने इसे तीन कैलेण्डर माह का लिखित रूप से नोटिस दिया है, किन्तु युद्ध अथवा आपातकाल की घोषणा पश्चात यह नोटिस देना भी जरूरी नहीं है ।

व्याख्या - पट्टा के जनहित में समाप्त करने का विचार उसी स्थिति में वांछित होगा जब पट्टे किसी ऐसे उद्योग के हित में समाप्त किया जा रहा है जिसे सरकार स्थापित कर रही है अथवा स्थापित करेगी अथवा सरकार खनन कार्य अथवा खुली खान से संबंधित कार्य स्वयं अथवा किसी सार्वजनिक अथवा निजी कम्पनी अथवा किसी व्यक्ति के माध्यम से कराना चाहती है अथवा सरकार इस तथ्य से संतुष्ट है कि खनन अथवा खुली खान कार्य के चलते रहने से स्वास्थ्य अथवा सम्पति की क्षति उतने अधिक परिमाण में होगी कि इसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकेगी अथवा इतना ज्यादा जोखिम है, पट्टाधारी को पूरी अवधि तक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

(2) समाहर्त्ता सुनवाई का समुचित अवसर दिए जाने के बाद खनन पट्टे को समाप्त कर सकते है, यदि पट्टेधारी ने खनन पट्टे के शर्तों एवं बंधेजों का उल्लघन किया है ।

(3) पट्टा की समाप्ति होने अथवा पट्टा के समाप्त कर दिए जाने पर पट्टाधारी पट्टा क्षेत्र तथा खुली खानों को सही तथा कार्ययोग्य स्थिति में वापस कर देगा सिर्फ उन कार्य स्थलों को छोड़ कर जहाँ कि समाहर्त्ता अथवा स्वीकृति अधिकारी ने निषिद्ध घोषित कर दिया है ।

(4) यदि पट्टाधारी पट्टा समाप्ति होने अथवा समाप्त कर दिए जाने के बाद दखल देहानी देने में असफल रहता है तब समाहर्त्ता/सक्षम अधिकारी लिखित रूप से पट्टाधारी को एक आदेश देगा कि वह दखल देहानी दे दें अथवा उसे आदेश के विरूद्ध दी गई अवधि में कारण पृच्छा का उत्तर दें और यदि पट्टाधारी दखल देने में असफल रहता है अथवा समाहर्त्ता/सक्षम अधिकारी कारण पृच्छा के उत्तर को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अस्वीकृत करते है तब समाहर्त्ता/सक्षम अधिकारी ऐसे कदम उठाएंगे या कदम उठाने की व्यवस्था करेंगे अथवा उतना बल प्रयोग करेंगे कि उनके विचार में, सरकार की तरफ से इकतरफा आदेश के अनुपालन, जिसमें दखल लेना भी शामिल है, जितना आवश्यक होगा ।

28. पट्टा का निष्पादन :-

(1) यदि खनन पट्टा नियम 9 (1) के तहत स्वीकृत किया गया हो, अथवा नियम 23 के तहत खनन पट्टे का नवीकरण किया गया हो अथवा नियम 24 के तहत खनन पट्टे का हस्तान्तरण किया गया हो तो औपचारिक पट्टा विलेख का निष्पादन स्वीकृति आदेश के 90 दिनों के भीतर किया जाएगा और यदि उक्त अवधि में पट्टा विलेख का निष्पादन नहीं किया जाता है तो पट्टे की स्वीकृति/नवीकरण/हस्तांतरण का स्वीकृत्यादेश निरस्त समझा जाएगा और इस परिस्थिति में आवेदन शुल्क तथा सुरक्षित जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा । पट्टाधारी पट्टे के निबंधन की सूचना सक्षम अधिकारी को निबंधन होने के 15 दिनों के भीतर देंगे ।

परन्तु यह कि समाहर्त्ता इस तथ्य से संतुष्ट है कि पट्टे का आवेदक सामान्य पट्टा के निष्पादन में होने वाले विलम्ब के लिए जिम्मेवार नहीं है, वह 90 दिन की समय सीमा के समाप्त हो जाने के बाद भी औपचारिक पट्टा के निष्पादन की अनुमति दे सकते है ।

(2) यदि खनन पट्टा नियम 9 (1) के तहत स्वीकृत किया गया है तो खनन पट्टा के प्रारम्भ होने की तारीख वही तारीख होगी जिस तारीख में उप नियम (1) के तहत खनन पट्टे का निष्पादन किया गया है तथा पट्टाधारी खनन पट्टा निष्पादन की तारीख से स्वामिस्व/नियत लगान भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) खनन पट्टा के नवीकरण के मामले में खनन पट्टा प्रारम्भ होने की तारीख वह तारीख होगा जब इसके पूर्व का पट्टा समाप्त होगा तथा पट्टाधारी लगान/स्वामिस्व आदि भुगतान उसी दिन से करने के लिए उत्तरदायी होगा।

29. लगान एवं स्वामिस्व :-

(1) जब खनन पट्टा स्वीकृत अथवा नवीकृत किया जाता है -

(क) अनुसूची 1 में उल्लिखित दर से नियत लगान लिया जाएगा ।

(ख) अनुसूची 2 में उल्लिखित दर से स्वामिस्व लिया जाएगा, और

(ग) पट्टाधारी/पट्टाधारगण को त्रैमासिक आधार पर नियत लगान तथा स्वामित्व देना होगा तथा इस लगान तथा स्वामिस्व का लेखा इस प्रकार से वास्तविक आधार पर समायोजित किया जाएगा कि किसी वर्ष में नियत लगान अथवा स्वामिस्व में से जो भी ज्यादा होगा, वही वसूल किया जाएगा।

(घ) पट्टेधारी द्वारा उपयोग में लाए गए/दखल किए गए भूतल क्षेत्र का भूतल लगान उस दर से देय होगा जो उस क्षेत्र के भू-राजस्व दर से अधिक न हो।

(2) इन नियमों के लागू होने की तिथि से पूर्व में स्वीकृत अथवा नवीकृत खनन पट्टों जिनका अस्तित्व उक्त तिथि को है, पर भी उप नियम (1) का प्रावधान लागू होगा।

(3) यदि खनन पट्टाधारी द्वारा एक से अधिक खनिजों के दोहन की अनमति एक ही क्षेत्र में दी गई है तो प्रत्येक खनिज के मामले में अलग-अलग स्वामित्व अथवा नियत लगान देना होगा।

परन्तु यह कि पट्टाधारी को प्रत्येक खनिज की स्थिति में जो भी अधिक राशि होगी, नियत लगान अथवा स्वामित्व का भुगतान करना होगा।

(4) यदि पट्टे की शर्त्तों में कुछ भी अन्तर्विष्ट है तब भी पट्टाधारी को अनुसूची 1 तथा 2 के तहत समय-समय पर निर्धारित दर पर किसी भी लघु खनिज को निकालने तथा हटाने के लिए लगान/स्वामित्व का भुगतान करना होगा।

(5) राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रथम तथा द्वितीय अनुसूची को संशोधित कर सकती है जिससे कि वह दर बढ़ाया या घटाया जा सके जिस पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के अभाव में किसी भी लघु खनिज के लिए लगान/स्वामिस्व का भुगतान किया जाएगा।

30. ईंट की मिट्टी पर स्वामित्व को समेकित करना :-

इन नियमों के अन्तर्विष्ट कुछ भी हो, प्रत्येक वर्गीकृत क्षेत्र में, एक निश्चित संख्या में ईंट के लिए, एक विहित प्रक्रिया के तहत ईंट भट्ठा मालिक / ईंट की मिट्टी निकालने वाले व्यक्ति को अनुसूची

3 के अनुरूप प्रति भट्ठा प्रति वर्ष, एक समेकित राशि का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा । राज्य सरकार तीन वर्ष में एक बार समेकित राशि की दर को सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा संशोधित कर सकती है ।

परन्तु यह कि राज्य सरकार, समेकित राशि, जो भुगतान किया जाना है, का निर्धारित करने के उद्देश्य से, उन स्थानों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत इन तथ्यों को ध्यान में रख कर सकती है जिन्हें वह उचित समझती है ।

परन्तु यह भी कि ईंट मिट्टी निकालने वाला/ईंट भट्ठा मालिक यदि विहित तरीके से स्वामित्व की समेकित राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो उसे व्यापार करने नहीं दिया जाएगा और समाहर्त्ता तथा सक्षम पदाधिकारी और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे व्यापार पर रोक लगा देंगे ।

इस नियम के उद्देश्यों की व्याख्या :-

(1) व्यापार का अर्थ है और इसमें शामिल है, ईंट पारना, भट्ठा जलाना तथा ईंट की मिट्टी निकालने वाले/भट्ठा मालिक द्वारा ईंट बेचना तथा ऐसे अन्य कार्यकलाप जो ईंट उत्पादन से संबंधित हो ।

(2) इस नियम के उद्देश्य के लिए, ईंट की मिट्टी निकालने वाले व्यक्ति का अर्थ है और इसमें शामिल है व्यक्ति अथवा व्यक्तिगण जिनके द्वारा अथवा जिनके बदले ईंट उत्पादन के लिए कोई मिट्टी निकाले ।

(3) इस नियम के उद्देश्य से ईंट भट्ठा मालिक का अर्थ वह व्यक्ति है जो ईंट भट्ठे का स्वामित्व रखता है अथवा जिसके बदले में उस भट्ठे में ईंट का उत्पादन होता है और उसमें मैनजर, एजेन्ट तथा पट्टाधारी भी शामिल है ।

## अध्याय 4

31. **खुली खान अनुमति पत्र प्रदान करना :-**

(1) सक्षम पदाधिकारी को **प्रपत्र 'जी'** में एक आवेदन देने पर वे अपने क्षेत्राधिकार में अनुसूची 2 के तहत निर्धारित दर पर स्वामिस्व के पूर्व भुगतानोपरान्त एक अनुमति पत्र के तहत जो तीन हजार क्युबिक मीटर से अधिक मात्रा का नहीं हो, किसी भी विशेष क्षेत्र में **प्रपत्र-एच** में किसी व्यक्ति को खनिज निष्कासन तथा हटाने की खुली खान अनुमति पत्र दे सकता है । इस अनुमति पत्र को देने के पूर्व, सक्षम अधिकारी स्वयं इस तथ्य से संतुष्ट हो लेंगे कि अनुमति पत्र की वास्तव में आवश्यकता है तथा यह जिस क्षेत्र में खनिजों के निष्कासन के लिए अनुमति पत्र आवेदित किया गया है उस क्षेत्र में खनन पट्टा प्राप्त करने कि जरूरत को बाधित नहीं करता है ।

(2) सक्षम पदाधिकारी लिखित रूप में कारण अंकित करते हुए ऐसे अनुमति पत्र को अस्वीकृत कर सकते है ।

32. खुली खान अनुमति पत्र के लिए आवेदन :-

(1) खुली खान अनुमति पत्र के लिए आवेदक के दो हाल के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ प्रपत्र 'जी' में सक्षम पदाधिकारी को समर्पित किए जाएगें ।

(2) खुली खान अनुमति पत्र के आवेदन के साथ 2000 रु0 "दो हजार रुपये" का शुल्क किन्तु ईंट के बंगला भट्टे के लिए खुली खान अनुपति पत्र का आवेदन शुल्क 200 रु0 (दो सौ रुपये) होगा ।

(3) खुली खान अनुमति पत्र के प्रत्येक आवेदन के साथ यदि कोई खनन बकाया हो तो, एक वैध तथा अद्यतन स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।

(4) जिस भूमि से लघु खनिज निकालना है, यदि वह भूमि रैयती है, तो खुली खान अनुमती पत्र के प्रत्येक आवेदन के साथ वैसे भूमि के मालिक की एक सहमति पत्र संलग्न करनी होगी जिसमें लिखा होगा कि आवेदक द्वारा खनिज के निष्कासन करने में उसे कोई आपत्ति नही है ।

(5) खुली खान अनुमति पत्र आवेदन करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ भूमि की अनुसूची तथा आवेदित क्षेत्र का नक्शा संलग्न किया जायगा ।

(6) खुली खान अनुमति पत्र की अवधि 6 माह से अधिक की नही होगी परन्तु उसे अगले 3 माह का विस्तार दिया जा सकता है और विस्तार पाने के प्रत्येक आवेदन के साथ लिखित कारणों का उल्लेख करते हुए 200 रु0 (दो सौ रुपये) का शुल्क संलग्न करना होगा ।

(7) ईंट की खुली खान अनुमति पत्र के लिए जिस क्षेत्र का आवेदन दिया जाएगा वह 10 एकड़ से अधिक नही होना चाहिए एवं अन्य खनिजों के लिए 5 एकड़ से अधिक नही होना चाहिए ।

(8) यदि रैयत अपने रैयती भूमि में कार्य करने से अनुज्ञप्ति धारक को बाधित करता है तब आवेदन शुल्क एवं स्वामिस्व को वापस नहीं किया जाएगा ।

33. खुली खान अनुमति पत्र का निपटारा :-

(1) खुली खान अनुमति पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निपटारा कर दिया जाएगा ।

(2) यदि किसी आवेदन का निपटारा उप नियम (1) में वर्णित अवधि तक नहीं होता है तो उसे अस्वीकृत मान लिया जाएगा ।

परन्तु यह कि सक्षम पदाधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट है कि अनुमति पत्र के लिए आवेदक विलम्ब हेतु जिम्मेवार नहीं है तब अगले 30 दिनों तक के लिए अवधि बढ़ायी जा सकती है ।

34. शर्तें जिन पर खुली खान अनुमति पत्र प्रदान की जायगी :-

(1) नियम 31 (1) के तहत प्रदान किया गया प्रत्येक खुली खान अनुमति पत्र के साथ यह शर्त होगा कि सतह के नीचे गड्ढे कि गहराई साधारणतया 3 मीटर से अधिक नहीं होगी तथा 3 मीटर से अधिक गहरा गड्ढा खोदने के लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी ।

(2) नियम 31 (1) के तहत प्रदान किए गए खुली खदान अनुमति पत्र में निम्न लिखित विन्दुओं पर सक्षम पदाधिकारी के आवश्यक समझने पर ऐसी अन्य शर्तें होगी नामत:

(क) लगान तथा स्वामिस्व के भुगतान की समय सीमा, तरीका तथा भुगतान का स्थान,

(ख) अनुमति पत्र द्वारा आच्छादित भूमि की क्षतिपूर्ति,

(ग) वन भूमि होने कि स्थिति में प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी एवं अन्य क्षेत्रों में अपर समाहर्ता से विमर्श के उपरान्त पेड़ काटे जा सकते है,

(घ) किसी प्राधिकरी द्वारा किसी क्षेत्र में सतह पर कार्य करने पर निषेध,

(ङ) दुर्घटना की सूचना :

(च) तीसरी पार्टी के दावे के विरुद्ध सरकार को मुक्त रखने का वचन देना,

(छ) वह अवधि जिसके भीतर लघु खनिज का निष्कासन किया जाएगा तथा इस अवधि के समापन के पश्चात् भूमि की दखल देहानी तथा जिस अवधि के लिए अनुमति पत्र वैध है, उस अवधि तक लघु खनिज की मात्रा को उठाना,

(ज) अनुमति पत्र रदद् होने कि स्थिति में शेष सम्पत्ति की जब्ती, तथा

(झ) अनुमति पत्र समाप्त होने पर स्थल पर भंडारित खनिजों का निपटारा ।

(3) किन्ही भी शर्तों जिसके अन्तर्गत अनुमति पत्र प्रदान किया गया है, के भंग होने पर सक्षम पदाधिकारी उनके द्वारा स्वीकृत किए गए अनुमति पत्र को रदद् कर सकते है । अनुमति पत्र रदद् किए जाने के बाद उस भूमि पर पड़ी हुई, खोदी गई सामग्रियों को जहाँ से उसकी खुदाई की गई है, वह सरकार की परम सम्पत्ति हो जाएगी एवं उसे सक्षम पदाधिकारी द्वारा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाएगा ।

(4) सक्षम पदाधिकारी पूछताछ एवं जाँच के बाद जैसा उचित समझेंगे, अवधि के अंत में, स्वामिस्व की राशि तथा अत्यधिक मात्रा के लिए स्वामिस्व एवं दंड का निर्धारण कर सकेगें ।

## अध्याय 5

### नीलामी या टेंडर द्वारा स्वामिस्व संग्रह ठेका (अथवा अतिरिक्त स्वामित्व संग्रह ठेका) प्रदान करना ।

35. स्वामिस्व (अतिरिक्त स्वामिस्व) संग्रह ठेका प्रदान करना :-

इन नियमों में कुछ भी अन्तर्विष्ट रहते हुए -

(1) ऐसे क्षेत्र तथा ऐसे खनिज, जिसमें पटट्ा पर दिया गया क्षेत्र अथवा खनिज है, जिसे राज्य सरकार एक सामान्य अथवा विशेष आदेश के तहत तय करते है, में स्वामिस्व (अतिरिक्त स्वामिस्व) संग्रह का ठेका, नीलामी या टेंडर से प्रदान किया जा सकता है ।

(2) स्वामिस्व (अतिरिक्त स्वामिस्व) संग्रह करने का ठेका समाहर्ता द्वारा नीलामी या टेंडर द्वारा अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जा सकता है ।

परन्तु यह कि यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो, राज्य सरकार की पूर्वानुमति तथा ठेकेदार की सहमति से समाहर्ता ठेके की अवधि को आगे भी बढ़ा सकता है ।

(3) ठेकेदार द्वारा सरकार को वार्षिक रूप से भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण, ठेका प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीलामी में निर्धारित या स्वीकृति हेतु समर्पित किए गए टेंडर द्वारा की जाएगी ।

परन्तु यह कि वार्षिक नियत लगान से अधिक स्वामित्व संग्रह के ठेके के मामले में यदि स्वामिस्व की दर में वृद्धि की जाती है, तो ठेकेदार ऐसी वृद्धि की तिथि से शेष अवधि में वृद्धि के अनुपात में बढ़े हुए ठेका राशि का भुगतान करने के लिए दायी होगा । फिर भी पट्टों के नियत लगान के पुनरीक्षण के कारण राशि की वसूली के लिए ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

36. पीठासीन पदाधिकारी :-

अपने क्षेत्राधिकार में, नीलामी तथा स्वामिस्व (अतिरिक्त स्वामिस्व) संग्रह ठेका प्रदान करने के लिए समाहर्ता पीठासीन पदाधिकारी होंगे तथा वह इन नियमों के अन्तर्गत, उनमें निहित आर्थिक शक्तियों के अध्यधीन, बोली बोलने वाले व्यक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकते हैं ।

37. नीलामी की प्रक्रिया :-

नियम 35 के तहत स्वामिस्व (अतिरिक्त स्वामिस्व) संग्रह ठेका की नीलामी करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया होगी -

(क) नीलामी को सरकारी राजपत्र (अथवा राज्य में व्यापक प्रसार वाले किसी एक दैनिक समाचार पत्र) में अधिसूचित किया जाएगा, समाहर्ता तथा जिला खनन पदाधिकारी अथवा सहायक खनन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर नोटिस चिपकाया जाएगा ।

(ख) नीलामी की अधिसूचना नीलामी की तारीख की 30 दिन पूर्व प्रकाशित की जाएगी और उसमें नीलामी की तारीख का उल्लेख रहेगा। ऐसे अधिसूचना की एक प्रतिलिपि प्रश्नगत क्षेत्र में क्षेत्राधिकारी वाले पंचायत अथवा नगर निगम बोर्ड को भेजी जाएगी।

(ग) स्वामिस्व (अतिरिक्त स्वामिस्व) संग्रह ठेका की शर्तों एवं बंधेजों तथा विवरणों को संबधित जिला खनन पदाधिकारी अथवा सहायक खनन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर चिपकाया जाएगा तथा संभावित बोलीकर्ताओं को भी नीलामी के समय दिया जाएगा और प्रमाण स्वरूप उनका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ले लिया जाएगा ।

(घ) संभावित बोलीकर्ता निम्नांकित अग्रधन का भुगतान प्रत्येक मामले में करेंगे ।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सरकारी बोली (सुरक्षित जमा) 1000 रु० तक के लिए | 200 रु० |
| 2. | सरकारी बोली (सुरक्षित जमा) 5000 रु० तक के लिए | 500 रु० |
| 3. | सरकारी बोली (सुरक्षित जमा) 10,000 रु० तक के लिए | 1000 रु० |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | सरकारी बोली (सुरक्षित जमा) 20,000 रु० तक के लिए | 2000 रु० |
| 5. | सरकारी बोली (सुरक्षित जमा) 50,000 रु० तक के लिए | 5000 रु० |
| 6. | सरकारी बोली (सुरक्षित जमा) 100,000 रु० तक के लिए | 10,000 रु० |
| 7. | सरकारी बोली (सुरक्षित जमा) 100,000 रु० से अधिक के लिए | 10,000 रु० प्रत्येक अतिरिक्त एक लाख अथवा उसके अंश राशि राशि के लिए 5000 रु० मात्र परंतु अधिकतम सीमा दस लाख रु० । |

(ङ) समाहर्ता की अभिपुष्टि के बिना किसी भी बोली को स्वीकृत नही माना जाएगा ।

(च) बिना खनन आयुक्त की पूर्वानुमति के एक ही क्षेत्र के लिए, स्वामित्व (अतिरिक्त स्वामित्व) संग्रह ठेका के मामले में, पूर्व की ठेका राशि की तुलना में यदि ठेका राशि में नियत लगान के 25 प्रतिशत राशि से अधिक की कमी होती है तो स्वीकृति पदाधिकारी द्वारा बोली को स्वीकृत नही किया जाएगा ।

(छ) नीलामी पूरा होने पर परिणाम की घोषणा की जाएगी तथा अंतरिम रूप से चयनित बोली को तत्काल सुरक्षित राशि तथा बोली राशि निम्न प्रकार से अग्रिम जमा करना होगा ।

(1) यदि वार्षिक बोली राशि 10,000 रु० से अधिक नही है तो पूर्ण रूप से उसका भुगतान तत्काल करना होगा ।

(2) यदि वार्षिक बोली राशि 10 हजार रु० से अधिक है किन्तु 10 लाख रु० से अधिक नहीं है तो बोली राशि का 25 प्रतिशत (अनुबंध के निष्पादन के पूर्व) प्रथम त्रैमासिक किस्त के रूप में जमा करना होगा । अन्य त्रैमासिक किस्त अनुबंध में उल्लिखित तारीख पर आग्रिम के रूप में जमा करना होगा ।

(3) यदि वार्षिक बोली राशि 10 लाख रु० से अधिक है तो उसकी 12 मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा किन्तु पहला किस्त 2.50 लाख से कम नही होगा तथा उसे तत्काल जमा किया जाएगा । शेष बोली राशि का 11 बराबर किस्तों में महीने की 10 तारीख तक अग्रिम रूप से जमा किया जाएगा ।

(4) यदि वार्षिक बोली राशि 10 लाख रु० से अधिक नही है तो सुरक्षित जमा राशि बोली राशि का 25 प्रतिशत होगा ।

(5) यदि वार्षिक बोली राशि 10 लाख रु० से अधिक है तो सुरक्षित जमा राशि 2.50 लाख रु० अथवा राशि का 12.5 प्रतिशत उनमें से जो भी अधिक हो, वही होगा ।

(6) यदि ठेकेदार द्वारा बिना किसी त्रुटि ठेका पूर्ण कर लिया गया तो सुरक्षित जमा राशि को अंतिम किस्त में समंजित कर लिया जायगा ।

(7) ठेका प्रदान करने के लिए नीलामी में अधिकतम बोली बोलने वाला व्यक्ति अंतरिम रूप से चयनित होगा ।

परन्तु यह कि, जैसा इस उपबंध में उल्लिखित है, यदि अधिकतम बोली लगाने वाला व्यक्ति बोली राशि तथा/अथवा सुरक्षित जमा राशि को जमा करने में असफल रहता है तो दूसरा अधिकतम बोली लगाने वाला व्यक्ति अन्तरिम रूप से चयनित बोली लगाने वाला व्यक्ति होगा. यदि दूसरे अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति की बोली राशि प्रथम बोली लगाने वाले व्यक्ति की बोली राशि से 90 प्रतिशत से कम न हो ।

परन्तु यह भी, और भी है कि यदि द्वितीय अधिकतम बोली लगाने वाला व्यक्ति बोली राशि तथा/अथवा सुरक्षित जमा राशि जमा करने में असफल रहता है तो तीसरे अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति अन्तरिम रूप से बोली लगाने वाला व्यक्ति चयनित होगा, यदि तीसरे अधिकतम बोली लगाने वाला व्यक्ति की बोली राशि प्रथम बोली लगाने वाले व्यक्ति की बोली राशि से 90 प्रतिशत से कम न हो ।

(ज) अन्तरिम रूप से चयनित बोली लगाने वाले व्यक्ति को नीलामी की तारीख से दो दिन के भीतर सक्षम राजस्व पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त बोली राशि के 12.5 प्रतिशत का प्रस्थिति प्रमाण पत्र तथा बोली राशि के 12.5 प्रतिशत का दो जमानतदार समर्पित करना होगा । जमानतदार ठेकेदार द्वारा सरकारी बकाया राशि के भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा ।

(झ) नीलामी के दौरान किसी व्यक्ति को दुर्व्यवहार करने पर उसे पीठासीन पदाधिकारी द्वारा उनके विवेकानुसार आवश्यक हो तो नीलामी से बाहर निकालने एवं नीलामी में भाग लेने से इन नियमों के अन्तर्गत भविष्य में अगले 3 वर्षो तक के लिए निष्कासन द्वारा दंडित किया जा सकता है ।

(ञ) उन व्यक्तियों जिनकी बोली को अन्तरिम रूप से स्वीकृत किया गया है को छोड़ कर शेष व्यक्तियों का अग्रधन नीलामी समाप्त हो जाने के बाद तत्काल वापस कर दिया जाएगा । जिनका अग्रधन रख लिया जाएगा उसे उस नियम के उपबंध 'छ' के तहत बोली राशि से सामंजित करने की स्वीकृति दी जाएगी ।

(ट) ऐसे किसी भी व्यक्ति जिनके पास विभाग का कोई बकाया है, उसे नीलामी में बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं यदि गलती से उन्हें अनुमति दे दी जाती है तो ऐसे बोली को स्वीकृति योग्य नही माना जाएगा परन्तु यदि न्यायलय अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसी राशि की वसूली पर रोक लगायी गयी हो तो ऐसी बकाया राशि इन नियमों के अन्तर्गत अयोग्यता नहीं मानी जाएगी ।

(ठ) यदि अन्तरिम रूप से चयनित बोली लगाने वाला व्यक्ति बोली राशि अथवा सुरक्षित जमा राशि जैसा कि इस नियम के उपबंध 'छ' के तहत वांछित है, जमा करने में असफल रहता है तो इस नियम के उपबंध 'घ' के तहत जमा की गई अग्रधन को सरकार जब्त कर लेगी तथा नियमानुसार स्वामिस्व (अतिरिक्त स्वामिस्व ) ठेका की पुनः नीलामी नियमानुसार की जाएगी ।

(ड) यदि अंतरिम रूप से चयनित बोली लगाने वाला व्यक्ति ठेका लेने से इन्कार कर देता है तो इस नियम के उपनियम 'छ' के अन्तर्गत उसके द्वारा जमा सुरक्षित राशि जब्त कर ली जाएगी ।

38. टेण्डर प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

नियम 35 के तहत स्वामिस्व (अतिरिक्त स्वामिस्व) संग्रह करने के लिए टेण्डर प्राप्त करने हेतु निम्न प्रक्रिया होगी :-

(क) टेण्डर को विभागीय राजपत्र (अथवा कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र जिसका राज्य में व्यापक प्रसार हो) में अधिसूचित किया जाएगा, समाहर्त्ता तथा जिला खनन पदाधिकारी अथवा सहायक खनन पदाधिकारी के कार्यालय में सूचना पट पर चिपकाया जाएगा । अधिसूचना को टेण्डर होने की तारीख का उल्लेख रहेगा तथा वह तारीख भी उल्लिखित रहेगा जब टेण्डर को खोला जायेगा । इस अधिसूचना की एक प्रतिलिपि शर्तों तथा बंधेजों के साथ प्रश्नगत क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाले पंचायत अथवा नगर पालिका बोर्ड को भी भेजा जाएगा ।

(ख) टेण्डर की शर्तें जिला समाहर्त्ता जिला/सहायक खनन पदाधिकारी के सूचना पट पर चिपकाई जाएगी तथा 100 रु० भुगतान पर इच्छुक टेण्डरर को उपलब्ध कराई जाएगी ।

(ग) प्रत्येक टेण्डर एक सील बन्द लिफाफे में दिया जाएगा जिसके उपर स्वामिस्व संग्रह ठेके की आवश्यक विवरणी लिखी होगी ।

(घ) प्रत्येक टेण्डर के साथ संलग्न होंगे -

(1) प्रथम 1 लाख रु० के लिए 10,000 रुपये और इसके बाद के प्रत्येक अतिरिक्त 1 लाख अथवा उसके अंश के लिए 5000 रुपये परंतु अधिकतम पाँच लाख रुपये अग्रधन क्रॉस्ड डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो जिला खनन पदाधिकारी / सहायक खनन के पदनाम से हो ।

(ङ) अग्रधन अथवा प्रस्थिति प्रमाण पत्र संलग्न किए बिना दिए गए टेण्डर स्वीकार के योग्य नहीं होंगे ।

(च) जब तक समाहर्त्ता का अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है, किसी भी टेण्डर स्वीकार योग्य नहीं होंगे ।

(छ) समाहर्त्ता से पूर्वानुमति के बिना कोई भी स्वामिस्व (अतिरिक्त स्वामिस्व) संग्रह का ठेके का टेण्डर जो 10,000 रु० अथवा कम मूल्य के हो तथा जिसमें पूर्व वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत से अधिक की गिरावट हुई हो तथा ऐसे स्वामिस्व (अतिरिक्त स्वामिस्व) संग्रह के ठेके का टेण्डर जिसका मूल्य 10,000 रु० से अधिक है तथा उसमें उसी क्षेत्र में विगत वर्ष के ठेके की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक की गिरावट हुई हो तो उसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।

(ज) टेण्डर देने वाले अथवा उनके अधिकृत एजेन्टो की उपस्थिति में, जो टेण्डर खोलने के अधिसूचित समय पर उपस्थिति हो, खोला जाएगा । टेण्डर देने वाले जिनका टेण्डर अन्तरिम रूप से स्वीकृत किया गया है उन्हें निम्नलिखित ठेके की शर्तों के समुचित अनुपालन के लिए टेण्डर राशि तथा सुरक्षित जमा राशि टेण्डर खुलने के दो दिनों के भीतर निम्न प्रकार जमा करनी होगी :-

(1) यदि टेण्डर की वार्षिक राशि 10,000 रु० से अधिक नहीं है तो इसे पूर्ण रूप से जमा कर दिया जाएगा ।

(2) यदि टेण्डर की वार्षिक राशि 10,000 रु० से अधिक है किन्तु 10 लाख रुपये से कम है तो कुल वार्षिक राशि का 25 प्रतिशत प्रथम त्रैमासिक किस्त के रूप में जमा करना होगा । अन्य त्रैमासिक किस्तो को अनुबंध में वर्णित तारीख पर अग्रिम के रूप में जमा करना होगा ।

(3) यदि टेण्डर की वार्षिक राशि 10 लाख रुपए से अधिक है तो उसकी वसूली बारह मासिक किस्तों में की जाएगी किन्तु पहली किशत 2.50 लाख से कम नहीं होगा तथा इसे अनुबंध के निष्पादन से पहले जमा किया जाएगा । टेण्डर की शेष राशि प्रत्येक महीने के 10 तारीख तक 11 मासिक किस्तों में अग्रिम रूप में जमा किया जाएगा।

(4) यदि टेण्डर की वार्षिक राशि 10 लाख रु० से अधिक नहीं है तो सुरक्षित जमा राशि टेण्डर राशि का 25 प्रतिशत होगी ।

(5) यदि टेण्डर की वार्षिक राशि 10 लाख से अधिक है तो सुरक्षित जमा राशि 2.50 लाख अथवा टेण्डर राशि का 12.5 प्रतिशत इसमें से जो भी अधिक है, वही होगा ।

(6) यदि ठेकेदार की तरफ से बिना त्रुटि के यदि ठेके को पूर्ण कर लिया गया है तो सुरक्षित जमा राशि को अन्तिम किस्त में समायोजित [illegible] ।

(झ) टेण्डर देने के क्रम में किसी भी व्यक्ति के द्वारा [illegible] किया गया हो तो उसके टेण्डर को अस्वीकृत करके दण्डित किया जा सकता है अथवा यदि आवश्यक हो तो इन नियमों के तहत उसे टेण्डर देने की तारीख से अगले तीन वर्षों तक के लिए टेण्डर देने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।

(ञ) जिस व्यक्ति का टेण्डर स्वीकृत किया गया है उसे छोड़ कर शेष व्यक्तियों के अग्रधन को टेण्डर के अन्तिम निर्णय होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर वापस कर दिया जाएगा । अग्रधन जिसे रखा गया है उसे इस नियम के उपबंध 'घ' के अनुसार सुरक्षित जमा के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी ।

(ट) ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसके पास विभागीय बकाया हो [illegible] नियम के तहत टेण्डर की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जाएगा ।

परन्तु यह कि किसी न्यायलय द्वारा कोई निषेधाज्ञा लागू की गई हो अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी ने ऐसी वसूली पर रोक लगाई हो तब इस नियम के उद्देश्य से ऐसे बकाए को अयोग्यता नहीं माना जाएगा ।

(ठ) यदि अन्तरिम रूप से चयनित टेण्डर देने वाले इस नियम के उपबंध 'अ' में वर्णित समयावधि में सुरक्षित जमा राशि जमा करने में असफल रहते है तो सरकार द्वारा उपबंध 'घ' के तहत जमा की गई अग्रधन को जब्त कर लिया जाएगा एवं [illegible] स्वामिस्व), संग्रह करने के लिए नए टेण्डर आमंत्रित किए जाएंगे ।

39. नीलामी अथवा टेण्डर द्वारा प्रदान किए गए ठेकों की पंजी :-

नीलामी अथवा टेण्डर द्वारा प्रदान किए गए ठेकों की पंजी नीलामी अथवा आमंत्रित टेण्डरों द्वारा प्रदान किए गए ठेकों की एक पंजी **प्रपत्र 'आई'** में अपने क्षेत्राधिकार में जिला खनन पदाधिकारी अथवा सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा उनके कार्यालय में संधारित की जाएगी ।

40. ठेकों का निष्पादन :-

(1) जब समाहर्त्ता द्वारा स्वामित्व (अतिरिक्त स्वामिस्व) संग्रह की ठेका की बोली / टेण्डर स्वीकृत कर ली गई हो तब बोली लगाने वाले / टेण्डर देने वाले व्यक्ति प्रपत्र (जे) में बोली टेण्डर बोली के स्वीकृत्यादेश की तारीख से एक माह के भीतर एक अनुबंध निष्पादित करेंगे । नियम 37 अथवा 38 के अन्तर्गत निर्गत एवं अधिसूचना में शामिल शर्तें, उस अनुबंध का एक हिस्सा मानें जाएंगें ।

(2) उपर्युक्त उपनियम (1) में कुछ भी अन्तर्विष्टि हो, यदि बोली लगाने वाला / टेण्डर देने वाला विहित समय सीमा में कथित अनुबंध का निष्पादन करने में असफल रहता है तो बोली / टेण्डर स्वीकृति आदेश निरस्त कर दिया जाएगा तथा नियम 37 के तहत उपबंध 'छ' एवं नियम 38 के तहत उपबंध 'ज' के अन्तर्गत सुरक्षित जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा ;

परन्तु यह कि यदि सक्षम अधिकारी जिन्होंने ठेका दिया है, वे इस तथ्य से संतुष्ट हैं कि जिन्हें ठेका प्रदान किया गया है वह औपचारिक अनुबंध के निष्पादन में हुए विलंब के लिए जिम्मेवार नहीं है तब वे उपर्युक्त अवधि के बीत जाने के बाद भी, एक समुचित समय सीमा में औपचारिक अनुबंध का निष्पादन करने की अनुमति दे सकते है ;

परन्तु यह भी कि, यदि जिन्हें ठेका प्रदान किया गया है वे उपर्युक्त विहित अवधि के समाप्त होने के पूर्व, अनुबंध के निष्पादन के लिए समय विस्तार से संबधित एक आवेदन दिए हो तो सक्षम पदाधिकारी प्रत्येक माह अथवा उसके किसी भाग के लिए हुए विलंब के लिए नियत लगान के 9 प्रतिशत की दर से दंड शुल्क के अन्तर्गत एक विहित समयावधि के समतुल्य अगली अवधि तक के लिए अनुबंध निष्पादन की समय सीमा को बढ़ा सकते हैं ।

**व्याख्या** :- अनुबंध के निष्पादन में पट्टा से संबधित दस्तावेज का निबंधन होना भी इन नियमों के अन्तर्गत शामिल होगा ।

(3) खनन पट्टा अथवा ठेका पर भारतीय संविधान की धारा 299 के अंतर्गत झारखण्ड राज्यपाल की ओर से समाहर्त्ता हस्ताक्षर करेंगे ।

## अध्याय 6

## स्वामिस्व का निर्धारण

41. स्वामिस्व का निर्धारण :-

(1) निर्धारण वर्ष के दौरान कर दाता से स्वामिस्व बकाए का मूल्यांकन तथा निर्धारण अथवा जैसा वांछित है, उसे कर दाता द्वारा उस वर्ष के विवरणी जो खनन पट्टा की शर्तों एवं बंधेजों के अनुसार वांछित है, दाखिल करने तथा उत्पादन, प्रेषण अथवा उपयोग के संबंध में संबंधित व्यक्ति द्वारा समर्पित विवरण अथवा खनिज व्यवसायी के भंडार की जाँच के बाद, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

परन्तु यह कि निर्धारण पदाधिकारी उस अवधि के लिए सांख्यिकी विवरणी की प्राप्ति के बाद मूल्यांकन वर्ष के दौरान एक विशेष अवधि के लिए अन्तरिम निर्धारण कर सकते हैं ।

(2) उप नियम '1' चाहे कुछ भी अन्तर्विष्ट हो, विवरण जो दाखिल किया गया है, विवरण जो समर्पित किया गया है तथा स्वामित्व अथवा अन्य राशियाँ जो भी जमा की गई है, के आधार पर बिना कर निर्धारण प्राधिकारी के कर मूल्यांकन आदेश के कर निर्धारण आभिलेखों को संचित किए बिना, स्वामित्व के निर्धारण को स्वतः पूर्ण माना जाएगा ।

(3) जैसा कि उप नियम '1' में उल्लिखित है, स्वामित्व के निर्धारण के उद्देश्य से करदाता आने वाले माह के 15 तारीख तक **प्रपत्र 'के' सच्ची** एवं शुद्ध मासिक विवरणी समर्पित करेंगे ।

परन्तु यह कि इस उपनियम के उद्देश्य से कर निर्धारण प्राधिकार एक नियत तारीख तथा स्वामित्व निर्धारण के लिए एक नियत स्थान निर्धारित कर सकते हैं, जब और जहाँ करदाता उत्पादन, विस्थापन उपयोग तथा भंडार, विक्रय, बिल मजदूरी की उपस्थिति, भुगतान तथा इन मामलों से संबंधित अन्य लेखा पुस्तकों के बारे में जो भी आभिलेख वांछित हो उपस्थापित करेगा ।

(4) यदि करदाता उप नियम '3' के तहत वांछित विवरणी दाखिल करने में असफल रहता है अथवा उसका दाखिल किया गया विवरणी गलत प्रतीत होता है तब कर निर्धारण प्राधिकारी जैसा उचित समझे, जाँच कर सकते है तथा अपने सर्वाधिक उत्कृष्ट निर्णयानुसार मूल्यांकन वर्ष के लिए स्वामित्व का निर्धारण कर सकते हैं ।

परन्तु यह कि इस उप नियम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही को करने के पूर्व निर्धारण प्राधिकारी करदाता को सुनवाई का समुचित अवसर देंगे ।

(5) उप नियम '4' के लिए कर निर्धारण प्राधिकारी करदाता को ऐसे एक नोटिस दे सकते है जिससे कि वह नोटिस में दिए गए तारीख तथा स्थान पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अनुचित रूप से प्राधिकृत किसी एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित हो तथा कोई साक्ष्य उपस्थापित करें अथवा उपस्थापित किए गए रिटर्न अथवा विवरणी के सत्य होने का भरोसा हो अथवा जैसा कि कर निर्धारण पदाधिकारी को आवश्यक लगे, कर मूल्यांकन वर्ष से पूर्व के पाँच वर्षों तथा कर मूल्यांकन वर्ष से संबंधित दस्तावेज अथवा ऐसे लेखा उपस्थापित कर अथवा उपस्थापित होने का कारक हो ।

(6) उप नियम '5' में वर्णित तारीख के दिन अथवा इसके बाद के किसी दिन जिसे कर निर्धारण प्राधिकारी निश्चित करे, इस बारे में करदाता द्वारा उपस्थापित साक्ष्यों की सुनवाई करने तथा विचार करने के पश्चात्, तथा ऐसे अन्य साक्ष्य तथा दस्तावेज जिसे कर निर्धारण प्राधिकारी आवश्यक समझते हों देखने के बाद करदाता द्वारा भुगतेय स्वामित्व का निर्धारण एक लिखित आदेश के तहत देंगे ।

42. गलत विवरणी दाखिल करने अथवा अशुद्ध लेखा संधारण करने अथवा चालान निर्गत करने में असफल रहने पर दंड :-

(1) यदि कोई करदाता अथवा अनुमति पत्र धारक गलत विवरणी दाखिल करता है अथवा अशुद्ध लेखा संधारित करता है (चालान निर्गत करने में असफल रहता है) तो उसे 2000/- रुपए

हो सकता है तथा उसका खनन पट्टा समाप्त हो सकता है अथवा खुली खान अनुमति पत्र रदद् किया जा सकता है ।

परन्तु यह कि समाहर्ता अन्तिम आदेश निर्गत करने के पूर्व उसके लिए कारण पृच्छा का एक समुचित अवसर दें ।

(2) यदि करदाता अथवा अनुमति पत्र धारक विहित अवधि में नियम 41 '3' के अन्तर्गत मासिक विवरणी दाखिल करने में असफल रहता है तो उसे जमा नहीं किए गए अवधि के लिए प्रतिदिन 20 रु० की दर से जो प्रत्येक माह के मासिक विवरणी के लिए अधिकतम 2500 रु० दण्ड देय होगा ।

परन्तु यह कि करदाता अथवा अनुमति पत्र धारक तीन लगातार माह तक विवरणी दाखिल करने में असफल रहता है तो उसका पटट् / अनुमति पत्र समाप्त कर दिया जा सकता है ।

43. मासिक तथा वार्षिक विवरणी जमा करने में असफल रहने अथवा स्वामित्व नहीं देने की संभावना रहने पर सर्वोतम निर्णय के आधार पर मूल्यांकन :-

यदि करदाता नियम 41 के उप नियम '3' में विहित अवधि के भीतर विवरणी दाखिल करने में असफल रहा है अथवा दाखिल किया गया विवरणी अशुद्ध है अथवा कर मूल्यांकन पदाधिकारी को ऐसा विश्वास करने का कारण मौजूद हो कि करदाता ने कोई स्वामित्व के भुगतान की अपवंचना की है या इसे टाला है, तो कर निर्धारण पदाधिकारी करदाता को सुनवाई का एक समुचित अवसर देने तथा वैसी जाँच जो वे आवश्यक समझते हैं, करने के बाद अपने सर्वोतम निर्णय के अनुसार उस अवधि के लिए स्वामित्व का निर्धारण कर सकतें हैं । इस प्रकार से निर्धारण की गई राशि तत्काल करदाता द्वारा देय होगी तथा भुगतान में असफल होने की स्थिति में, जिस राशि का निर्धारण किया गया है उसे भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूलनीय होगा ।

44. अशुद्ध रूप से मूल्यांकित स्वामित्व का निर्धारण :-

(1) यदि किसी कारण से, खनन क्षेत्र से पूर्ण या आंशिक रूप से उठाये गये खनिज अथवा खनन पट्टा क्षेत्र में उपयोग किये गए खनिज पर कोई स्वामित्व नहीं लग पाया अथवा किसी वर्ष में निम्न दर पर स्वामित्व का निर्धारण हुआ, तब कर निर्धारण प्राधिकारी कर दाता को प्रपत्र 'एल' में नोटिस देकर स्वामित्व का सही निर्धारण अथवा निर्धारण की कार्यवाही प्रारंभ कर सकते है ।

परन्तु यह कि इस उपनियम में अन्तर्विष्ट कुछ भी अपने सर्वोतम निर्णयानुसार कर निर्धारण प्राधिकारी को मूल्यांकन करने से बाधित नहीं करेगा ।

(2) समुचित मूल्यांकन की तारीख या उस तथ्य से पाँच वर्ष की समाप्ति के बाद किसी वर्ष के लिए खनिज के उपयोग के लिए उप नियम '1' के अन्तर्गत कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा ।

## अध्याय 7

### विविध

45. सामान्य त्रुटियों को सुधारने की शक्ति :-

उन नियमो के अंतर्गत सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी अथवा अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए गए आदेश में यदि कोई लिपिकीय अथवा गणितीय त्रुटि हुई है, तथा आकस्मिक भूल अथवा दोष हुआ हो तो, जैसा भी मामला हो, सरकारी प्राधिकारी अथवा अधिकारी द्वारा आदेश होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर त्रुटि को सुधारा जा सकता है ।

परन्तु यह कि जब तक किसी व्यक्ति को अपने मामले की पैरवी का समुचित अवसर नही दिया गया हो, तब तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई आदेश पारित नही किया जाएगा ।

46. खनन पटट्ा के लिए क्षेत्र की पुर्नबंदोबस्ती हेतु :-

खनन पटट्ा के लिए क्षेत्र की पुर्नबंदोबस्ती हेतु उपलब्धता प्रदान करने के लिए एक पंजी में प्रविष्टि पर हस्ताक्षर होना चाहिए । कोई भी क्षेत्र जिसमें पूर्व से एक खनन पटट्ा स्वीकृत किया गया है अथवा प्रदान करने के लिए आदेश पारित किया गया है किन्तु आदेश की मुल्य निष्पादन के पूर्व हो गई है अथवा, नियम '28' के उपनियम '1' के अन्तर्गत पटट्ा स्वीकृत करने के पारित आदेश पर निषेध लगाया गया है, ऐसा कोई भी क्षेत्र पुर्नबंदोबस्ती के लिए तब तक उपलब्ध नही होगा जब तक कि नियम 18 में निर्दिष्ट पंजी में इस आशय की प्रविष्टि नही कर दी जाती है । यह क्षेत्र जिला राजपत्र में उस दिन अधिसूचित होने के बाद ऐसी तिथि से पुर्नबंदोबस्ती हेतु उपलब्ध होगा जो इस अधिसूचना से 30 दिन से पूर्व का नही हो ।

47. अपरिपक्व आवेदन पत्र :-

वैसे क्षेत्र के लिए खनन पटट्ा प्रदान करने के लिए आवेदन जिसमें :-

(क) नियम 46 के अन्तर्गत कोई अधिसूचना निर्गत नही हुई है, अथवा

(ख) यदि ऐसी कोई अधिसूचना निर्गत हुई है तथा अधिसूचना में वर्णित अवधि यदि समाप्त नही हुई है तो उसे अपरिपक्व माना जाएगा और उस पर विचार नही किया जाएगा तथा ऐसे आवेदन के संबंध में किसी शुल्क का भुगतान किया गया हो तो उसे वापस लौटा दिया जाएगा ।

48. चालान, पंजी, रिटर्न तथा नामपट :-

(1) प्रत्येक खनन पटट्ा धारक या अनुमति पत्र धारक जो खनिज की ढुलाई रेल, सड़क अथवा नदी के माध्यम से करना चाहता है वह वाहक को प्रपत्र 'एम' में चालान निर्गत करेगा जिसे सक्षम पदाधिकारी अथवा समाहर्ता अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी द्वारा माँगे जाने पर वाहक दिखलाएगा ।

(2) प्रत्येक खनन पटट्ा धारक या अनुमति पत्र धारक फॉर्म 'एन' में एक पंजी संधारित करेगा जिसमें दिन-प्रतिदिन के उत्पादन प्रेषण को अंकित किया जाएगा । उसे एक नामपट भी निम्नलिखित सूचनाओं के साथ प्रदर्शित करना होगा -

(1) खनन पट्टाधारक या अनुमति पत्र धारक या भट्ठेदार का नाम

(2) जिस क्षेत्र पर खनन पट्टा / अनुमतिपत्र /भठठा अवस्थित है, उसका मौजा एवं खेसरा नम्बर

(3) अब एक कुल निष्कासित खनिजों का आयतन

(4) उस तिथि को स्थल पर उपलब्ध खनिज का भंडार

(3) प्रत्येक खनन पटट्ा धारक अथवा अनुमति-पत्र धारक प्रत्येक माह को पन्द्रहवीं तारीख तक उसके पूर्ववर्त्ती माह के खनिजों का सही एवं शुद्ध विवरणी सक्षम पदाधिकारी को प्रपत्र 'के' में दाखिल करेगा ।

(4) प्रत्येक खनन पटट्ा अथवा अनुमति-पत्र धारक सक्षम पदाधिकारी या उपनिदेशक, खान, अपर निदेशक, खान या निदेशक, खान या किसी अन्य पदाधिकारी जो कि समाहर्त्ता अथवा सक्षम पदाधिकारी द्वारा उनके बदले में प्राधिकृत किया गया हो, को खनिजों के लिए निरीक्षण, सत्यापान अथवा जाँच के लिए सभी समुचित सुविधाएँ प्रदान करेगा ।

(5) यदि पटट्ा धारक / अनुमति पत्र धारक अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिन्होंने खनिज का निष्कासन किया है उनके द्वारा समर्पित लेख विवरण अथवा साक्ष्य उप नियम-1 में प्राधिकृत किसी अधिकारी के विचार में यदि पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से गलत, अधूरे अथवा अविश्वसनीय पाए जाते है तो संबंधित पदाधिकारी सक्षम पदाधिकारी को तथ्य से अवगत कराएगा जो अपने, सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर दाता से बकाए की राशि के निर्धारण की कार्यवाही प्रारंभ करेगा ।

परन्तु यह कि यदि सक्षम अधिकारी का स्वयं का ऐसा विचार हो तो तत्काल अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार पटट्धारी के विरुद्ध बकाए स्वामिस्व की राशि के निर्धारण की कार्यवाही प्रारंभ करेगा । परन्तु यह भी कि खनिज का क्रेता जो सक्षम पदाधिकारी से स्वामित्व स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता है वह वाहक को निर्गत प्रपत्र 'एम' में चालान को रख लेगा तथा सक्षम पदाधिकारी चालान प्रपत्र 'एम' में प्रस्तुत किए जाने पर चालान में अंकित प्रेषित मात्रा का स्वामित्व स्वच्छता प्रमाण-पत्र जारी कर देगा ।

(6) यदि कोई पटट्धारक अनुमति-पत्र धारक उपनियम-2 में विहित सूचना पटट् को प्रदर्शित करने में असफल रहेगा तो उसे 1000 'एक हजार रुपये' दण्ड देय होगा ।

49. इन नियमों का सभी नवीकरणों पर लागू होना :-

यदि एक खनन पटट्ा जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रदान किया गया है किन्तु इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद नवीकरण किया गया है तो ये नियम ऐसे नवीकरण के लिए लागू होंगे जैसा कि प्रारम्भ होने के बाद खनन पट्टा प्रदान करने के लिए लागू थे ।

50. खनन पट्टा की व्याख्या :-

प्रत्येक खनन पट्टा में पटटाधारी के संबंध में या किसी अन्य मामले में विवाद होने पर पट्टा के शर्तों एवं बंधेजों के अनुपालन अथवा पट्टे में लघु खनिजों से संबंधित किसी मामलें अथवा खुली खान में कार्य अथवा अकार्य स्वामिस्व की राशि अथवा नियत लगान एवं राशि अथवा इसके सक्षम पदाधिकारी को भुगतान का तरीका, इन सभी पर समाहर्त्ता एवं स्वीकृति करने वाले प्राधिकारी का जो निर्णय होगा वह अन्तिम तथा पट्टाधारक पर बाध्यकारी होगा ।

51. विशेष मामलों में इन नियमों की शिथिलता :-

किसी मामले में यदि सरकार का यह विचार है कि यदि यह जनहित में है तो सरकार इन नियमों के अधीन विहित शर्तों के अलावा भी खनन पट्टा प्रदान कर सकती है अथवा खुली खान अनुमति पत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है।

52. लगान स्वामिस्व तथा दण्ड वसूलने का तरीका :-

इन नियमों के अन्तर्गत देय लगान स्वामिस्व तथा दण्ड को बिहार एवं उडीसा पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट 1914 के तहत पब्लिक डिमाण्ड के रूप में वसूला जाएगा।

53. दस्तावेज उपलब्ध कराने में असफल रहने पर दण्ड :-

यदि पट्टाधारी अथवा इसके हस्तान्तरण ग्राही अथवा जिसे यह दिया गया है, वह इन नियमों के अन्तर्गत संधारित किए जाने वाले कागजातों के उपस्थापन में असफल रहता है अथवा यदि सक्षम पदाधिकारी अथवा उप निदेशक, खान अथवा अपर निदेशक, खान अथवा निदेशक, खान अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी को प्रवेश करने अथवा जाँच करने से रोकता है तो उसे अधिकतम छ: माह को साधारण कैद अथवा पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों साथ-साथ द्वारा दण्डित किया जा सकता है ।

54. लघु खनिजों के अनधिकृत रूप से उत्खनन तथा परिवहन के लिए दण्ड :-

(1) कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के विरुद्ध लघु खनिजों का उत्खनन करते है अथवा उनकी ओर से यदि किसी एजेण्ट मैनेजर, किसी कर्मचारी अथवा किसी ठेकेदार द्वारा ऐसा उत्खनन अथवा परिवहन किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति लघु खनिज के अवैध निष्कासन के भागीदार समझे जाएगें तथा ऐसे सभी को साधारण कैद की सजा होगी जो अधिकतम छ: माह तक चलेगी अथवा अधिकतम 5000 रुपये जुर्माना होगा या दोनो सजाएँ एक साथ चलेगी ;

(2) यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनिज का उत्खनन करता है तो सक्षम पदाधिकारी अथवा उपनिदेशक, खान अथवा अपर निदेशक, खान अथवा निदेशक, खान ऐसे अपराध करने में प्रयुक्त सभी औजारें संयत्रों के साथ लघु खनिजों को जब्त कर सकते है ।

(3) सक्षम पदाधिकारी अथवा उपनिदेशक खान अथवा अपर निदेशक, खान अथवा निदेशक, खान जिन्होने उप नियम (2) के तहत लघु खनिज के किसी ठेकेदार द्वारा ऐसा उत्खनन अथवा परिवहन किया जाता है तो ऐसे प्रत्यके व्यक्ति लघु खनिज के अवैध निष्कासन के भागीदार समझे जाएगें तथा ऐसे सभी को साधारण कैद की सजा होगी जो अधिकतम छह माह तक चलेगी अथवा अधिकतम 5000 रुपये जुर्माना होगा या दोनों सजाएँ एक साथ चलेगी ।

(4) सक्षम पदाधिकरी अथवा उपनिदेशक खान अथवा अपर निदेशक, खान अथवा निदेशक, खान जिन्होंने उप नियम (2) के तहत लघु खनिज अथवा सयंत्र वाहन को जब्त किया है, वे उसके दावेदार द्वारा उस अपराध के विचारण के क्षेत्राधिकारित वाले न्यायालय में विमुक्ति सम्पत्ति के प्रस्तुतिकरण का बंध -पत्र निष्पादित किए जाने पर विमुक्ति आदेश दे सकता है ।

(5) सक्षम पदाधिकारी अथवा उप निदेशक, खान अथवा अपर निदेशक, खान अथवा निदेशक, खान इन नियमों का उल्लंघन करते हुए लघु खनिज का उत्खनन अथवा परिवहन अथवा खनिजों का स्थानान्तरण किसी व्यक्ति को करते हुए पाए जाने पर बिना किसी दण्डाधिकारी के आदेश अथवा गिरफ्तारी वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते है।

(6) सक्षम पदाधिकारी अथवा उप निदेशक, खान अथवा अपर निदेशक, अथवा निदेशक, खान उप नियम (4) के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, उस व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के संबंध में एक लिखित शिकायत पत्र के साथ उस मामले में क्षेत्राधिकार वाले दण्डाधिकारी के समक्ष 24 घंटे के भीतर ले जाएगा अथवा भेज देगा ।

(7) यदि किसी वाहन का कोई चालक लघु खनिज की परिवहन करते समय सक्षम पदाधिकारी अथवा निदेशक, खान अथवा अपर निदेशक, खान अथवा उप निदेशक, खान अथवा समाहर्ता अथवा आयुक्त अथवा समाहर्ता या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी को प्रपत्र 'एम' में चालान दिखाने में असफल रहता है अथवा निरीक्षण से इन्कार करता है तो उसे साधारण कैद जो छः माह तक हो सकती है अथवा दण्ड जो 1000 'एक हजार रुपये' तक हो सकती है अथवा दोनों एक साथ द्वारा दण्डित किया जा सकेगा है ।

(8) कोई भी व्यक्ति जिसके पास वैध खनन पट्टा / अनुमति-पत्र नहीं है, यदि वह लघु खनिजों का निष्कासन करता है अथवा इन नियमों के विरुद्ध उसकी ओर से कोई एजेण्ट, मैनेजर या किसी ठेकेदार के द्वारा ऐसा निष्कासन किया जाता है तो वह लघु खनिजों के अवैध निष्कासन का आरोपी होगा तथा उससे खनिजों के मूल्य के बराबर तक का दण्ड वसूलनीय होगा साथ ही सरकार ऐसे व्यक्ति से जैसा कि मामला बनता हो, भूमि पर बिना वैध प्राधिकारी की अनुमति से किए गए कब्जे की अवधि का लगान, स्वामित्व या कर की वसूली किसी अन्य कानून या नियम जो उस वक्त लागू हो, में उसके विरुद्ध की जाने वाली कारवाई के पूर्वाग्रह के बिना की जा सकेगी ।

55. कार्य विभागों को लघु खनिजों की आपूर्ति :-

(1) स्वामित्व की अपवंचना को रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि कार्य ठेकेदार खनिजों को केवल, पट्टाधारकों, अनुमति-पत्र धारकों तथा प्राधिकृत डीलरों से ही खरीदेंगे तथा कार्य विभाग जो किसी अनुबंध के तहत कार्य विभाग के कार्य सम्पादित होने पर कार्य ठेकेदार द्वारा उपयोग किए गए खनिजों का मूल्य वसूल करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत विपत्र की पावती नहीं करेगा, यदि कार्य ठेकेदार द्वारा इन विपत्रों के साथ प्रपत्र 'ओ' में एक शपथ पत्र तथा प्रपत्र-'पी' में विवरणी इन नियमों के अंतर्गत शपथ-पत्र एवं विवरणी की छाया प्रति के साथ संलग्न नहीं की जाती है । उस पदाधिकारी, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से यह विपत्र प्राप्त किया जाता है वह जाँच हेतु इस शपथ पत्र तथा विवरणी की एक छाया प्रति उस जिला खनन पदाधिकारी या सहायक खनन पदाधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में वह खनिज कथित रूप से खरीदा गया है, को सत्यापन हेतु भेजेगा ।

(2) जिला खनन पदाधिकारी या सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा शपथ-पत्र तथा विवरणी की जाँच लम्बित रहने तक विभाग स्वामित्व की दुगनी राशि के बराबर की राशि को रोक कर रखेगा जो सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद विमुक्त की जाएगी ।

(3) यदि संबंधित जिला खनन पदाधिकारी या सहायक खनन पदाधिकारी की जाँच के बाद उक्त शपथ-पत्र में उल्लिखित तथ्य जांचोपरांत पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से असत्य पाए जाते है तो यह माना जाएगा कि संबंधित खनिज अवैध खनन द्वारा प्राप्त किया गया है और इस परिस्थिति में संबंधित जिला खनन पदाधिकारी या सहायक खनन पदाधिकारी ऐसे शपथकर्ता के विरुद्ध नियम 55 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

परन्तु यह कि यदि कार्य ठेकेदार इस प्रकार से उपभोग [illegible] किए गए खनिजों जैसा कि उसने अपने शपथ पत्र अथवा विवरणों में बताया है के स्वामित्व की राशि का दुगुना भुगतान कर देता है तब उक्त जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी स्वविवेकानुसार इन नियमों में जैसा की विहित है, कोई कार्यवाही नहीं भी कर सकता है ।

(4) उप नियम-1 तथा 2 के अनुपालन नहीं होने की स्थिति में जिस उत्तरदायी व्यक्ति ने उपनियम 1 तथा 2 का अनुपालन नहीं किया है उसके विरुद्ध जिला समाहर्त्ता स्वामिस्व की पूरी राशि के बराबर या कोई राशि का दण्ड लगा सकते हैं ।

**व्याख्या** - इस नियम के उद्देश्य के लिए -

(क) कार्य विभाग का अर्थ है केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभाग और इसमें शामिल है केन्द्र अथवा राज्य सरकार की कम्पनी, निगम, उपक्रम स्वायत्त सरकारी निकाय जो कार्य ठेकेदारों को किसी प्रकार के निर्माण कार्य में अपनी ओर से लगाता है ।

(ख) कार्य ठेकेदार का अर्थ है कि एक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा व्यक्तियों का संगठन अथवा निकाय जिनके द्वारा उस कार्य विभाग के साथ अनुबंध के अंर्तगत उस विभाग का कार्य किया जाता है ।

56. निजी कंपनियों द्वारा किया गया अपराध :-

निर्माण कार्य में संलग्न सभी संवर्धक या निजी कम्पनियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि उपभोग किया जाने वाला लघु खनिज, पट्टा धारक या अनुज्ञप्ति पत्र धारक [illegible] से वैध चालान के माध्यम से क्रय किया गया है और ऐसा करने में असफल रहने पर [illegible] स्वामिस्व के साथ-साथ स्वामिस्व के बराबर की दण्ड की पूरी राशि जमा करनी होगी ।

57. लिखित शिकायत अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर संज्ञेय अपराध :-

इन नियमों के अन्तर्गत दण्डित किये जाने वाले किसी अपराध के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी से निम्न स्तर के किसी दण्डाधिकारी के न्यायालय में मुकदमा नहीं चल सकता है तथा सक्षम पदाधिकारी, अथवा उपनिदेशक, खान अथवा अपर निदेशक, खान अथवा निदेशक, खान समाहर्त्ता अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज कराने या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के अतिरिक्त इन नियमों के अन्तर्गत कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकते है ।

58. अपराधों को शमन करना :-

सक्षम पदाधिकारी, समाहर्त्ता की सहमति प्राप्त करके किसी व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किए गए मामले को शमन कर सकते हैं । जहाँ कोई मामला उपनिदेशक, खान अथवा अपर निदेशक, खान अथवा

निदेशक, खान, समाहर्ता अथवा सरकार द्वारा शक्ति प्रदत्त किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा कोई मामला दर्ज किया गया है तो सक्षम पदाधिकारी, आयुक्त की सहमति से किसी व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज मामले का शमन कर सकते है ।

59. शुल्क तथा राशि किस प्रकार जमा की जाएगी :-

इन नियमों के अन्तर्गत कोई भी देय राशि शीर्ष "XXXII सी" - विविध सामाजिक तथा विकास संगठन विविध (1) खनिज रियायत तथा नवीकरण स्वीकृत के लिए शुल्क (2) खनन पट्टाधारकों एवं अनुज्ञापत्र धारकों से प्राप्त लगान तथा स्वामिस्व के अन्तर्गत चालान के माध्यम से कोषागार में जमा किया जाएगा ।

60. बकाए राशि पर सूद :-

सरकार इस अधिनियम में अंतर्विष्ट अथवा इन नियमों के अधीन कोई नियम के प्रावधानों से पूर्वाग्रह के बिना किसी लगान, स्वामित्व अथवा शुल्क (नियम 65 के अन्तर्गत देय शुल्क को छोड़ कर) अथवा सरकार की कोई भी बकाया राशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण सूद लेगी ।

61. बचाव तथा समाप्ति :-

इन नियमों के प्रारंभ होने पर, बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 को समाप्त समझा जायेगा, सिर्फ प्रारम्भण के पूर्व किए गए कार्यों एवं अवशिष्टों को छोड़ कर ।

## अध्याय 8

62. अपील तथा पुनरीक्षण :-

(1) पुनरीक्षण के लिए आवेदन -

आयुक्त स्वप्रेरणा पर किसी भी समय पर अभिलेख में कारणों को लिखित रूप से अंकित करते हुए एवं किसी व्यक्ति के समाहर्त्ता अथवा स्वीकृति पदाधिकारी द्वारा इन नियमों के अंतर्गत पारित आदेश से असंतुष्ट होने पर अथवा आवेदन दाखिल किए जाने पर आदेश के संसूचन के 60 दिनों के भीतर या समाहर्त्ता / स्वीकृति पदाधिकारी द्वारा स्वतः अस्वीकृति आदेश के 75 दिनों के भीतर यदि ऐसी स्वतः अस्वीकृति की संसूचना नहीं की गई है इस आदेश के पुनरीक्षण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करेंगे । परन्तु यह कि पुनरीक्षण हेतु आवेदन उपरोक्त वर्णित उपबंध के बाद भी स्वीकार किया जा सकता है, यदि आवेदक आयुक्त को इस तथ्य से संतुष्ट करें कि उसके ससमय आवेदन नही करने के यथेष्ट कारण थे ।

(2) खनन पट्टा स्वीकृत करने अथवा नवीकरण करने से इन्कार करने वाले समाहर्त्ता के आदेश के विरुद्ध उपनियम (1) के अन्तर्गत चलने वाली प्रत्येक कार्यवाही में यदि उसी क्षेत्र अथवा उस क्षेत्र के किसी अंश में यदि किसी व्यक्ति को खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है अथवा नवीकृत किया गया है तो उसे भी एक पक्षकार बनाया जाएगा ।

(3) उपनियम (1) के अन्तर्गत आवेदन के साथ आवेदक उपनियम (2) के पक्षकारों की संख्या के अनुरूप जितनी प्रतियाँ वांछित हो, देगा ।

(4) उपनियम (2) के अन्तर्गत आवेदन तथा उसकी प्रतियाँ प्राप्त करने के पश्चात् आयुक्त आवेदन की एक प्रति एवं जहाँ स्वयं आयुक्त की स्वप्रेरणा पर उपनियम (1) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई है, सभी पक्षकारों को कार्यवाही प्रारंभ होने की सूचना भेजेंगे जिसमें एक तारीख तय होगी जिससे अथवा उसके पूर्व इस पुनरीक्षण आवेदन के विरुद्ध यदि वे चाहें तो प्रतिनिधित्व कर सकते है ।

63. पुनरीक्षण आवेदन पर आदेश :-

(1) नियम 62 के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर (एवं यदि स्वयं आयुक्त की स्वप्रेरणा पर कार्यवाही प्रारंभ की गई हो तब) इसकी सूचना समाहर्त्ता अथवा स्वीकृति पदाधिकारी तथा मुकदमें की सभी पक्षकारों को दी जाएंगी तथा उन्हें एक विशेष अवधि कि भीतर अपना मत प्रकट करने के लिए जैसा वे चाहें समय दिया जाएगा और यदि उनके द्वारा उस विशेष अवधि के भीतर कोई मत आयुक्त को नही प्राप्त होता है तो यह माना जायेगा कि पार्टी, अथवा समाहर्त्ता अथवा स्वीकृति पदाधिकारी, जैसा भी मामला हो, जिन्हें भी ऐसी टिप्पणी या मत प्रकट नही किया है, उन्हें अब कोई टिप्पणी या मत नहीं प्रकट करना है तथा मामले को आयुक्त द्वारा निपटा दिया जाएगा।

(2) आयुक्त, समाहर्त्ता अथवा स्वीकृति पदाधिकारी से जिस मामले के लिए पुनरीक्षण आवेदन दिया गया है (अथवा आयुक्त के द्वारा स्वयं कार्यवाही प्रारंभ की गई है) उस मामले का अभिलेख मंगा सकते है ।

(3) उप नियम (2) में वर्णित अभिलेखों पर विचार करने के बाद आयुक्त इस आदेश को अभिपुष्ट, संशोधित अथवा निरस्त जैसा कि आयुक्त उचित समझें ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं एवं आयुक्त का आदेश अन्तिम होगा ।

(4) एक आवेदन के अन्तिम निपटारे को लम्बित रहने की स्थिति में आयुक्त उस आदेश जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण दायर किया गया है, के कार्यान्वयन को यथेष्ट कारणों से स्थगित कर सकते है ।

64. अभिलेखों का पुनरीक्षण :-

आयुक्त आदेश पारित होने के बाद से छः वर्ष के भीतर या तो स्वप्रेरणा पर अथवा उनके समक्ष आवेदन दिए जाने पर किसी भी कार्यवाही के अभिलेखों को जिसमें नियम 62 (5) के अन्तर्गत प्रति नियुक्त उपनिदेशक, खान के द्वारा आदेश पारित किया गया है, को किसी भी समय मंगा सकते है ताकि जैसा वे आवश्यक समझते है वैसी जाँच की वैधता से वे संतुष्ट हो सके एवं जैसा वे उचित समझते है वैसा आदेश पारित कर सकते है । आयुक्त उक्त पदाधिकारी को उपयुक्त समझें उस पदाधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित भी कर सकते है । परन्तु यह कि बिना आवेदक तथा उस प्राधिकारी को जिसके आदेश का पुनरीक्षण याचित हो उनके प्रतिनिधित्व एवं जिम्मेवारी के पर्याप्त अवसर प्रदान किए बिना इस नियम के तहत कोई भी आदेश पारित नही किया जाएगा ।

परन्तु और भी है कि यदि किसी आदेश की पुनरीक्षण करने हेतु कोई आवेदन दिया गया है तो इन आवेदनों को तभी स्वीकार जाएगा, जब वे जिस आदेश का पुनरीक्षण चाहते हैं, उस आदेश पारित होने के बाद उसके संसूचना की तारीख से 90 दिन के भीतर दिए गए हों। आवेदन के

साथ एक कोषागार रसीद संलग्न होना चाहिए जिसमें यह प्रदर्शित किया गया हो कि सरकारी कोषागार में अथवा भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा जो राज्य सरकार के खाते में कोषागार के माध्यम से व्यवसाय कर रहा है, में लेखा शीर्ष XXXII. सी विविध सामाजिक तथा विकास संगठन विविध (1) खनिज रियायत तथा नवीकरण स्वीकृति के लिए शुल्क (2) खनन पट्टा तथा अनुज्ञप्ति धारकों से प्राप्त लगान तथा स्वामिस्व के रूप में 100 रु० का भुगतान किया गया हो ।

65. अपील :-

(1) इन नियमो के अधीन किसी भी सक्षम पदाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में पारित किसी आदेश से अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो वह उस आदेश के 30 दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्र के उपनिदेशक खान के पास अपील कर सकता है ।

(2) प्रत्येक अपील के लिए 50 रु० का शुल्क अदा करना होगा । अपील के ज्ञापन के साथ कोषागार रसीद संलग्न होना चाहिए जिसमें यह प्रदर्शित होगा कि अपील का शुल्क सरकारी कोषागार में अथवा भारतीय स्टेट बैंक की कोई भी शाखा जो राज्य सरकार के खाते में कोषागार के माध्यम से व्यवसाय कर रहा है, में लेखा शीर्ष XXXII. सी विविध सामाजिक तथा विकास संगठन विविध (1) खनिज रियायत तथा नवीकरण स्वीकृति के लिए शुल्क (2) खनन पट्टा एवं अनुज्ञप्ति धारकों से प्राप्त लगान तथा स्वामिस्व के रूप में जमा किया गया हो ।

(3) नियम 41 (1) के अंतर्गत सक्षम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि आवेदक ने सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत भुगतान नहीं कर दिया हो ।

(4) अपील सुनने वाले प्राधिकारी अपील के अंतर्गत आदेश को, आवेदक को सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद यदि आवश्यक हो तो संबंधित पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद उस आदेश को अभिपुष्ट, संशोधित अथवा निरस्त कर सकते हैं ।

(5) यदि अपील सुनने वाले प्राधिकारी सक्षम पदाधिकारी के पारित आदेश को संशोधित करते हैं तथा उस संशोधन द्वारा लगान स्वामित्व के मामले में यदि वापसी दी गई हो तो वह उस आदेश की अभिप्रमाणित प्रति तथा तीन सच्ची प्रतिलिपि खान अनुरक्षक को भेजेंगे ।

66. खनिजों के मूल्य निर्धारण की विधि :-

(1) सक्षम पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर समाहर्त्ता निम्न कारकों पर विचार करते हुए जनहित में किसी भी खनिज का मूल्य निर्धारण कर सकते हैं :-

(क) उत्पादन लागत

(ख) संचालन मूल्य

(ग) परिवहन लागत

(घ) स्वामिस्व, वाणिज्यकर तथा अन्य कर

(ङ) लाभांश

(च) कोई अन्य स्थानीय परिस्थितियाँ

(2) राज्य सरकार समाहर्त्ता को मूल्य निर्धारण हेतु कारकों पर विचार करने के लिए समय समय पर अनुदेश निर्गत कर सकती है ।

67. खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर लघु खनिज के व्यवसाय के लिए अनुज्ञापन :-

(1) वैसा प्रत्येक व्यक्ति जो खनन पट्टा / अनुमति क्षेत्र से बाहर लघु खनिज का व्यवसाय करता है, उसे सक्षम पदाधिकारी से प्रपत्र 'क्यू' में एक अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा ।

(2) प्रपत्र 'क्यू' में अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ संलग्न होगा :-

(क) 5000 रु० का शुल्क तथा जिस भूमि अथवा जहाँ की भूमि जिसके लिए आवेदन दिया जा रहा है उन की विवरणी तथा खतियान के संबंधित अंशों की अभिप्रमाणित प्रति अथवा प्रतियाँ। प्रत्येक अनुज्ञापत्र को 1000 रु० शुल्क के साथ आवेदन देने पर नवीकृत किया जा सकता है।

(ख) विगत कैलेंडर वर्ष के अंत में स्वामित्व, नियत लगान तथा भूतल लगान खनन बकाए के संबंध में एक वैध स्वामित्व स्वच्छता प्रमाण-पत्र अथवा इस आशय का एक शपथ पत्र कि आवेदक पट्टा धारक अथवा अनुमति-पत्र धारक नहीं था तथा उसके पास कोई खनन बकाया नहीं है ।

(3) एक शपथ पत्र जिसमें घोषित हो कि आवेदन में -

(क) अध्यतन आय कर रिटर्न दाखिल कर दिया गया है ।

(ख) आवेदक के उपर मूल्यांकित आय कर का भुगतान कर दिया गया है, तथा

(ग) जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 में प्रावधान है, स्वमूल्यांकन के आधार पर आय कर का भुगतान कर दिया गया है ।

(4) लिखित रूप से एक बयान कि आवेदक ने यदि भूमि उसके स्वामित्व में नहीं है तो उसने भूमालिक से ऐसा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए अनुमति प्राप्त ली है ।

(5) सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत स्थायी निवास पता के संबंध में प्रमाण-पत्र तथा हाल के पासपोर्ट आकार के 3 प्रति में फोटोग्राफ ।

(6) यदि अनुज्ञापत्र / अनुज्ञापत्र के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ उप नियम 2 (1), (2), (3), (4) तथा (5) में वर्णित कागजात संलग्न नहीं किये जायेंगे तब उसकी प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर सक्षम पदाधिकारी द्वारा उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरान्त अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

(3) ऐसा प्रत्येक अनुज्ञापत्र एक कैलेंडर वर्ष के लिए वैध होगा ।

(4) उप नियम (1) में उल्लिखित सभी व्यक्ति ऐसे खनिजों को वैध परिवहन चालान के माध्यम से अनुज्ञापत्र / अनुमति-पत्र धारकों से खरीदेंगे तथा सभी खनिजों के क्रय एवं

विक्रय से संबंधित लेखो को प्रपत्र 'पी' में संधारित करेंगे जिस जाँच हेतु आयुक्त निदेशक, खान, अपर निदेशक, खान अथवा उप निदेशक, खान अथवा सक्षम पदाधिकारी के समक्ष निरीक्षण हेतु उपस्थापित किया जाएगा ।

(5) उप नियम (1) में उल्लिखित सभी व्यक्ति अपने भंडार से खनिज का प्रेषण करते समय प्रत्येक वाहन, ट्रक अथवा नाव आदि में प्रपत्र 'एम' में परिवहन चालान निर्गत करेंगे तथा प्रत्येक माह के 15 तारीख तक प्रपत्र 'के' में पूर्ववर्त्ती माह के खनिजों के लिए सक्षम पदाधिकारी को एक सच्ची तथा शुद्ध विवरणी दाखिल करेंगे ।

(6) यदि कोई व्यक्ति जो लघु खनिजों का व्यवसाय कर रहा है अथवा खनन पट्टा धारक जो अपने खनन क्षेत्र से बाहर व्यवसाय कर रहा है तथा प्रपत्र 'क्यू' में अनुज्ञापत्र प्राप्त करने में असफल रहता है अथवा प्रपत्र 'एन' में पंजी संधारित नहीं करता है अथवा प्रपत्र 'एम' में चालान निर्गत नहीं करता है तो वह साधारण कैद जो एक वर्ष तक बढाई जा सकती है अथवा 1000 रु० तक जुर्माना अथवा दोनों साथ साथ द्वारा दंडित किया जा सकता है ।

(7) यदि नियम 44 कि अन्तर्गत पदाधिकारियों के विचार में अनुज्ञापत्र धारक द्वारा उपस्थापित किए गए लेखा, रिर्टन तथा अन्य साक्ष्य पूर्ण रूप से तथा आंशिक रूप से गलत, अधूरे अथवा अविश्वसनीय हो तो संबंधित पदाधिकारी सक्षम पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे जो अनुज्ञापत्र धारक के उपर स्वामित्व के बकाए कि राशि का अपने सर्वोत्कृष्ट निर्णय द्वारा निर्धारित करने कि कार्यवाही प्रारंभ करेंगे ।

परन्तु यह कि यदि सक्षम पदाधिकारी का स्वयं का ऐसा विचार है तो वह ऋण दाता के उपर स्वामित्व के बकाए की राशि का अपने सर्वोत्कृष्ट निर्णय द्वारा निर्धारण करने की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करेंगे ।

(8) नियम 67 के तहत सक्षम पदाधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट हो तो ऐसे आदेश के 30 दिनों के भीतर वह संबधित क्षेत्र के उपनिदेशक, खान के पास अपील दायर कर सकता है, जो नियम 65 के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया से सभी आवेदनों का निपटारा करेंगे ।

## अध्याय 9

68. भूसतह के स्वामी को क्षतिपूर्ति का भुगतान इत्यादि :-

(1) खनन पट्टा धारक को, जिस भूमि के लिए अनुज्ञापत्र तथा जैसा भी मामला हो खनन पटटा दिया गया है, उस भूमि की भूसतह के स्वामी को उपनियम (2) से (4) में दिए गए तरीके से, उसके बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना के द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जाएगा ।

(2) उपनियम (4) में उल्लिखित भूमि के अलावे कृषि भूमि के मामले में वार्षिक क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण उसी प्रकार की भूमि में विगत 3 वर्षों की कृषि आय के औसत आधार पर किया जाएगा ।

(3) कृषि भूमि नहीं होने के मामले में वार्षिक क्षतिपूर्ति की राशि उस प्रकार की भूमि में विगत तीन वर्षों तक भाड़ा में देने पर जो औसत वार्षिक राशि होगी, उस आधार पर उसकी गणना होगी ।

(4) वार्षिक क्षतिपूति राशि जो उप नियम (1) में उल्लिखित है, उसका भुगतान उस बारे में राज्य सरकार द्वारा वर्णित तारीख पर अथवा उस तारीख से पहले देय होगी ।

69. नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन :-

(1) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टा के समाप्ति के बाद खनन अथवा पूर्वेक्षण कार्य करने के कारण भूमि के किसी नुकसान का मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा तथा जैसा भी मामला हो भूसतह के स्वामी को खनन पट्टा धारक द्वारा अथवा अनुज्ञप्ति धारक द्वारा देय क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण किया जाएगा ।

(2) ऐसे प्रत्येक मूल्यांकन कार्य, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टा की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस हेतु अधिसूचना से नियुक्त अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाएंगे ।

70. नेक नीयत से किए गए कार्य पर सुरक्षा :-

इन नियमों के अंतर्गत नेक नीयत से किए गए अथवा आशय से किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा, अभियोजन अथवा अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं चलेगी ।

## अनुसूची - 1

(देखे नियम 29 '1' 'क')

नियत लगान

| अवधि | नियत लगान की राशि |
|---|---|
| खनन पट्टा की सम्पूर्ण अवधि के लिए रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर | 9000 रु० (नौ हजार रुपये) प्रति एकड़ प्रति वर्ष |

## अनुसूची - 2

(देखे नियम 29 '1' 'ख)'

स्वामिस्व

| क्रम संख्या | खनिज का नाम | प्रति घन मीटर की दर (रु० में) |
|---|---|---|
| 1. | बोल्डर, बजरी, शिंगल | 50.00 |
| 2. | बोल्डर, बजरी, शिंगल जो चिप्स बनाने में प्रयोग होता है | 100.00 |
| 3. | संरचना कार्य हेतु साधारण बालू | 25.00 |
| 4. | ईंट की मिट्टी "400 मानक ईंटों के समतुल्य" | 08.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | साधारण मिट्टी<br>रानी गंज टाईल्स के उत्पादन तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिए मिट्टी | 15.00 |
| 6. | लाइम सेल, कंकड़ तथा चूना पत्थर जो चूना बनाने के लिए भठ्ठे में उपयोग होता है तथा बटन बनाने के लिए लाईम सेल | 60.00 |
| 7. | मुरम | 30.00 |
| 8. | बॉल मिल के लिए उपयोग किए जाने वाले चाल्सीडोनी पत्थर | 40.00 |
| 9. | भवन बनाने अथवा सड़क निर्माण के लिए तथा घरेलु बरतन बनाने के लिए क्वार्टजाइट तथा बलुआ पत्थर | 40.00 |
| 10. | रेह मिट्टी | 12.00 |
| 11. | साल्टपीटर | 16.00 |
| 12. | भवन बनाने हेतु स्लेट तथा सेल | 40.00 |
| 13. | पुल्लर मिट्टी | 52.00 |
| 14. | पीसने वाले पत्थर सहित घर का बर्तन बनाने के लिए व्यवहृत पत्थर | 20.00 |
| 15. | पत्थर के सेट्टस तथा पत्थर की ईंटें | 40.00 |
| 16. | पत्थर चूर्ण | शून्य |
| 17. | ग्रेनाइट सजावटी पत्थर के रूप में व्यवहृत किए जाने पर प्रति सैकड़ा | |
| | 1. खण्ड "60 से.मी. से बड़ा" | 300.00 |
| | 2. खण्ड "60 से.मी. से छोटा" | 150.00 |
| 18. | संगमरमर :- | |
| | 1. खण्ड "60 से.मी. से बड़ा" | 250.00 |
| | 2. पटिया "20 से.मी. से छोटा" | 300.00 |
| | 3. बोल्डर तथा चिप्स | 150.00 |
| | 4. चूर्ण | 100.00 |
| 19. | अन्य खनिज | विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत |

नोट :- क्रम सं0-1 एवं 2 में उल्लेखित खनिजों की स्थिति में बनाए गए खनिज के दो वर्गों की पहचान किए गए क्षेत्र को नियमानुसार अलग से अधिसूचित किया जाएगा ।

## अनुसूची - 3

| क्रम सं० | क्षेत्रों का वर्ग | कॉलम 2 मे दर्शाये गये वर्ग में शामिल क्षेत्र-जिला का नाम एवं क्षेत्र | कॉलम 3 में प्रदर्शित क्षेत्र में स्थित प्रति चिमनी भट्ठा एवं बंगला भट्ठा निर्मित ईंट की निर्धारित संख्या | कॉलम 4 में प्रदर्शित ईंट की संख्या पर प्रति वर्ष प्रति भट्ठा पर देय स्वामिस्व की समेकित राशि 'रु० में' |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | i | यांत्रिक चिमनी भट्ठा सेटअप द्वारा निर्मित ईंट | 45 लाख | 90000.00 |
| 2. | ii | शहरी क्षेत्र राँची, जमशेदपुर बोकारो, धनबाद, डालटेनगंज, देवघर | 45 लाख ईंट | 90000.00 |
| 3. | iii | अन्य शहरी क्षेत्र | 35 लाख | 70000.00 |
| 4. | iv | ग्रामीण क्षेत्र | 25 लाख | 50000.00 |
| 5. | v | बंगला भट्ठा | 1 लाख | शून्य |
| 6. | vi | प्रति अतिरिक्त लाख के लिए | | 3000.00 |

## अनुसूची – 4

### प्रपत्र 'ए'

देखें नियम 9 (2)

लघु खनिजों के खनन पट्टा के लिए आवेदन का प्रपत्र-

दिनांक ........................ वर्ष 20.......... की तारीख

सेवा में,

समाहर्ता ,

प्राप्त किया हस्ताक्षर

आवेदन

महाशय,

मैं /हम झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के अन्तर्गत खनन पट्टा देने के लिए आवेदन देते हैं / देता हूँ ।

...................... रु० की राशि शुल्क के रूप में उस आवेदन के साथ जो नियम 9 (3) के अन्तर्गत देय है उसे ........................... कोषागार का नाम अथवा भारतीय स्टेट बैंक की वह शाखा जो कोषागार के साथ व्यवसाय कर रहा है में जमा करा दिया गया है तथा संबंधित चालान इसके साथ संलग्न है ।

वांछित विवरणी नीचे दिए जा रहें है ।

विवरणी –

1. व्यक्तियों, फर्म अथवा आवेदन करने वाली कम्पनी का नाम,

2. व्यक्तियों की राष्ट्रीयता अथवा कम्पनी अथवा फर्म प्रारंभ किए जाने हेतु निबंधन का स्थान;

3. व्यक्तियों का व्यवसाय अथवा कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति तथा व्यवसाय की प्रकृति तथा व्यवसाय स्थान;

4. व्यक्ति फर्म अथवा कम्पनी का पता;

5. खनिज अथवा एकाधिक खनिज जिनका आवेदक उत्खनन करना चाहते है;

6. जिस अवधि के लिए खनन पट्टा वांछित है;

7. उस क्षेत्र की विवरणी जिससे खनन पट्टा वांछित है;

1. जिला 2. राजस्व थाना 3. ग्राम / मौजा 4. जे.एल.सं0 5. खेसरा सं0 6. कुल रकबा

8. 16/-1 मील स्केल पर मैप अथवा प्लान का विवरण जिसमें उपर्युक्त 7 में उल्लेखित क्षेत्र को आच्छादित किया गया है, संलग्न है जो, जिस क्षेत्र के लिए खनन पटटा वांछित है उसकी पहचान तथा समुचित सूचना देगा;

9. क्षेत्र की संक्षिप्त विवरणी;

10. राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर क्षेत्र तथा खनिज जिसके लिए आवेदक अथवा संयुक्त रूप से उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति संयुक्त रूप से कार्य करने की इच्छा व्यक्त की हो -।

खनिज ..... क्षेत्र ..... तालुक ..... जिला .....

(क) पूर्व से खनन पट्टा 'पट्टे' धारण करते हैं,

(ख) पूर्व में आवेदन दिया है किन्तु अभी तक खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है,

अथवा

(ग) एक ही समय में आवेदन दिया है ।

11. संयुक्त अभिरुची की प्रकृति यदि उपर्युक्त 10 के अन्तर्गत है, तो;

12. प्रथम वर्ष के दौरान उत्खनित होने वाले खनिज का उपयुक्त अनुमानित परिमाण;

13. साधन जिसके द्वारा खनिज का उत्खनन किया जाएगा जैसे हाथ द्वारा श्रम करके अथवा यांत्रिक अथवा विद्युत् शक्ति से तथा विचार किए गए यांत्रिकीकरण की मात्रा यदि कोई हो;

14. निवेश की जाने वाली प्रस्तावित राशि;

15. उत्खनन कार्य में आवेदक का पूर्व अनुभव;

16. वह तरीका जिसके द्वारा उत्खनित खनिज का उपयोग किया जाएगा, अनुमानित उपभोक्ता तथा खनिज के उपयोग का स्थान;

17. कोई अन्य विवरण जो आवेदक देना चाहता हो अथवा समाहर्ता जिसे जानना चाहता है

18. इन नियमों के तहत विहित आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण तथा तरीका;

19. दो स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट फोटोग्राफ (नोट :- राज्य सरकार के खाते में जमा किए जाने वाले शुल्क का शीर्ष.....)

मै / हम यह घोषणा करता हूँ / करते है कि उपर्युक्त दिये गये विवरण सत्य है एवं मैं / हम खनन पट्टा प्रदान किये जाने के पूर्व, जैसा आपके द्वारा वांछित है, अन्य विवरण जिसमें सही प्लान तथा सुरक्षित जमा राशि आदि शामिल है, उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूँ / है ।

विश्वासभाजन

स्थान

दिनांक हस्ताक्षर तथा आवेदक का पदनाम

नोट :- यदि एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए खनन पट्टा का आवेदन नहीं दिया गया है तो नियम 13, 14, 15 तथा 16 के अन्तर्गत सूचनायें देना आवश्यक नहीं है ।

**प्रपत्र बी**

(देखे नियम 10)

लघु खनिजों के लिए खनन पट्टा के आवेदन की प्राप्ति का प्रपत्र .....

..... का कार्यालय

सं0 ..... दिनांक .....

श्री / श्रीमती / मेसर्स ..... से ..... को लगभग ..... एकड़ / हेक्टेयर भूमि जो ग्राम ..... जिला ..... में स्थित है ..... लघु खनिज के खनन पट्टे के लिए आवेदन प्राप्त किया ।

प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदनाम

स्थान

दिनांक

## मॉडल प्रपत्र 'सी'

(देखें नियम 12)

अनुबंध यह अनुबंध आज दिनांक .....20..... को झारखण्ड सरकार (इसके बाद राज्यपाल के रूप में जिस अभिव्यक्ति में जहाँ ऐसा संदर्भ लिया जाता है उनके कार्यपालिय उत्तराधिकारी भी शामिल है, को एक पक्ष तथा ..... पिता ..... ग्राम ..... पत्रालय ..... थाना .....जिला ..... राज्य .....।

(इसके बाद से दूसरे पक्ष के पट्टेदार के रूप में उल्लेखित किये जायेंगें । के बीच सम्पन्न किया जाता है।

जहाँ दिनांक ..... को तथा ..... को पूर्ण की गई एक नीलामी में जिसमें सबसे ज्यादा बोली बोलने वाले (इसके बाद से उन्हें, जहाँ भी मामला हो, पट्टेधारक या एकाधिक पट्टाधारक कहा जाएगा) व्यक्ति / व्यक्तियों के साथ बालू के उत्खनन (लघु खनिज के रूप में) झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम 12 (1) इसके बाद से उक्त नियमावली के रूप में निर्देशिष्त) अनुरूप इस लिखित अनुबंध (इसके बाद से उक्त नियमावली के रूप में निर्देशिष्त) के भाग (1) में वर्णित भूमि के लिए झारखण्ड सरकार (इसके बाद से कोषागार चालान सं०..... दिनांक ..... ..... तथा ..... रु० की जैसा भी मामला हो एक वर्ष के अवधि के लिए अथवा 31 दिसम्बर 20 ..... तक के लिए बोली के लिए नोटिस में दी गई परिस्थितियों के अनुसार बोली राशि के सौ प्रतिशत अथवा पचास प्रतिशत के रूप में ..... रु० (देखे कोषागार चालान सं० ..... ..... दिनांक ..... जमा की गई है )

### भाग- I

राजस्व थाना ..... पु० थाना ..... जिला ..... झारखण्ड के अन्तर्गत ..... नदी में ..... स्थित भूमि का सभी खंड।

### भाग- II

पट्टाधारक / एकाधिक पट्टाधारकों को स्वतंत्रता, शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार।

पट्टाधारक / एकाधिक पट्टाधारक झारखण्ड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 तथा भाग I में उल्लिखित नदी तल से बालू का उत्खनन एवं स्थानांतरण करेंगे ।

### भाग- III

भाग 2 में स्वतंत्रता,

शक्ति तथा विशेषाधिकार के प्रयोग में निषेध एवं शर्तें-

(1) रैयत की अनुमति के बिना रैयती भूमि में बालू से संबंधित कोई कार्य प्रारंभ करना, उत्खनन अथवा हटाने का कार्य नहीं किया जाएगा । बंदोबस्तीधारी / बंदोबस्तीधारीगण इस नियमों के अन्तर्गत प्रति नियुक्त समाहर्त्ता द्वारा निर्दिष्ट अथवा निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान रैयत को करेंगे ।

## मॉडल प्रपत्र 'सी'

(देखें नियम 12)

अनुबंध यह अनुबंध आज दिनांक .....20..... को झारखण्ड सरकार (इसके बाद राज्यपाल के रूप में जिस अभिव्यक्ति में जहाँ ऐसा संदर्भ लिया जाता है उनके कार्यालय उपाधिकारी भी शामिल है, को एक पक्ष तथा ..... पिता ..... पेशा ..... ..... थाना .....जिला ..... राज्य .....।

(इसके बाद से दूसरे पक्ष के पट्टेदार के रूप में उल्लेखित किये जायेंगें । के बीच सम्पन्न किया जाता है।

जहाँ दिनांक ..... को तथा ..... को पूर्ण की गई एक नीलामी में जिसमें सबसे ज्यादा बोली बोलने वाले (इसके बाद से उन्हें, जहाँ भी मामला हो, पट्टेधारक या एकाधिक पट्टाधारक कहा जाएगा) व्यक्ति / व्यक्तियों के साथ बालू के उत्खनन (लघु खनिज के रूप में) झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम 12 (1) इसके बाद से उक्त नियमावली के रूप में निर्देशित) अनुरूप इस लिखित अनुबंध (इसके बाद से उक्त नियमावली के रूप में निर्देशित) के भाग (1) में वर्णित भूमि के लिए झारखण्ड सरकार (इसके बाद से कोषागार चालान सं०..... दिनांक ..... ..... तथा ..... रु० की जैसा भी मामला हो एक वर्ष के अवधि के लिए अथवा 31 दिसम्बर 20 ..... तक के लिए बोली के लिए नोटिस में दी गई परिस्थितियों के अनुसार बोली राशि के सौ प्रतिशत अथवा पचास प्रतिशत के रूप में ..... रु० (देखे कोषागार चालान सं० ..... ..... दिनांक ..... जमा की गई है )

### भाग- I

राजस्व थाना ..... पु० थाना ..... जिला ..... झारखण्ड के अन्तर्गत ..... नदी में ..... स्थित भूमि का सभी खंड।

### भाग- II

पट्टाधारक / एकाधिक पट्टाधारकों को स्वतंत्रता, शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार।

पट्टाधारक / एकाधिक पट्टाधारक झारखण्ड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 तथा भाग 1 में उल्लिखित नदी तल से बालू का उत्खनन एवं स्थानांतरण करेंगे ।

### भाग- III

भाग 2 में स्वतंत्रता,

शक्ति तथा विशेषाधिकार के प्रयोग में निषेध एवं शर्तें-

(1) रैयत की अनुमति के बिना रैयती भूमि में बालू से संबंधित कोई कार्य प्राप्त करना, उत्खनन अथवा हटाने का कार्य नहीं किया जाएगा । बंदोवस्तीधारी / बंदोवस्तीधारीगण इन नियमों के अन्तर्गत प्रति नियुक्त समाहर्त्ता द्वारा निर्दिष्ट अथवा निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान रैयत को करेंगे ।

(6) यदि पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक अन्यत्र बालू का भण्डारण करते हैं तो प्रपत्र 'क्यू' में अनुज्ञापत्र प्राप्त करेंगे।

(7) सक्षम पदाधिकारी को नीलामी की अवधि के समापन के पश्चात्, नीलाम क्षेत्र का कब्जा सौंप देंगे ऐसा करने में असफल रहने पर कब्जा वाली अधिक अवधि के लिए यथानुपात आधार पर बोली राशि की दुगुनी राशि के बराबर की राशि दण्ड स्वरूप वसूली जाएगी।

## भाग- VI

सुरक्षित जमा की वापसी -

नीलामी के समय, जैसा भी मामला हो बंदोवस्तीधारी / बंदोवस्तीधारीगण द्वारा जमा किए गए सुरक्षित जमा की वापसी के मामले में समाहर्त्ता बंदावस्ती अवधि समाप्त होने के नब्बे दिनों के भीतर, जो नीलामी में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप और अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है, उसे जैसा भी मामला हो, बंदोवस्तीधारी/बंदोवस्तीधारीगण को वापस करेंगे तथा इस पर कोई सूद नहीं देय होगा।

## भाग- VII

अन्य शर्तें जो इस अनुबंध में शामिल नहीं है वो वही होगी जो झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 में है।

(2) खान एवं खनिजों पर कार्य करने पर बंदोवस्तीधारी/बंदोवस्तीधारीगण के उपर सभी केन्द्रीय तथा राज्य कानून लागू किये जा सकते है। इन कानूनों को अन्य मामले जैसे बंदोवस्तीधारी/ बंदोवस्तीधारीगण के कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सुविधा को प्रभावित करने वाले मामलों अथवा जनहित में भी लागू किया जा सकता है। किसी खान में गैर कानूनी कार्य अथवा अनियमित कार्य होने पर राज्य सरकार अथवा सक्षम पदाधिकारी से सूचना प्राप्त करने के बाद, जैसा भी मामला है बंदोवस्तीधारी / बंदोवस्तीधारीगण, द्वारा किसी गैर कानूनी अथवा अवैध कार्य से राज्य सरकार को होनेवाली क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे ।

## नोटिस का तामिला

प्रत्येक नोटिस का तामिला अनुबंध में अंकित पते पर निबंधित डाक से लिखित रूप से किया जाएगा । ऐसे सभी तामिला को बंदोबस्तीधारी/बंदोबस्तीधारीगण पर समुचित एवं वैध माना जाएगा तथा उनके द्वारा चुनौती दिए जाने पर इस संबंध में पूछताछ की जाएगी । इसके साक्ष्य के रूप में निम्नांकित तरीके से, दिन, माह तथा वर्ष जो पहले उपर दर्ज है में इसे निष्पादित किया गया है ।

बंदोबस्तीधारी / बंदोबस्तीधारीगण के हस्ताक्षर

उपस्थिति में .....

झारखण्ड के राज्यपाल

के हस्ताक्षर (उनके वास्ते)

उपस्थिति में .....

## मॉडल प्रपत्र 'डी'

(देखें नियम 18)

खनन पट्टा की पंजी-

(क) 1. क्रम संख्या -

2. खननपट्टा धारक का नाम तथा उसका पता -

3. जिस भूमि में खननपट्टा प्रदान किया गया है उस क्षेत्र की विवरणी तथा खनन पट्टा की अवधि -

4. वह तारीख जिसमें खनन पट्टा प्रदान किया गया है

5. वह तारीख जिसमें खनन पट्टा औपचारिक रूप से निष्पादित किया गया है -

6. स्वामित्व सतह लगान तथा नियत लगान तथा अन्य कोई भुगतेय लगान की दर -

7. खनिज अथवा एकाधिक खनिज जिसके लिए खननपट्टा वैध है -

8. चालान संख्या तथा तारीख के साथ भुगतान की गई सुरक्षित जमा राशि -

9. खनन पट्टा के अन्तरण के निर्धारण की तिथि यदि कोई हो तो तथा इस पर चुकाया गया शुल्क एवं इसकी पार्टियों के नाम -

10. समाप्ति अथवा परित्याग की तारीख -

11. पुनः प्रदान के लिए क्षेत्र के उपलब्ध होने की तारीख -

12. चालान की विस्तृत विवरणी तथा प्रारंभिक व्यय का भुगतान की तारीख ।

(ख) 1. नवीकरण की तारीख -

2. नवीकरण की अवधि -

3. नवीकरण के अन्तर्गत कुल क्षेत्र -

4. सतह लगान की दर -

5. स्वामित्व की दर -

6. खनिज अथवा एकधिक खनिज जिनके लिए नवीकृत खनन पट्टा वैध है -

7. नियत लगान की दर -

8. भुगतान की गई सुरक्षित जमा राशि -

9.- खनन पट्टा के अन्तरण के निर्धारण की तारीख यदि कोई हो तो तथा उस पर चुकाया गया शुल्क एवं इसकी पार्टियों के नाम ।

(ग) 1. समपान अथवा परित्याग अथवा रद्द होने की तारीख यदि सभी बकाये का भुगतान कर दिया गया है -

2. समापन अथवा परित्याग अथवा रद्द होने के मामले में क्या सभी बकाये का भुगतान कर दिया गया है -

3. वह तारीख जब वह क्षेत्र पुनः प्रदान करने के लिए उपलब्ध है ।

**मॉडल प्रपत्र 'इ'**

(देखें नियम 22)

लघु खनिज के उत्खनन के लिए मॉडल प्रपत्र

यह अनुबंध पत्र राज्यपाल झारखण्ड, (इसके बाद से राज्यपाल के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा तथा जहाँ ऐसा संदर्भ लिया जाता है तथा इसमें इनके कार्यालय उत्तराधिकारी भी शामिल है) एक पक्ष तथा-

1. जब पट्टाधारक एक व्यक्ति है 1-व्यक्ति का नाम : पिता, पता तथा पेशा (इसके बाद से इन्हें पट्टाधारक के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा तथा जहाँ ऐसा संदर्भ लिया जाता है इस शब्द खंड से उसके उत्तराधिकारी, कार्यपालक प्रशासक प्रतिनिधि तथा अनुमति दिये गये व्यक्ति शामिल होंगे)

2. जब पट्टाधारक एक व्यक्ति से ज्यादा होंगे

व्यक्ति का नाम .....पेशा .....

व्यक्ति का नाम ..... .....पिता तथा पेशा .....

(इसके बाद से उन्हें एकाधिक पट्टाधारक के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा तथा यहाँ ऐसा संदर्भ लिया जाता है उस शब्द खण्ड में उनके उत्तराधिकारी कार्यपालक प्रशासक प्रतिनिधि तथा अनुमति दिये गये व्यक्ति शामिल होंगे)

3. जब पट्टाधारक एक निबंधित फर्म अथवा व्यवसाय संघ है

व्यक्ति का नाम.....पता और.....

व्यक्ति का नाम .....पता सभी व्यवसाय साझा में फर्म का अथवा संघ का पता फर्म में व्यवसाय संघ का नाम तथा तरीका

साझा अधिनियम के अन्तर्गत उसके बाद से उन्हें पट्टाधारक के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा तथा 'जहां ऐसा संदर्भ लिया जाता है इस शब्द खण्ड में उनके सभी हिस्सेदार या उक्त साझा, उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, कार्यपालक प्रशासक प्रतिनिधि तथा अनुमति दिये गये व्यक्ति शामिल होंगे, तथा

4. यदि पट्टाधारक एक निबंधित कंपनी है 4 कम्पनी का नाम एक कम्पनी जो "अधिनियम जिसके अंदर निर्गत है" के अन्तर्गत निबंधित है तथा जिसका निबंधित कार्यालय..... पता..... इसके बाद से जहाँ ऐसा संदर्भ लिया जाता है उस शब्द खण्ड पट्टाधारक में उनके उत्तराधिकारी तथा अनुमति दिये गये व्यक्ति शामिल होंगे दूसरी पक्ष के बीच

आज दिनांक ..... 20..... को तैयार किया गया है । चूंकी पट्टाधारक एकाधिक पट्टाधारक में झारखण्ड सरकार को झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 उसके बाद से उस नियम के रूप में उल्लिखित के अनुरूप खनिज का नाम लिखित अनुसूची के लिए इसके बाद से उस अनुसूचि के रूप में उल्लिखित के भाग-1 में वर्णित भूमि में आवेदन दिया है तथा उसमें राज्य सरकार को ..... का सुरक्षित जमा के रूप में तथा ..... रु० खनन पट्टा के लिए प्रारंभिक व्यय को वहन करने के लिए जमा किया।

अब यह अनुबंध पत्र इस बात का साक्षी है कि उस वर्तमान तथा उल्लिखित अनुसूचि में पट्टाधारक एकाधिक पट्टाधारक द्वारा भुगतान ।

(सी) 1. समापन तथा परित्याग अथवा रद्द होने की तारीख यदि सभी बकाए का भुगतान कर दिया गया है -

2. समापन अथवा परित्याग अथवा रद्द होने के मामले में क्या सभी बकाए का भुगतान कर दिया गया है -

3. वह तारीख जब वह क्षेत्र पुनः प्रदान करने के लिए उपलब्ध है -

अब यह करारनामा इस बात का साक्षी है कि इस बिलेख और उक्त अनुसूची में अंतर्विष्ट लगानों, स्वामिस्वों, प्रसंविदाओं तथा करारों के पट्टाधारियें द्वारा और उसकी / उनकी ओर से किए जाने वाले भुगतान, पालन और संपादन के प्रतिफल स्वरूप, राज्यपाल इसके पट्टाधारियों को .....

यहाँ खनिज या खनिजों का नाम दें,-(इसमें आगे और अनुसूची में उक्त खनिजों के रूप में निर्दिष्ट) की सभी खानों, संस्तरो, शिराओं/परतों को, जो उक्त अनुसूची के भाग-1 में उल्लिखित और वर्णित भूमि में या उसके नीचे स्थित या पड़ी हो इसके संबंध में प्रयोजन और उपभोग्य स्वतंत्र शक्तियां और विशेषाधिकारों के साथ जो उक्त अनुसूची के भाग-2 में उल्लिखित है और ऐसे स्वतंत्र शक्तियों तथा विशेषाधिकारों के प्रयोग के संबंध में उक्त अनुसूची के भाग-3 में यथा उल्लिखित निबंधनों तथा शर्तों के अधीन, किन्तु उक्त अनुसूची के भाग-4 में उल्लिखित उन स्वंतत्र शक्तियों और विशेषाधिकारों को पट्टाधारक से बचाकर राज्य सरकार के लिए सुरक्षित रखते हुए, पट्टे पर देते हैं, ताकि इसके द्वारा पट्टाधारक से बचाकर राज्य सरकार के लिए सुरक्षित रखते हुए, पट्टेधारक से बचाकर राज्य सरकार के लिए सुरक्षित रखते हुए, पट्टे पर देते हैं, ताकि इसके द्वारा पट्टाकृत परिसर का पट्टाधारी ता० ..... .....से..... आगामी.....वर्षों की अवधि के लिए धारण करे और उसके लिए उक्त अनुसूची के भाग-6 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन, उक्त अनुसूची के भाग-5 में उल्लिखित लगान और स्वामिस्व उसमें विनिर्दिष्ट समयों पर चुकाए तथा पट्टाधारी इसके द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है/करते है जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग-7 में अभिव्यक्त है और राज्य सरकार इसके द्वारा पट्टाधारी/पट्टाधारियों के साथ प्रसंविदा करती है जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग-8 में अभिव्यक्त है और इसके द्वारा इसके पक्षकार इस पर परस्पर सहमत है जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग-9 में अभिव्यक्त है ।

इसके साक्ष्य में, यह विलेख इसके नीचे वर्णित रीति से पहले स्पष्ट लिखित तारीख को और वर्ष में निष्पादित किया गया ।

## भाग- I

खनन पट्टा का क्षेत्र

क्षेत्र एवं क्षेत्रों का विवरण, जिसमें सभी भू-खण्ड स्थित है ।

(पैराग्राफ) निबंधन, ..... जिला ..... उप जिला .....

तथा थाना ..... खाता सं०....., खेसरा सं०.....
खेसरावार

क्षेत्र का कुल रकबा जो प्लान में अंकित है, संलग्न किया गया तथा जिसे रेखाओं/रंगीन रेखाओं द्वारा निम्न प्रकार से चिह्नित किया गया:-

उत्तर में -

दक्षिण में -

पूर्व में -

तथा पश्चिम में (एक बाद से उन्हें ''उल्लिखित रेखा'' कहा जाएगा ।

## भाग- II

पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक द्वारा निष्पादित की जाने वाली अथवा प्रयोग की जाने वाली स्वतंत्रता शक्ति तथा विशेषाधिकार भाग-3 में दी गई निषेध एवं शर्तों के अधीन होगी ।

1. भूमि में प्रवेश करना तथा खनिज प्राप्त करना उन पर कार्य करना और पट्टा द्वारा हस्तान्तरित की गई अवधि में भूमि में प्रवेश करने वर्णित खनिजों को खोजने, गडढा करने सूराख बनाने, प्राप्त करने, ढुलाई करने तथा इन वर्णित खनिज/खनिजों को उठा कर ले जाने की स्वतंत्रता तथा शक्ति ।

2. मशीन संयंत्र आदि लाना, उपयोग करना आदि - उल्लिखित भूमि में इस उद्देश्य से संयंत्र प्लान्ट ईंट भट्ठा गोदाम शेड तथा अन्य भवन उपयोग करने के संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति।

3. सड़क तथा मार्ग बनाने तथा निकासी सड़क तथा मार्ग का उपयोग करना-

   उल्लिखित भूमि में इस भाग में वर्णित किसी भी उद्देश्य के लिए हो सड़क तथा मार्ग बनवाने ताकि किसी भी उद्देश्य के लिए इस भाग में वर्णित कार्यों के लिए बनाने की स्वतंत्रता एवं शक्ति ।

4. झरनों आदि से पानी का उपयोग - समाहर्त्ता (जिले का नाम) द्वारा उल्लिखित भूमि में किसी झरने जल मार्ग, धारा तथा अन्य स्रोतों से जल को प्राप्त करने तथा उपयोग करने तथा ऐसी धारा या जल मार्ग का मार्ग परिवर्तन करने उपर उठाने अथवा इस पर बाँध बनाने अथवा ऐसे जल का संग्रहण करने या तालाब में जमा करने, अथवा कोई जल मार्ग बनाने, कल्वर्ट, नाला अथवा जानवर के लिए समुचित जलापूर्ति के लिए भवन या जलीय स्थान बनाने के लिए जो कि पूर्व में भी व्यवहृत किये गये हों तथा किसी भी तरह से धारा या झरनों को संदूषित या प्रदुषित नहीं करते हों तो उनकी अनुमति के अधीन इस उद्देश्य से उपयोग करने की सवतंत्रता, शक्ति होगी ।

5. ढेर बनाने, अंबार लगाने के उद्देश्य से उपयोग करना-उत्पादित खनिजों के ढेर बनाना, अम्बार लगाना, भण्डार करना अथवा जमा करने के उद्देश्य से सतह के समुचित भाग का उपयोग करने तथा इस भाग में उल्लिखित स्वतंत्रता एवं शक्ति के अन्तर्गत किसी संयंत्र पर कार्य करने, संयंत्र, मिट्टी तथा सामग्रियों, वस्तुओं को खोदने एवं जमा करने की स्वतंत्रता एवं शक्ति ।

6. झाड़ी साफ करने तथा पेड़ काटना एवं उपयोग करना आदि उल्लिखित भूमि में पाए जाने वाले अथवा खड़े इमारती लकड़ी को काटने तथा झाड़ी साफ करने की, तथा इन अधिकार से इन भूमि में निकासी करने का तथा इस भाग में इस उद्देश्य के लिए, इस संबंध में स्वतंत्रता एवं शक्ति होगी वशर्ते की समाहर्त्ता अथवा प्रदान करने वाले प्राधिकारी पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक को उनके द्वारा निर्धारित दर पर उस भूमि पर पाए गए वृक्ष को काटने तथा उपयोग करने पर इसकी कीमत चुकाने को कहें ।

## भाग - III

भाग - II में स्वतंत्रता, शक्ति तथा विशेषाधिकार पर निषेध तथा शर्तें :

1. कुछ स्थानों पर भवन इत्यादि नही होंगे :-

किसी नागरिक मनोरंजन स्थल, श्मशान घाट अथवा किसी [illegible] द्वारा पवित्र [illegible] माने जाने वाली भूमि अथवा किसी घर अथवा ग्रामीण क्षेत्र [illegible] अथवा समाहर्ता अथवा प्रदान करने वाले प्राधिकारी यदि किसी भूमि को जनभूमि निर्धारित कर दें तो इसपर कोई भवन अथवा वस्तु खड़ी नहीं की जायेगी, रखी जायेगी तथा कोई सतह क्रिया नहीं की जायेगी और न ही किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के भवन, कार्य, संपति अथवा अधिकार को नुकसान अथवा प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करेंगे तथा पट्टा में जो उद्देश्य शामिल नहीं है, उन उद्देश्यों के लिए किसी कार्य से राज्य सरकार से पृथक किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, जो उसके कब्जे में है, कोई भी सतह क्रिया नही करेगा ।

2. आरक्षित भूमि पर स्थित वृक्षों का काटा जाना :-

पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक बिना समाहर्त्ता अथवा प्रदान करने वाले अधिकारी की स्वीकृति के उल्लिखित भूमि में किसी इमारती लकड़ी अथवा वृक्ष को ना काटेगा और न ही नुकसान पहुँचायेगा अथवा ना ही किसी व्यक्ति को काटने अथवा नुकसान पहुँचाने की अनुमति देगा । वह बिना संस्वीकृति के इन अधिकारियों द्वारा प्राधिकृत क्रिया में अड़ंगा डालने वाले झाड़ियों अथवा कम उगे हुएं वनस्पतियों को हटा सकता है। समाहर्त्ता अथवा प्रदान करने वाले प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार उनके द्वारा निर्धारित दर पर समाहर्त्ता की संस्वीकृति द्वारा पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक द्वारा काटे गए तथा उपयोग किये गये वृक्ष या इमारती लकड़ी के राशि चुकाने के लिए कह सकते है। यदि पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक समाहर्त्ता के बिना लिखित स्वीकृति के कोई इमारती लकड़ी अथवा वृक्ष काटता है अथवा नुकसान पहुँचाता है तो उस पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक को समाहर्त्ता अथवा प्रदान करने वाले पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर अथवा प्रति वृक्ष 50 रु० (पचास रूपया) की दर से उक्त समाहर्त्ता द्वारा मांगे जाने पर अतिरिक्त क्षतिपूर्ति देने के

लिए बाध्य होना होगा । पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक को, उक्त समाहर्त्ता अथवा प्रदान करने वाले प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार जैसा चाहे, उस क्षेत्र में सभी शर्तों का पालन करना होगा. जिस परिमाण में खनिज का उत्खनन करना है उसी परिमाण में उत्खनन करना होगा ।

3. सुरक्षित वन की स्थिति में कार्य करना :-

इस अनुसूची में कुछ भी अन्तर्विष्ट हो, पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक उक्त भूमि में शामिल सुरक्षित वन में यदि निम्न स्थितियों के अनुरूप नहीं हो, तो कोई भी कार्य नही करेंगे। इस संबंध में पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक तथा उनके कर्मचारी संबंधी वन-अधिकारियों के दिशा निर्देशों के अधीन होंगे। विवाद होने की स्थिति में मामला को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।(सरकार अथवा खनन पट्टा प्रदान करने वाले प्राधिकारी स्थितियों का उल्लेख करें) ।

4. जनकार्य आदि के 50 मी० के भीतर कोई खनन नहीं होगा :-

पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक 50 मी०(55 गज) की दूरी के भीतर संबंधित रेलवे प्रशासन की पूर्व लिखित सहमति के बिना रेल लाइन अथवा किसी जलागार, नागरिक सड़क, कैनाल अथवा अन्य जन कार्य अथवा भवन अथवा निवास स्थल अथवा इस संबंध में समाहर्त्ता अथवा समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी की पूर्वानुमति, अन्यथा ऐसे अनुमति से सम्बद्ध अनुदेश, जो दोबारा चालू करने तथा अन्य स्थितियों जो सामान्य अथवा विशेष हों, के अनुरूप हो, किसी ग्रामीण सड़क के 10 मीटर (11 गज) के भीतर कोई भी खनन कार्य नही करेगा ।

व्याख्या - इस उपबंध के उद्देश्य से वाक्यखंड ''रेलवे प्रशासन'' का अर्थ वही होगा जो भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890, अनुच्छेद में है। ''नागरिक सड़क'' का अर्थ है जो लगातार उपयोग के कारण विशेष रूप से निर्धारित मार्ग पर कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया हो । ग्रामीण सड़क का अर्थ है ''नागरिक सड़क'' से पृथक तथा जो राजस्व बंदोवस्ती नक्शे में अंकित किया गया है ।

5. पट्टाधारक यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगा कि :-

खदानों में गडढ़ों की गहराई तक चौड़ाई इतनी अच्छी तरह से रखी जायेगी ताकि कार्य करने एवं खनिजों की ढुलाई सुगमता से हो सके, कार्य स्थल हमेशा साफ सुथरा हो तथा, लघु खनिज जिन्हें उत्खनित किया गया है । उन्हें समुचित विस्तार में ढेर लगाकर रखा जाए तथा प्रत्येक ढेर को एक संख्या दे दी जाए ।

6. समीपवर्ती सरकारी अनुमति-पत्र अथवा पट्टा के लिए सुविधायें -

पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक भविष्य के सरकारी अनुज्ञा पत्र धारकों, तथा खनन पट्टाधारकों को वैसे किसी भी भूमि पर जो उनके द्वारा धारित भूमि से सटा हुआ हो या निकट हो, में निकासी की सुविधा देगा । पट्टाधारी अपने पट्टा क्षेत्र में सफाई की समुचित व्यवस्था का प्रबंध करेगा ।

जंगल की आग : - पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक द्वारा अथवा उसके/उनके कर्मचारियों द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जायेगा, जिससे जंगल में आग लग जाये। सभी समय में, समुचित सावधानी बरती जायेगी ताकि ऐसे आग से बचाव हो सके ।

लघु खनिजों के अनुरक्षण एवं विकास के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों एवं निर्देशों का पट्टाधारक पालन करेंगे।

नोट :- यदि कोई सुरक्षित वन नहीं हो तो इन उपबंधों को छोड़ा जा सकता है।

## भाग - IV

राज्य सरकार को स्वतंत्रता, शक्ति तथा विशेषाधिकार -

1. अन्य खनिजों का दोहन :-

अन्य खनिजों का दोहन उल्लिखित खनिजों अथवा अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य खनिजों की खोज, दोहन करने, खोदने, छटाई करने, प्रसंस्करण करने, परिवर्तित करने तथा ढुलाई करने के लिए समाहर्त्ता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को इस संबंध में संबंधित भूमि में प्रवेश करने की स्वतंत्रता तथा शक्ति होगी । तथा इस उद्देश्य से पाइप गाड़ने, गड्ढों का उपयोग करने, शाफ्ट, ढलान, सतह तथा अन्य लाइनें जलमार्ग, जलधारा, नाला, जलागार इंजन, मशीन, संयंत्र भवन, केनाल, रेलवे, सड़क तथा अन्य कार्य एवं सुविधाएँ जो आवश्यक एवं सुविधाजनक हो को बनाने, निर्माण करने तथा खड़ा करने की स्वतंत्रता तथा शक्ति होगी ।

परन्तु यह कि इन शक्तियों एवं स्वतंत्रताओं के प्रयोग से वर्तमान में एक पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक की स्वतंत्रता, शक्ति तथा विशेषाधिकार में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती हो तथा ऐसी किसी स्वतंत्रता तथा शक्ति का प्रयोग करने पर पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारियों को होने वाली किसी हानि अथवा क्षति के लिए समुचित क्षतिपूर्ति दे दिया जाएगा ।

2. रेल लाइन तथा सड़क बनाना :-

वर्तमान में भाग II में वर्णित किसी भी उद्देश्य के लिए पट्टा के अन्तर्गत भूमि में राज्य सरकार अथवा इस कार्य के लिए कोई पट्टाधारक अथवा व्यक्ति जिसे प्राधिकृत किया गया है, उसे पट्टा की भूमि में प्रवेश करने, रेलमार्ग, ट्राम मार्ग, कैनाल अथवा पाइप लाइन अथवा विद्युत अथवा दूरभाष अथवा ऐसे कोई लाइन बनाने की स्वतंत्रता होगी तथा सभी उद्देश्यों के लिए अथवा जैसा समय की माँग हो उस भूमि से बलुआ पत्थर, बजरी, मिट्टी तथा अन्य सामग्रियों जिनसे रेलमार्ग, ट्राम मार्ग तथा सड़क अथवा निकासी रेलमार्ग तथा सड़क आदि बनाने में सुविधा हो, प्राप्त कर सकते है तथा सभी समय में उन मार्गों से घोड़ों, पशुओं अथवा अन्य जानवरों, गाड़ियों बैलगाड़ी, ठेला गाड़ी, ट्रक, कार, रेल अथवा अन्य वाहनों से जा सकते है अथवा आना जाना कर सकते है, वशर्ते की इस स्वतंत्रता एवं शक्ति के प्रयोग से अन्य दूसरे पट्टाधारकों द्वारा पट्टाधारक अथवा व्यक्ति को कोई महत्वपूर्ण बाधा नहीं पहुँचाए अथवा पट्टाधारक की स्वतंत्र एवं शक्ति के प्रयोग से उन्हें कोई हानि या नुकसान पहुँचा हो अथवा पट्टाधारक/सर्वाधिक पट्टाधारकों के ऐसे स्वतंत्रता एवं शक्ति के प्रयोग जो प्रावधान के अधीन हैं, जहाँ केवल विद्युत लाइन अथवा टेलीफोन लाइन लगाया गया है, वहाँ कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा ।

3. भूलवश खननपट्टा :-

ऐसी भूमि जो पूर्व खनन पट्टे में शामिल हो गई है एवं बाद में यदि यह ज्ञात हो कि यह भूमि पट्टा के योग्य नहीं है तो इस पर पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकेंगे किन्तु वे इस घटी हुई भूमि में आनुपातिक रूप से कर मूल्यांकन में कमी किए जाने के हकदार होंगे ।

4. मूल्यवान खनिज प्राप्त होने पर कार्यवाही :-

यदि यह किसी भी समय विश्वास किए जाने का कारण मौजूद है कि जिस खनिज के लिए खननपट्टा प्रदान किया गया है उसके साथ-साथ कुछ मूल्यवान खनिज भी हो सकते हैं तो समाहर्त्ता अथवा प्रदान करने वाले प्राधिकारी पट्टाधारक/एकाधिक को जैसा वे उचित समझते है, वे अवशिष्ट के ढेर, प्रसंस्कृत खनिज के छने हुए अवशिष्ट अथवा उन खनिजों का प्रसंस्करण जिसके लिए यह खनन पट्टा प्रदान किया गया है, के लिए आदेश निर्गत कर सकते है। यदि यह पाया जाता है कि प्रदान किये गये खनन पट्टा वाले खनिज के अलावे मूल्यवान खनिज के अंश है, जिसका पृथककरण समाहर्त्ता के विचार में आसानी से अथवा पट्टाधारक के संसाधन से संभव नहीं है तो इस पट्टे के समापन का समाहर्त्ता का अधिकार बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा।

## भाग - V

इन खननपट्टा की सुरक्षित लगान तथा स्वामिस्व -

1. नियत लगान अथवा स्वामित्व, इनमें से जो भी ज्यादा हो का भुगतान-समाहर्ता जैसा निर्धारित करें, पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक उस भाग के उपबंध-2 में सुरक्षित नियम लगान अथवा इस भाग के उपबंध-3 में सुरक्षित स्वामिस्व, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो उसका त्रैमासिक अवधि अथवा अर्द्धवार्षिक अवधि के लिए भुगतान करेंगे । यदि खनन पट्टा में एक से अधिक खनिज के दोहन की ऐसी क्षेत्र में अनुमति दी गई है तो समाहर्त्ता प्रत्येक खनिज के लिए अलग-अलग नियत लगान निर्धारित कर सकते है ।

2. नियत लगान के भुगतान की दर एवं पद्धति :-

तारीख ..... 200..... से इस प्रपत्र में उपबंध के प्रावधानों के अध्यधीन नियत लगान की दर तथा भुगतान करने का तरीका । खननपट्टा के अस्तित्व में रहने के दौरान पट्टाधारक/सर्वाधिक पट्टाधारक, समाहर्त्ता अथवा प्रदान करने वाले प्राधिकारी को वर्ष ..... ..... के ..... वें माह के ..... तारीख को चार बराबर त्रैमासिक किस्तों अथवा प्रत्येक वर्ष के ..... माह के ..... ..... तारीख तथा ..... तारीख को चार बराबर अर्द्धवार्षिक अथवा प्रत्येक वर्ष लगान, जो इस अनुसूची के भाग-8 में वर्णित प्रति एकड़ भूमि की दर से तथा इस नियम के अनुसूची 8 (यहाँ भुगतान की जाने वाली राशि अंकित करें) के अधिसूचना द्वारा जो सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन के अध्यधीन होगी, का भुगतान करेंगे।

3. स्वामिस्व की दर तथा भुगतान करने का तरीका :-

इस भाग के प्रावधानों के अध्यधीन खनन पट्टाधारक झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 की द्वितीय अनुसूची में समयानुसार वर्णित दर से खनन पट्टा क्षेत्र से उसके/उनके द्वारा खनिज/खनिजों को निकालने के लिए प्रतिवर्ष के प्रत्येक माह में ..... वें तारीख को चार बराबर किस्तों में राज्य सरकार से कर भुगतान करेंगे ।

4. भूतल लगान का भुगतान : -

पट्टाधारक/सर्वाधिक पट्टाधारक उल्लिखित भूमि के सभी भाग जो प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से अथवा भूमि पर कब्जा के लिए समय-समय पर समाहर्त्ता द्वारा निर्धारित दर अथवा ऐसा कब्जा होने के बाद की अवधि से एक एकड़ से कम भूमि होने की स्थिति में आनुपातिक दर से अथवा

जब तक वह भूमि कब्जा बाहर न हो तब तक के उपयोग के लिए अथवा जहाँ तक संभव हो उपयोग में आने के बाद इसके मूल रूप में वापस लाने तक (जिसके लिए प्रत्येक त्रैमासिक अवधि अर्द्धवार्षिक तारीख जो अब से पहले निश्चित वार्षिक नियत लगान के लिए निर्धारित किया गया है) के लिए राज्य सरकार को लगान का भुगतान करेगा । वशर्ते कि जिन सड़कों अथवा मार्गों पर जिनमें नागरिकों को पहुँच का पूरा अधिकार है उसके कब्जों के लिए कोई लगान देय नहीं होगा ।

5. पट्टाधारक/सर्वाधिक पट्टाधारक :-

उपर्युक्त लगान तथा स्वामिस्व के भुगतान के अतिरिक्त खनन पट्टा क्षेत्र में खनिजों के उत्खनन, दोहन करने के लिए समुचित प्राधिकारी को सभी सेस कर तथा स्थानीय बकायों का भुगतान समुचित एवं नियमित रूप से करेंगे।

## भाग - VI

लगान तथा स्वामिस्व से संबंधित प्रावधान -

1. लगान तथा स्वामिस्व सभी कटौती से मुक्त होंगे :-

इस अनुसूची के भाग V में उल्लिखित लगान तथा स्वामित्व राज्य सरकार को बिना किसी कटौती के तथा जिस तरीके से सरकार निर्दिष्ट रहे, उसी तरीके से भुगतान किए जाऐंगे ।

2. स्वामिस्व के गणना का तरीका :-

उक्त स्वामिस्व के गणना के लिए पट्टाधारक/सर्वाधिक पट्टाधारक भण्डार किए गए खनिज/खनिजों का एक शुद्ध लेखा संधरित करेंगे तथा इसके प्रेषण के समय समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत अथवा प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा उसकी जाँच की जाएगी ।

3. मासिक लेखा सरकार को भेजा जाएगा :-

खनिज प्राप्त करने, बिक्री, प्रेषण स्थानीय उपभोग, स्वामिस्व तथा लगान बकाया और भुगतान के लिए लेखा को आगामी माह की 15 तारीख तक तथा पट्टाधारक अथवा उसके/उनके प्राधिकृत स्रोतों के हस्ताक्षर द्वारा इसकी तीन सच्ची प्रतिलिपि सक्षम प्राधिकारी (.....) को भेजेंगे तथा इसके बाद समय-समय पर विहित प्रपत्र में राज्य सरकार को भेजेंगे।

4. बकाया भुगतान पर सूद :-

राज्य सरकार को देय बकाए किसी राशि पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक को सूद देना होगा ।

5. यदि लगान तथा स्वामिस्व का ससमय भुगतान नहीं किया गया हो तो की जाने वाली कार्यवाही :-

यदि पट्टाधारक ने निर्धारित तारीख के बाद अगले एक माह के भीतर पट्टाधारक द्वारा सुरक्षित लगान/स्वामित्व की राशि जो उन्हें भुगतान करनी है का भुगतान नही करते है तो समाहर्ता अथवा प्रदान करने वाले प्राधिकारी परिसर में प्रवेश कर सकते है तथा सभी खनिजों, लाभकारी उत्पादों अथवा चल सम्पत्तियों को जो उनकी संतुष्टि के अनुसार बकाए लगान तथा/अथवा स्वामिस्व को पूरा करेगा तथा भुगतान नही किए जाने के कारण होने वाले सभी खर्चों को पूरा कर सकेगा जप्त कर लेंगे । जिस तारीख से लगान तथा स्वामिस्व देय है उस तारीख से 3 कैलेण्डर माह तक

4. सभी दावों के विरुद्ध सरकार को मुक्त रखना :-

पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक, इस पट्टा के प्रदान किए जाने के बाद उनके द्वारा शक्तियों के प्रयोग से यदि कोई नुकसान, दुर्घटना अथवा गड़बड़ी हो तो जैसी क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन कानून सम्मत प्राधिकारी करें, उसे/उन्हें वैसी समुचित संतुष्टि एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा तथा ऐसे किसी नुकसान, दुर्घटना अथवा गड़बड़ी के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले दावे अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना चाहिए तथा इससे संबंधित सभी खर्चों से सरकार को मुक्त रखना चाहिए।

5. गढढ़ों, शॉफ्ट आदि को भरना :-

खनन पट्टा के अस्तित्व में रहने के दौरान पट्टाधारक एकाधिक पट्टाधारक समाहर्त्ता अथवा किसी प्रदान करने वाले प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत स्थान पर ही उत्खनन के पश्चात् अवथशिष्ट को फेकेंगे।

6. खान को आवश्यक स्तर तक मजबूत करना तथा आधार प्रदान करना : -

खनन पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक संबंधित रेल प्रशासन अथवा जैसा भी मामला हो, समाहर्त्त अथवा किसी प्रदान करने वाली प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप किसी रेलमार्ग, कैनाल, सड़क तथा अन्य नागरिक संरचनाओं की सुरक्षा के लिए जैसा उनके विचार में हो खान को आवश्यक स्तर तक मजबूत करेंगे एवं उसे आधार प्रदान करेंगे ।

नोट - वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत संशोधन करें ।

7. कार्यकलापों की जाँच की अनुमति देना :-

कार्यकलापों की जाँच की अनुमति देना पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक समाहर्त्ता अथवा उस संबंध में किसी प्रदान करने वाले प्राधिकारी को उक्त परिसर, उसमें स्थित भवन, उत्खनन अथवा लीज की भूमि की जाँच करने, परीक्षण करने, मापने, सर्वेक्षण, प्लान तैयार करने, नमूना बनाने तथा आँकड़ा इकट्ठा करने तथा प्रवेश करने की अनुमति देगा तथा पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक ऐसे उचित व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो इन जाँच करने वाले पदाधिकारियों, एजेन्टों, कर्मचारियों ताकि मजदूरों को सभी सुविधाएँ एवं सूचनाएँ जो वे आवश्यक समझते हों उपलब्ध करायेंगे तथा ऐसे जाँचोपरान्त समाहर्ता अथवा प्रदान करने वाले प्राधिकारी जैसा आदेश करें, अथवा समय-समय पर आदेशों का अनुपालन कराना चाहें, उन सभी आदेशों का अनुपालन करेंगे।

8. दुर्घटना की सूचना देना : -

पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक, इन पट्टा के अन्तर्गत होनेवाले कार्य के क्रम में यदि कोई दुर्घटना होती हो जिससे मृत्यु हो गई हो अथवा गम्भीर शारीरिक चोट अथवा गम्भीर सम्पत्ति की क्षति अथवा जीवन एवं सम्पत्ति को गम्भीर रूप से नुकसान हुआ हो तो इसकी सूचना समाहर्त्ता अथवा प्रदान करने वाले प्राधिकारी को 24 घंटे के भीतर देगा।

9. अन्य खनिजों के पाए जाने की सूचना देना :-

यदि पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक वर्णित खनिज/खनिजों के अतिरिक्त उक्त भूमि में यदि कोई अन्य खनिज पाता है तो वह प्रत्येक उस भूमि की प्रकृति तथा स्थिति का पूरा विवरण के साथ 15 दिनों के भीतर समाहर्त्ता अथवा प्रदान करने वाले प्राधिकारी को लिखित रूप से सूचना देगा। वह स्वयं अथवा उसका/उनका कोई कर्मचारी उन खनिजों के संबंध में बिना कोई खनन पट्टा प्राप्त किए उस नए प्राप्त खनिज का दोहन तथा निष्कासन नहीं करेगा ।

यदि यह भुगतान नहीं किया जाता है तो समाहर्त्ता अथवा प्रदान करने वाले प्राधिकारी पट्टा को समाप्त कर देंगें तथा ..... को अपने कब्जे में ले लेंगे। समाहर्त्ता द्वारा बकाया वसूली किया जाना बिहार पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी अधिनियम अथवा उस समय लागू कोई अन्य अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत अधिकारों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव के होगा।

## भाग - VII

## पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक का प्रतिज्ञा-पत्र

1. पट्टाधारक द्वारा लगान, स्वामिस्व, कर आदि का भुगतान करना -

पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक इन स्थितियों में भाग-V तथा भाग-VI में दिए गए तरीके से तथा पट्टा में दिए गए समय सीमा के भीतर, सुरक्षित लगान तथा स्वामिस्व का भुगतान करेंगे तथा भूमि राजस्व की माँग को छोड़ कर सभी प्रकार के कर, दर, मूल्यांकन तथा परिसर में तथा परिसर में चल रहे कार्यों तथा पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक के कार्यों जो अन्य परिसर के साथ मिलकर किए गए हों तथा सामान्य प्रकृति के कार्यों की जाँच करने के बाद राज्य सरकार के प्राधिकारी, समय-समय पर जो भी राशि पब्लिक डिमाण्ड के रूप में निर्धारित करें, उसका भी भुगतान करना होगा ।

2. सीमा रेखा को अच्छी तरीके से सीमांकित करके रखना :-

पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक अपने खर्चे पर सीमा रेखा चिह्न तथा पीलर (जैसा विहित विनिर्देश है) तथा पट्टा के साथ संलग्न प्लान के अनुसार प्रदर्शित सीमांकन को कराएगा तथा इसे बनाए रखेगा तथा चहारदीवारी चिह्नों की मरम्मत कराता रहेगा। सही पहचान होने के लिए अन्य चिह्नों की मरम्मत कराता रहेगा। सही पहचान होने के लिए अन्य चिह्नों तथा पीलरों को झाड़ियों आदि से मुक्त रखा जाएगा ।

(क) चहारदीवारी चिह्नों तथा सूचना पट्ट का सही अवस्था में अनुरक्षण करना -
पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक अपने स्वयं के खर्चे पर धारित पट्टा क्षेत्र में एक सूचना पट्ट लगायेंगे जिसमें पट्टाधारक का नाम/खनिज का नाम/क्षेत्र का विवरण तथा लीज की अवधि लिखी जाएगी तथा इसे हमेशा अच्छी स्थिति में रखा जाएगा।

3. तीन माह के भीतर कार्य प्रारंभ करना एंव कारगर तरीके से काम करना -

जब तक समाहर्त्ता अथवा कोई प्रदान करने वाले प्राधिकारी, किसी समुचित कारण से अन्यथा अनुमति नहीं देते, पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक पट्टा निष्पादन होने के तीन माह के भीतर कार्य प्रारंभ करेंगे और उसके बाद इस पट्टा के अस्तित्व में रहने तक बिना फासला, भवन, संरचना अथवा अन्य सम्पत्ति जो उक्त भूमि पर है, को नुकसान पहुँचाए अथवा किसी के द्वारा नुकसान पहुँचाए, उस समय में जो भी केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के नियम लागू हो, उसके अन्तर्गत दक्ष एंव कारगर तरीके से बिना स्वैच्छिक कार्यबन्दी के खनन पट्टा में वर्णित खनिज का दोहन तथा उसका विकास करते रहेंगे, समाहर्त्ता एवं प्रदान करने वाले प्राधिकारी इस संबंध में तथा पट्टा के निष्पादन के तीन माह के भीतर कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में इस उद्देश्य से पारित किया केन्द्रीय अथवा राज्य के अधिनियम, नियम अथवा नियामकों के अनुसार जिस भी तरीके अथवा जिस भी एजेंसी से चाहे अपनी इच्छानुसार कार्य कराने हेतु सक्षम होंगे ।

(ब) यदि पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक ऐसे नए प्राप्त खनिज का भी कार्य करना चाहता है तो जैसा उपबंध में उल्लिखित है, वैसा प्रतिवेदन देने के बाद तीन माह के भीतर अपनी इच्छा से समाहर्त्ता अथवा प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अवगत कराएगा तथा खनिज के लिए खनिज रियायत प्रदान करने के नियामक नियमों के अनुसार खनन पट्टा के लिए आवेदन देगा किन्तु वह उस खनन पट्टे पर अपना अधिकार होने का दावा नहीं करेगा।

(स) यदि पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक नए प्राप्त खनिज का कार्य नहीं करने की सूचना देता है अथवा तीन माह के भीतर कार्य करने की इच्छा से अवगत नहीं कराता है तो समाहर्त्ता अथवा कोई प्रदान करने वाले प्राधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को इसका खनन पट्टा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

10. उत्पादन एवं कर्मचारियों का अभिलेख तथा लेखा संधारित करना :-

पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक लीज की अवधि में लेखा की (जिल्द तथा पृष्ठ संख्या लिखी हुई) एक शुद्ध तथा साफ-साफ पढ़ी जानी वाली पंजी खनन भूमि के निकट अथवा उसी भूमि पर एक कार्यालय में रखेगा या रखने के लिए प्रेरित करेगा जिसमें समय-समय पर लेखा के निम्न शुद्ध प्रविष्टियाँ अंकित रहेंगी -

(1) उक्त भूमि से प्राप्त खनिज/खनिजों की मात्रा तथा गुणवत्ता।

(2) विभिन्न गुणवत्ता वाले परिवर्त्तनीय खनिज (जैसे चूना पत्थर से चूना में परिवर्तित) की मात्रा।

(3) विभिन्न गुणवत्ता वाले परिवर्त्तनीय खनिज की वह मात्रा जो बिक्री की गई है।

(4) उक्त विभिन्न गुणवत्ता वाले परिवर्त्तनीय खनिज की मात्रा जिसका निपटान किया गया हो तथा ऐसे निपटान का तरीका तथा उद्देश्य।

(5) उक्त खनिज/खनिजों की सभी बिक्री का मूल्य तथा अन्य विवरण।

(6) उक्त भूमि में खान में प्रतिदिन कार्यरत व्यक्तियों की संख्या तथा तकनीकी कर्मिकों की शैक्षणिक योग्यता।

(6) बिना निपटाए गए खनिज/खनिजों का भण्डार।

(7) उस पार्टी अथवा पार्टियों का जिन्हे खनिज/खनिजों से बेचा गया का नाम तथा सम्पूर्ण विवरण, बिक्री की तारीख, रेलवे क्षेत्र की संख्या तथा जिस स्टेशन से प्रेषण किया गया है और यदि ट्रक से प्रेषण किया गया है तो ट्रक मालिकों के नाम तथा पता।

(8) अन्य दूसरे तथ्य, विवरण एवं स्थितियाँ, जिनकी जानकारी समाहर्त्ता समय-समय पर लेना चाहें, वह ऐसे पदाधिकारियों को जब भी जिस किसी समय पर प्राप्त करना चाहे मुफ्त देगा, लेखा पंजी की सारी सच्ची तथा शुद्ध विवरणी तथा सूचनाएँ तथा उपर्युक्त वर्णित सभी मामलों में रिटर्न समाहर्त्ता अथवा इस मामले के लिए प्रतिनियुक्ति किसी प्रदान करने वाले प्राधिकारी को देगा, उन पंजियों की जाँच एवं परीक्षण इसकी प्रतिलिपि तैयार करने तथा उनसे तथ्यों को निकालने के लिए उक्त कार्यालय में आसानी से प्रवेश करने की सुविधा उपलब्ध कराएगा ।

11. पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक अपने पट्टा की भूमि के परिसर एवं उसके नजदीक यदि उनके द्वारा किसी ऐसे सड़क का निर्माण किया गया हो जो मुख्य नागरिक सड़क को जोड़ता है के साथ विभिन्न खदानों की स्थितियाँ तथा वहाँ के कार्य का स्तर खेसरा संख्या का विवरण तथा अन्य वर्त्तमान विशेषताओं के साथ कैडेस्टल नक्शे की प्रति के साथ 10: 1 मील के मानक पर उक्त भूमि का एक शुद्ध तथा साफ-साफ पढ़ा जाने वाला अद्यतन तथा पूर्ण प्लान, लीज की अवधि के दौरान सभी खान कार्यालयों में रखेंगे । पट्टाधारक/ एकाधिकार पट्टाधारक समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत अथवा किसी अन्य प्रदान करने वाले प्राधिकारी को इसे सभी समुचित समय में जाँच करने की अनुमति देंगे ।

(क) पट्टाधारक समय-समय पर केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा ।

(ख) पट्टाधारक खान अधिनियम, 1952 के सभी प्रावधानों का अनुपालन करेगा ।

(ग) पट्टाधारक अपने खर्चे पर पर्यावरण की रक्षा के उपाय जैसे वृक्ष रोपण, खनन भूमि का सुधार प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा समय-समय पर केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा विहित उपाय करेगा ।

(घ) पट्टाधारक इन नियमों के अन्तर्गत ही दिये गए तरीके से भूमि मालिक को, विहित तारीख पर क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा।

12. भारत के मुख्य खान निरीक्षक को नोटिस :-

यदि किसी समय भूमिगत उत्खनन किया जाए अथवा खान में कर्मचारियों की सं० 50 से अधिक हो अथवा खदान की गहराई किसी स्थान पर 6 मी. से अधिक हो अथवा किसी समय खदान में विस्फोटक का प्रयोग किया जा रहा हो तो व्यक्तियों की संख्या खदान की अधिकतम गहराई उपयोग किए गए विस्फोटक तथा खदान का स्थान खान के स्वामित्व के साथ-साथ स्वामी के पता की विस्तृत विवरणी भारत के (खान सुरक्षा महानिदेशक) पो. ओ.-धनबाद, झारखण्ड को भेजी जाएगी ।

13. अपने अधिकार को किसी को देने अथवा हस्तान्तरण करने की स्वतंत्रता :-

पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक 1000 रु० शुल्क का भुगतान करने पर समाहर्ता अथवा किसी प्रदान करने वाले प्राधिकारी की लिखित पूर्ण स्वीकृति पर किसी व्यक्ति को पट्टा का स्वामित्व अथवा हित बिक्री द्वारा दे सकता है अथवा स्थांतरित कर सकता है। पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक किसी न्यायालय की राजस्व पदाधिकारी के आदेश के अनुपालन में इस पट्टा अथवा किसी अधिकार, स्वामित्व अथवा हित को किसी को देने अथवा बेचने की अनुमति नहीं देगा बशर्ते कि इस देने अथवा हस्तांतरण करने को इसको पूर्ण होने के तीन महीने के भीतर निंबधित करा लेना होगा। पट्टाधारक हालांकि पट्टा के अधिकार, स्वामित्व तथा हित के किराए पर नहीं देगा।

14. किसी ट्रस्ट निगम अथवा फर्म के व्यक्तियों द्वारा वित्तपोषित :-

किसी ट्रस्ट निगम अथवा फर्म के व्यक्तियों द्वारा वित्तपोषित अथवा नियंत्रित नहीं किया जाएगा। समाहर्त्ता अथवा किसी अन्य प्रदान करने वाले प्राधिकारी की लिखित सहमति के बिना किसी ट्रस्ट, निगम अथवा फर्म के व्यक्ति द्वारा नियंत्रित के साथ पट्टाधारक एकाधिकार पट्टाधारक ऐसी कोई

भी व्यवस्था अथवा समझौता अथवा संविदा नहीं करेंगे जिसके द्वारा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित किया जाएगा अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी ट्रस्ट के लाभ के लिए अथवा किसी व्यक्ति ट्रस्ट के नियंत्रणाधीन हो जाए जब तक कि समाहर्त्ता अथवा कोई अन्य प्रदान करने वाले प्राधिकारी ऐसी व्यवस्था अथवा समझौता अथवा संविदा करने के पूर्व लिखित संस्वीकृति न दे दें। जैसे कि उपर लिखा गया है (पूर्ववत संस्वीकृति के साथ की गई) कोई व्यवस्था, समझौता अथवा संविदा में एक शर्त अन्य पार्टियों पर बाध्यकारी होगा कि आपातकाल की स्थिति में जिसके एक मात्र निर्धारक भारत के राष्ट्रपति होंगे समाहर्त्ता अथवा किसी प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से यदि परिसमाप्त करना वांछित हो तो उसी अनुरूप पट्टा धारक/एकाधिक पट्टाधारक द्वारा ऐसी अधियाचना करने पर उसे परिसमाप्त कर दिया जाएगा ।

15. पट्टाधारक सुरक्षित जमा के अतिरिक्त कोई अन्य आवश्यक राशि को जमा करेगा :-

जब कभी पट्टाधारक सुरक्षित जमाराशि रु०..... अथवा उसके किसी अंश को अथवा इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि को समाहर्त्ता नीचे उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जप्त अथवा खर्च करते है तो पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक समाहर्त्ता को ऐसी अतिरिक्त राशि जमा करेंगे जो राशि के अविनियुक्त भाग के साथ मिलकर समाहर्त्ता या स्वीकृति पदाधिकारी के पास जमा राशि ..... हो जाएगा ।

16. खनन पट्टा की परिसमाप्ति के पश्चात् खान को सही स्थिति में राज्य सरकार को वापस सौपना :-

खनन पट्टा के समाप्त होने अथवा जल्द समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में अथवा किसी अन्य व्यक्ति को इसका नवीकरण कर दिए जाने की स्थिति में पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक, सभी खान, गढढ़े, शॉफ्ट, ढलान, बहाव, सतह, जलमार्ग, वायूमार्ग तथा वर्तमान में अस्तित्व अन्य कार्य तथा इसके बाद भूमि के अन्दर गाड़े जाने वाले अथवा समाहर्त्ता की संस्वीकृति द्वारा त्याग दिए गए भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के भीतर अन्य सामग्रियाँ समाहर्त्ता को सौंप देगा तथा सभी इंजन, मशीनरी, संयंत्र भवन, संरचनाएँ, अन्य कार्य तथा सुविधाएँ जो उक्त पट्टा की शर्तों के प्रारंभ होने के समय उक्त भूमि के उपर अथवा भूमिगत लागू थी, इन्हें सामान्य एवं उत्कृष्ट तरीके से कारगर रूप में सौंपेगा तथा ऐसी सभी मशीने जो भूमिगत लगाई गई है, उन्हें अब तक समाहर्त्ता अव्यवहृत घोषित न कर दें तब तक बिना खान को क्षति पहुँचाए अथवा भूमिगत कार्य को नुकसान पहुँचाए, वह नहीं निकाल सकता है तथा पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक भूमि के उपर बनाए गए भवनों, ईंट संरचनाओं तथा खड़ा किए गए पत्थरों को अच्छी तरह से मरम्मत करा कर तथा कारगर तरीके से उक्त खान में उस खनिज का कार्य करने की दृष्टि से सुव्यवस्थित रखेगा ।

17. पूर्व क्रय का अधिकार :-

(क) उक्त खनन पट्टा की अवधि के दौरान सभी समय में तथा समय पर समाहर्ता को अथवा इनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, पट्टाधारक को हस्तांतरित भूमि अथवा पट्टाधारक नियंत्रणाधीन जहाँ भी भूमि हो, उस भूमि पर पड़े हुए उक्त खनिज तथा उसके सभी उत्पादों को (पट्टाधारक को लिखित नोटिस देकर) को पूर्वक्रय का अधिकार होगा तथा पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक जितना जल्दी संभव हो सके, समाहर्ता अथवा ऐसे किन्ही प्राधिकारी को जिन्हें इन प्रावधानों के अन्तर्गत शक्ति प्रदत्त है, सभी खनिज अथवा उनके उत्पादों को आपूर्ति करेंगे एवं यह आपूर्ति नोटिस में दिए गए तरीके से, जिस भी स्थान में

वांछित हो एवं जिस समय पर वांछित हो आपूर्ति करेंगे । पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक समाहर्ता को ऐसे खनिजों के संबंध में किसी तीसरी पार्टी के दावा के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करेंगे।

(ख) समाहर्त्ता अथवा इस बारे में समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी को प्रदत्त पूर्वक्रय के अधिकार का प्रयोग करने पर, लिया गया खनिज अथवा उसके उत्पाद का मूल्य बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित होगा जो पूर्वक्रय के समय चल रहा होगा। वशर्ते कि पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक समाहर्ता को इस मूल्य को निर्धारित करने में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से समाहर्त्ता को गोपनीय सूचनाएँ जैसे खनिज की मात्रा का विवरणी, उक्त खनिज तथा उसके उत्पाद का मूल्य जो अन्य ग्राहक को बेचे गए है तथा ढुलाई के लिए भाड़े से संबंधित आँकड़े उपलब्ध कराएगा तथा समाहर्त्ता जैसा पदाधिकारी को निर्दिष्ट करें, वैसें पदाधिकारी को वैसे खनिज अथवा उत्पाद की बिक्री तथा भाड़ा के लिए अधिकार-पत्र संविदा तथ्य ठेकों की मूल तथा प्रमाणिक प्रतियाँ समर्पित करेगा। यदि समाहर्ता तथा पट्टाधारकों के बीच सामान्य बाजार मूल्य को लेकर मंतव्य नहीं है तो यह मामला प्रमण्डलीय आयुक्त को सौंपा जाएगा ताकि उनका आदेश अन्तिम होगा।

(ग) इस उपबंध में चाहे कुछ भी विपरीत हो पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक, अपने जिला के भीतर सरकारी विभाग द्वारा अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने हेतु वांछित खनिज, स्थानीय प्रचलित बाजार दर 5 प्रतिशत कम की दर पर आपूर्ति करेंगे ।

18. युद्ध अथवा राष्ट्रीय आपातकाल के समय कार्यवाही :-

युद्ध अथवा राष्ट्रीय आपातकाल के समय होने की स्थिति में (इस होने की स्थिति के एक मात्र निर्णायक भारत के राष्ट्रपति होंगे तथा इसके साक्ष्य के रूप में एक अधिसूचना निर्गत की जायेगी) राज्य सरकार को समय-समय पर खनन पट्टा की सभी अवधियों में पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक के उक्त भूमि के संबंध में कार्य संयंत्र मशीनरी तथा परिसर का नियंत्रण तथा कब्जा प्राप्त करने का अधिकार पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक को लिखित सूचना देकर होगा और इस खनन कार्यों के निष्पादन संयंत्र परिसर तथा खनिजों के उपयोग के संदर्भ में राज्य के सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे । वशर्ते कि इस उपबंध के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग से यदि पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक को कोई क्षति का निर्धारण किया जायेगा तथा वशर्ते कि ऐसी शक्तियों के प्रयोग से प्रदान किए गए पट्टा के शर्तों की परिसमाप्ति नहीं होगी अथवा ऐसे शर्त तथा प्रावधान इन उपबंधों पर अन्य कोई प्रभाव डालने के लिए जितना आवश्यक है उससे अधिक प्रभावित नहीं करेंगे ।

19. खनन पट्टा में चाहे कुछ भी अन्तर्विष्ट हो यदि पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक, समाहर्ता अथवा उस उद्देश्य के लिए समाहर्त्ता द्वारा नियुक्त किसी पदाधिकारी द्वारा उस आशय का एक लिखित सूचना प्राप्त करने पर, कि वह प्लान में वर्णित भूमि पर पट्टाधारक/पट्टाधारकों द्वारा खनन कार्यकलाप से भू-स्खलन का खतरा है तथा उन्हें इस कार्यकलाप के लिए रोके जाने की आवश्यकता है तो ऐसी वर्णित क्षेत्र में कार्य रोके जाने के लिए पट्टाधारक/ एकाधिक पट्टाधारक कोई क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करेंगे ।

20. विस्फोटक सामग्रियों का भण्डारण तथा उपयोग -

किसी भी विस्फोटक सामग्री का भण्डारण तथा उपयोग भारतीय विस्फोटक सामग्री अधिनियम, धातुमय खान, नियामक जो वर्तमान में प्रभावी है, के प्रावधानों तथा खान निरीक्षक के विधि सम्मत दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक इस बात के जिम्मेवार होंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि खान के लिए जो विस्फोटक सामग्रियाँ अपेक्षित है उनकी चोरी न हो अथवा दुर्व्यवहार न हो अथवा खनन क्षेत्र के भीतर अथवा बाहर उसका उपयोग उन उद्देश्यों के लिए न किया जाये जो खनन कार्य से संबन्धित न हो ।

21. सीमांकन विवाद :-

रास्ते को लेकर अथवा पट्टा के शर्तों के अनुरूप किसी संरचना को लेकर पट्टाधारक एकाधिक पट्टाधारक तथा उसके नजदीक के किसी खण्ड में पूर्व से प्रदत्त उसी प्रकार के खनन पट्टा या उसके बाद पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक, समाहर्त्ता के द्वारा निर्णय लेने के लिए विवाद को उपस्थापित करने के लिए बाध्य होगा। उक्त पदाधिकारी के किसी निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील की जा सकेगी तथा प्रमंडलीय आयुक्त का निर्णय पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक के लिए अंतिम तथा मान्य होगा ।

22. विदेशी नागरिकों का नियोजन :-

पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक बिना समाहर्त्ता के लिखित स्वीकृति के खनन क्षेत्र में अथवा संबंधित क्षेत्र में कार्य के लिये किसी भी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक नही है नियोजित नही करेंगे ।

23. नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना :-

पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक सरकार के सभी वर्त्तमान कानून तथा वैसे सभी कानून, नियम तथा नियामक जो खान तथा खनिजों के क्रियाकलापों के लिए समय पर लागू किये जाते है, तथा नागरिक अथवा पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक के कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सुविधाओं को प्रभावित करने के मामलों का पूरा अनुपालन करेंगे। किसी गैर कानूनी अथवा खान से संबंधित किसी अनियमित कार्य के संबंध में, इस उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा नोटिस दिए जाने पर पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक अथवा उनके कर्मचारीगण ऐसे गैर कानूनी अथवा अवैध कर्यों से होने वाली सभी क्षति के लिए राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे।

24. यदि पट्टाधारक सक्षम पदाधिकारी अथवा समाहर्त्ता की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना खान अथवा खादान में लगातार 1 वर्ष की अवधि तक कोई कार्य नहीं करता है तो उसके पट्टा को रद्द किया जा सकता है । परन्तु यह कि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई हों जो नियंत्रण से बाहर है, उन परिस्थितियों में पट्टाधारक को खान अथवा खदान में कार्य करना संभव न हो तो खनन पट्टा को रद्द नहीं किया जायेगा ।

25. यदि पट्टाधारक अपने पट्टा क्षेत्र के किसी भाग में लगातार 6 माह की अवधि तक कोई कार्य नहीं करता है, जिसके एकमात्र निर्णायक समाहर्त्ता होंगे, समाहर्ता को उस क्षेत्र में पट्टा को परिसमाप्त करने तथा पुनः प्रवेश करने की शक्ति होगी वशर्ते कि पट्टाधारक को उसके लिए कारण पृच्छा का समुचित अवसर दिया जायेगा ।

26. यदि पट्टाधारक पट्टा क्षेत्र में लगातार 6 माह की अवधि से ज्यादा समय तक 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में काम नहीं करता है तो समाहर्त्ता के खनन पट्टाक्षेत्र के 75 प्रतिशत क्षेत्र में पुनः प्रवेश की शक्ति होगी बशर्ते कि पट्टाधारक के लिये छोड़ा हुआ क्षेत्र एक समेकित खण्ड होगा । जिसमें उसके द्वारा कार्य किया हुआ क्षेत्र भी शामिल होगा तथा पट्टा की मूल शर्तों को समाहर्त्ता का आदेश होने के पश्चात् उनके द्वारा पुनः प्रवेश की तारीख से संशोधित समझा जायेगा।

## भाग - VIII

राज्य सरकार का प्रतिज्ञा-पत्र -

1. पट्टाधारक अपने अधिकारों का शान्तिपूर्वक धारण तथा उपयोग कर सकते है :-

वैसे पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक जिन्होंने नियमों का अनुपालन किया है तथा लगान एंव स्वामिस्व का भुगतान करते है अथवा अनुपालन कर रहे है अथवा भुगतान कर रहें है, वे समाहर्ता अथवा किसी व्यक्ति द्वारा अपने अधिकार का किसी दावा के द्वारा किसी अवैध व्यवधान के बिना, खनन पट्टा को अवधि में हस्तांतरित परिसर को धारण कर सकेंगे एवं अपने सारे अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे।

2. यदि इस अनुसूची के भाग-7 के उपबंध 4 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई पट्टाधारक/ एकाधिक पट्टाधारक उक्त भूमि के किसी भाग के लिये उसके स्वामी को प्रस्तावित खनन कार्य से होने वाली किसी क्षति या दुर्घटना के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान करने का प्रस्ताव देगा तथा वह स्वामी समाहर्त्ता की अधिकार एवं शक्ति तथा पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक को हस्तांतरित शक्ति के प्रयोग करने के क्रम में अपनी सहमति नहीं देगा तब पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक मामले की सूचना समाहर्त्ता को देगा तथा क्षतिपूर्ति के रूप में निर्धारित राशि को जमा करेगा तथा यदि समाहर्त्ता इस तथ्य से संतुष्ट है कि निर्धारित राशि सही है अथवा समाहर्त्ता बढ़ी हुई राशि के पट्टाधारक द्वारा भुगतान करने पर खनन कार्य के लिये आवश्यक कार्यकलाप करने के लिए पट्टाधारक को अनुमति देने के लिये स्वामी को आदेश देंगे। क्षतिपूर्ति की राशि के निर्धारण के समाहर्त्ता भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के सिद्धान्तों से मार्गदर्शित होंगे ।

3. नवीकरण करना :-

यदि पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक हस्तांतरित परिसर अथवा उसके किसी भाग अथवा एकाधिक भाग को अगली अवधि (मूल पट्टा में वर्णित अवधि से अधिक नहीं) के लिए, प्रदान की गई अवधि की समाप्ति के पश्चात् नवीकरण कराने के इच्छुक होंगे तथा अपनी-अपनी इच्छा के संबंध में चल रहे अपने खनन पट्टा की अवधि की समाप्ति के कैलेण्डर वर्ष के 6 माह पूर्व यदि समाहर्त्ता को लिखित सूचना देंगे तथा उसके लिये अन्तर्विष्ट विभिन्न प्रतिज्ञा पत्रों तथा अनुबंधों का अनुपालन करेंगे अथवा उनकी ओर से अनुपालन किया जायेगा, तब खनन पट्टा की अवधि समाप्ति के पश्चात् पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक के कार्यों से संतुष्ट होने की स्थिति में, समाहर्त्ता उसके निवेदन तथा उसके व्यय पर, जैसा वे इस समय उचित समझेंगे, उचित दर स्वामिस्व तथा शर्त एवं प्रतिज्ञा-पत्र एवं अनुबंध के आधार पर अगली अवधि (मूल पट्टा में वर्णित अवधि से अधिक नहीं) के लिए पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक और यदि आवश्यक हो तो उसके किसी सहयोग को एक नवीकृत पट्टा प्रदान करेंगे ।

4. पट्टा क्षेत्र के किसी भाग की परिसमाप्ति, प्रत्यर्पण अथवा परित्याग की स्वतंत्रता :-

पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक समाहर्त्ता को 6 कैलेण्डर मास से कम नहीं के अवधि के भीतर लिखित सूचना देकर पट्टे की परिसमर्तित करा सकते है वशर्ते कि ऐसी सूचना की अवधि समाप्त होने पर, पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक समाहर्त्ता अथवा किसी अन्य व्यक्तियों को इस पट्टा अन्तर्गत सभी बकाये एवं लगान का भुगतान कर दें तथा पट्टा के अन्तर्गत सभी व्यवस्थाओं को समाहर्त्ता को सौंप दें तो यह वर्त्तमान पट्टा तथा उसकी शर्ते तथा पट्टाधारक को प्रदत्त सभी स्वतंत्रताएँ, शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेंगे तथा वर्तमान पट्टा में अन्तर्विष्ट किसी भी प्रतिज्ञा-पत्र अथवा अनुबंध के किसी अधिकार अथवा सुधार अथवा भंग से बिना किसी पूर्वाग्रह के परिसमाप्त हो जायेगा ।

5. सुरक्षित जमा राशि की वापसी पट्टा की परिसमाप्ति के आदि अथवा इसके नवीकरण किए जाने के बाद 12 कैलेण्डर माह के भीतर जिस तारीख का समाहर्त्ता चयन करे इस तारीख को इस पट्टा के अन्तर्गत जो सुरक्षित जमा राशि समाहर्त्ता के पास जमा है तथा उस पट्टा में वर्णित उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त नहीं होने है उसे पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक को वापस लौटा दिया जाएगा तथा सुरक्षित जमा राशि पर कोई सूद नहीं लगेगा ।

## भाग - IX

सामान्य प्रावधान -

1. किसी शर्त का भंग होने :-

उस भाग के उपबंध - 2 तथा 3 में वर्णित पट्टा की किन्ही शर्तों के भंग होने कि स्थिति में समाहर्त्ता, उपबंध - 2 भाग पाँच अन्तर्गत उल्लिखित वार्षिक नियत लगान की राशि का चार गुणा राशि के समतुल्य जो इससे अधिक नहीं होगा पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक अथवा उसके हस्तान्तरणकर्त्ता अथवा प्रतिनिधि को दिए जाने पर, उनसे दण्ड राशि वसूल सकते है।

2. जाँच में बाधा पहुँचाना यदि पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक भाग सात के उपबंध 12, 14 तथा 2 तथा भाग तीन, उपबंध-1 में प्रवेश की शर्तों की जाँच अथवा परिसर में प्रवेश में बाधा पहुँचाते है अथवा अनुमति नहीं देते है तो समाहर्ता पट्टा को रद्द कर सकते है तथा सुरक्षित जमा राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से जप्त कर सकते है।

3. किसी अन्य शर्तों का उल्लंघन होने :-

यदि पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक अथवा उसके/ उनके हस्तान्तरणकर्त्ता अथवा प्रतिनिधि भाग सात के उपबंध-2, 3, 6, 10 तथा (भाग तीन के उपबंध 3) में वर्णित किन्ही शर्तों का भंग करते है तो ऐसे किसी मामले में समाहर्त्ता जैसा भी मामला हो, पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक हस्तान्तरणकर्त्ता अथवा प्रतिलिपि की एक लिखित नोटिस देंगे जिसके उसे नोटिस निर्गत होने की तीख के 30 दिनों के भीतर भंग को सुधार लेने के लिए कहेंगे और यदि समाहर्त्ता द्वारा निर्धारित भंग को सुधार नहीं किया गया जो समाहर्त्ता पट्टा को परिसमाप्त कर सकते है वशर्ते कि इन नियमों के अन्तर्गत अन्तर्विष्ट पट्टाधारक/एकाधिकार पट्टाधारक अथवा उसके/हस्तान्तरण ग्रहिता करेगा अथवा प्रतिनिधि समाहर्ता पर किसी अन्य अधिकार की संपुष्टि अथवा सुधार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकेंगे ।

**नोट**-यदि भाग-3 में उपबंध को छोड़ दिया गया है तो कोष्ठ के भीतर के खण्ड को छोड़ दिया जाएगा ।

4. पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक द्वारा प्रतिज्ञा-पत्र तथा अनुबंध-पत्र के शर्तों के भंग होने के मामले में जिसमें पूर्व नोटिस निर्गत किया गया है, समाहर्त्ता नोटिस के बदले भाग-5 के उपबंध-2 में वर्णित वार्षिक नियत लगान की राशि के अधिकतम चार गुणा का दण्ड लगा सकते हैं ।

5. "दैवी आपदा" के कारण पट्टा की शर्तों को पूरा करने में असफल रहना पट्टा की शर्तों को पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक के विरुद्ध कोई दावा नही होगा अथवा उस पट्टे की शर्तों का भंग तबतक नहीं माना जायेगा जब तक कि समाहर्त्ता के विचार में ऐसी असफलता दैवी आपदा के कारण हुआ हो और यदि इस दैवी आपदा के कारण पट्टा की किसी शर्तों को पूरा करने में विलम्ब हुआ है तो यह विलम्ब की अविध पट्टा में निर्धारित अवधि में जोड़ दी जायेगी। इस उपबंध में शब्द खण्ड फोर्स मज्योर का अर्थ है ईश्वर का कृत्य, विद्रोह, युद्ध, बलवा, सामुदायिक शोरगुल, हड़ताल, भूकंप, ज्वारभाटा, तूफान, ज्वारभाटा के कारण बाढ़ बिजली गिरना, बिस्फोट से आग लगना तथा अन्य अनहोनियाँ जिन्हें पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक सामान्य रूप से न तो रोक सकता है अथवा न तो नियंत्रित कर सकता है।

6. पट्टा के समाप्त हो जाने के पश्चात् पट्टाधारक को अपनी संपत्ति को हटाना :-

पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक पट्टा की शर्तों के अनुरूप देय लगान तथा स्वामिस्व भुगतान सर्वप्रथम करने के पश्चात् पट्टा के समाप्ति अथवा परिसमाप्ति कर दिये जाने के बाद शीघ्र अथवा उसके बाद 6 कैलेण्डर माह के भीतर उक्त सभी मशीनरी, संयंत्र, भवन अथवा अन्य कार्यों, सुविधाओं को जिन्हें उसने स्थापित किया है, बनाया है अथवा उक्त भूमि पर खड़ा किया है और जिसे उस अनुसूची के भाग 6 के उपबन्ध 18 के अन्तर्गत वह समाहर्त्ता को समर्पित करने के लिए बाध्य नहीं है तथा जिस समाहर्त्ता क्रय करने के इच्छुक नहीं है उसे अपने हित में ले सकता है तथा हटा सकता है।

7. पट्टा के परिसमाप्ति के 6 माह से अधिक अवधि के बाद संपत्तियों की जब्ती : -

यदि पट्टा के समाप्ति अथवा परिसमाप्ति के तीन कैलेण्डर माह के अंत तक तुरंत बाद अथवा उस तारीख जिस तारीख से उस अनुसूची के भाग-8 के उपबंध-4 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूमि को पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक को प्रत्यर्पण करना प्रभावी है यदि उस भूमि में बच रहे कोई मशीनरी, संयंत्र, भवन संरचना अथवा अन्य कार्य सुविधायें अथवा संपत्तियाँ बेच दी जायेगी अथवा जैसा समाहर्त्ता उचित समझे उस संबंध में कोई क्षतिपूर्ति अथवा विवरण पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक को दिये बिना उनका निपटान कर दिया जायगा।

8. पब्लिक डिमांड अधिनियम के अन्तर्गत राशि की वसूली :-

इस पट्टा के किसी प्रावधान द्वारा प्राधिकृत राशि की वसूली के अन्य तरीकों के पूर्वाग्रह के बिना पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक के विरुद्ध कोई भी बकाया राशि की वसूली बिहार पब्लिक डिमांड रिकवरी अधिनियम अथवा किसी संवैधानिक अधिनियम अथवा उस समय लागू किसी नियम के अन्तर्गत वसूली जायेगी।

9. स्टांप डयूटी के उद्देश्य से पूर्वानुमानित स्वामिस्व :-

स्टांप डयूटी के उद्देश्य से पूर्वानुमानित स्वामिस्व की राशि ..... रु० है ।

10. कार्यपालक के ऐजेंटों की जवाबदेही :-

पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक के कार्यपालक एजेंटों की जवाबदेही पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक के ही समान होगी ।

11. नोटिस तामिला :-

इस पट्टा की शर्तों के अनुरूप पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक को दिये जाने वाले नोटिस को लिखित रूप में उक्त भूमि पर निवास करने वाले व्यक्ति को जैसा पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक ऐसे नोटिस को प्राप्त करने के लिए नियुक्त करें, नोटिस देंगे तथा यदि यह नोटिस पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक को निबंधित डाक से दिया जा रहा है तो यह पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक द्वारा पट्टा में अभिलिखित पट्टे पर पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक को भेजा जायेगा अथवा भारत में किसी ऐसे पता पर भेजा जायेगा जो पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक समय-समय पर समाहर्ता को अथवा इस बारे में समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को लिखित रूप से ऐसा नोटिस को प्राप्त करने के लिए नामित करेगा तथा ऐसे सभी नोटिस को पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक को समुचित एवं वैध रूप में तामिला किया हुआ माना जायेगा तथा इसके लिये वह उत्तरदायी होगा ।

निम्नलिखित तरीके से, दिन, माह तथा वर्ष में इस पट्टा के निष्पादन के साक्ष्य के रूप में लिखित ..... के द्वारा हस्ताक्षरित ।

राज्यपाल, झारखण्ड सरकार के लिए अथवा उनकी ओर से, पट्टाधारक/एकाधिक पट्टाधारक की उपस्थिति में, उसके लिए अथवा उसकी ओर से ..... की उपस्थिति में ।

**प्रपत्र एफ**

(देखें नियम 23)

लघु खनिजों के लिए खनन पट्टा के नवीनकरण हेतु आवेदन का प्रपत्र -

तारीख ..... दिन ..... 200

सेवा में,
समाहर्त्ता/

प्राप्त किया/हस्ताक्षर

तारीख .....

महाशय,

मैं/हम यह झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के अन्तर्गत खनन पट्टा प्रदान करने अथवा नवीकरण करने के लिए आवेदन देता हूँ/देते हैं।

..... रु० की राशि इस नियम को नियम 23 (2) (ए) के अन्तर्गत भुगतेय राशि शुल्क के रूप में इस आवेदन के साथ ..... (कोषागार का नाम अथवा भारतीय स्टैट बैंक की वह शाखा जो कोषागार से व्यवसाय कर रहा है) में जमा कर दिया गया है ।

वांछित विवरणी निम्नप्रकार से दी जा रही है।

1. आवेदक का नाम
2. आवेदक की राष्ट्रीयता
3. फर्म अथवा कम्पनी के निगमित दिए जाने हेतु निबंधन का स्थान
4. आवेदन का पेशा, फर्म अथवा कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति तथा व्यवसाय करने का स्थान
5. आवेदक, फर्म अथवा कम्पनी का पता।
6. खनिज अथवा एकाधिक खनिज जिनका आवेदक उत्खनन करना चाहता है
7. वह अवधि जिसे लिए नवीकरण वांछित है।
8. उस क्षेत्र का विवरण जिसके लिए नवीकरण वांछित है -
   (1) जिला
   (2) थाना
   (3) ग्राम
   (4) खेसरा सं./खाता नं.
   (5) कुल रकबा
9. क्या नवीकरण का आवेदन पट्टा क्षेत्र के पूर्ण अथवा आंशिक भाग के लिए गया है।
10. खनन पट्टा के नवीकरण के क्षेत्र के नक्शा की विवरणी जो स्पष्ट रूप से अंकित की गई है।
11. वह माध्यम जिसके द्वारा खनिज का उत्खनन किया जाएगा। जैसे हाथ के श्रम द्वारा अथवा यांत्रिक अथवा विद्युत् शक्ति से।
12. वह तरीके जिसके द्वारा उत्खनित खनिज का उपयोग किया जाएगा।
13. इन नियमों के अन्तर्गत विहित तरीके से आवेदन शुल्क के भुगतान का तरीका तथा विवरण।
14. कोई अन्य विवरण जो आवेदक देना चाहता है ।

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते है कि उपर्युक्त विवरण सत्य है एवं मैं/हम पट्टा प्रदान योजना किए जाने के पूर्व, जैसा आपके द्वारा वांछित हो, सही योजना तथा सुरक्षित जमा राशि आदि सहित, कोई भी अन्य विवरण उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूँ/हैं ।

आपका विश्वासी

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पदनाम

**प्रपत्र जी**

(देखें नियम 31)

खदान अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्रपत्र

सं. ..... तारीख

सेवा में,
सक्षम पदाधिकारी

महाशय,

मैं/हम झारखण्ड लघु खनिज रियायत नियम, 2004 के अन्तर्गत खदान अनुज्ञप्ति मुझे/हमें प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ/करते हैं।

इस आवेदन के साथ 2000 रु० का शुल्क जमा किया जाता है (चालान की प्रति संलग्न है)

निम्नलिखित विवरण संलग्न है -

1. खनन बकाया के भुगतान की पूर्णता प्रमाण-पत्र संलग्न है ।
2. जिस भूमि से खनिज का उत्खनन किया जाना है वह भूमि यदि रैयती भूमि है तो उस रैयत की लिखित सहमति ।
3. वह खनिज जिसका आवेदक उत्खनन करना चाहता है।
4. उस भूमि की विस्तृत विवरणी, जिस भूमि में खनिज का उत्खनन किया जाना है।
5. उत्खनन किए जाने वाले खनिज का परिमात्रा।
6. अवधि जब तक कि खनिज का उत्खनन किया जाएगा ।

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते है कि उपयुक्त विवरण सत्य है एवं आपके द्वारा जो भी अन्य विवरण वांछित होगा मैं उसे उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूँ/है, तथा मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि इन नियमों में निर्दिष्ट सभी शर्तों का तथा सक्षम पदाधिकारी द्वारा लागू किए गए कोई अन्य शर्तों का अनुपालन करूँगा/करेंगे ।

आपका विश्वासी

आवेदक का हस्ताक्षर एंव पदनाम

**प्रपत्र - एच**

(देखें नियम 31)

झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के अन्तर्गत लघु खनिज के लिए निर्गत किए जाने वाले अनुज्ञापत्र का प्रपत्र

अनुज्ञप्ति सं. ..... वर्ष - 200.....

अनुज्ञप्ति धारक का नाम तथा पता -

| होल का नाम, गाँव का नाम, खेसरा सं० | अनुज्ञप्ति समाप्त होने की तारीख | लघु खनिज का नाम तथा विवरण | वह उद्देश्य जिसके लिए खनिज का उपयोग किया जाएगा | गुणवत्ता सामग्री अथवा सामग्रियों की सं० | स्वाम्स्वि की दर | कुल भुगतान की गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

मुहर सक्षम पदाधिकारी

यह निर्गत अनुज्ञप्ति-पत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा ।

शर्त -

1. खनिजों को विहित अवधि के भीतर ही उत्खनन करना होगा ।
2. खदान की गहराई सतह से मीटर 10 से अधिक नहीं होगी । गड्ढे की गहराई सतह से 10 मीटर से अधिक नहीं होगी ।
3. अनुज्ञप्ति में कवर किए गए क्षेत्र में होने वाली क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा ।
4. जिन सक्षम अधिकारी का क्षेत्राधिकार है उस क्षेत्र में उन सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई पेड़ काटने की अनुमति नही दी जाएगी।
5. जन प्रतिबंधित तथा निषेध क्षेत्र में कोई भी सतह क्रिया कलाप नहीं किया जायेगा ।
6. सभी प्रकार की दुर्घटना की सूचना सक्षम पदाधिकारी को तत्काल दी जाएगी ।
7. पट्टे के अन्तर्गत पार्टियों तीसरी पार्टी के दावे के विरुद्ध क्षतिपूर्ति भुगतान के जिम्मेदार होंगे । राज्य सरकार ऐसे किसी दावे को किसी भी प्रकार पूरा करने के लिए जवाबदेह नहीं है ।
8. अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने के बाद छोड़ी गई सामग्रियों को सरकार द्वारा जप्त कर दिया जाएगा जो उसे सरकार की सम्पत्ति मानी जाएगी ।
9. पूर्व अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना इस अनुज्ञप्ति में दी गई सीमा से अधिक परिमात्रा में खनिज का उत्खनन नही किया जाएगा, अथवा अनुज्ञप्ति धारक पर झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम 54 के अन्तर्गत कारवाई की जाएगी ।
10. विहित प्रपत्र में उत्खनिज तथा स्थानान्तरण खनिज लेखा का उचित संधारण किया जाएगा तथा जिस माह में उत्खनन किया जा रहा है उसके अगले माह के भीतर एक मासिक रिर्टन समर्पित किया जाएगा।

11. क्षेत्र से प्रेषण किए अथवा बिक्री किए जाने वाले खनिजों के लिए विहित प्रपत्र में पक्का चालान निर्गत किया जाएगा।

**नोट** - उपर्युक्त किसी भी शर्त के भंग होने की स्थिति में, अनुज्ञप्ति रद्द किया जा सकता है, उक्त खनिज जप्त किया जा सकता है तथा अन्य जो भी, कारवाई आवश्यक किया जा सकता हैं।

**झारखण्ड सरकार**

**खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड**

(प्रपत्र - जे)

स्वामिस्व अथवा अतिरिक्त स्वामिस्व के संग्रहण के लिए अनुबंध का नमूना प्रपत्र

देखें नियम 40 (1)

यह अनुबंधपत्र आज दिनांक ..... 200..... को राज्यपाल, झारखण्ड सरकार जिसमें उनके कार्यालय उत्तराधिकारी तथा प्रतिनिधि शामिल है एक पक्ष तथा ..... ..... इसके बाद उनके लिए 'ठेकेदार' शब्द खण्ड का प्रयोग किया जाएगा जिसमें जैसा संदर्भ हो, उनके उत्तराधिकारी, कार्यपालक प्रशासन प्रतिनिधि तथा अधिकृत प्रतिनिधि शामिल होंगे। द्वितीय पक्ष के बीच तैयार किया गया ।

जहाँ ठेकेदार को ग्राम ..... के निकट ..... रकबा/राजस्व सीमा ..... पंचायत ..... अंचल ..... जिला में स्थित खदान से खनिज के उत्खनन के लिए स्वामिस्व/अत्यधिक स्वामिस्व संग्रहण हेतु ..... खनिज के संग्रहण ठेका प्रदान करने के लिए बोली लगाया है तथा जहाँ उक्त बोली को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है ताकि ठेकेदार ने ठेके के प्रथम त्रैमासिक/वर्ष के लिए.....रु० का भुगतान किया है तथा शेष राशि ..... रु० को त्रैमासिक/वार्षिक किस्तों में भुगतान करने का वचन दिया है जो राज्य सरकार को इस शर्त के साथ कि कार्यरत खदान के अनुज्ञप्ति धारक अथवा अल्पावधि अनुज्ञप्ति धारक स्वामिस्व/अतिरिक्त स्वामिस्व का भुगतान झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 की प्रथम अनुसूची में वर्णित दर पर ठेकेदार खनन के अधिकार का प्रयोग कर सकते है ।

जो ठेकेदार ने आगे, उपर्युक्त त्रैमासिक वार्षिक किस्तों के साथ, ठेके में बढ़ी हुई अवधि के लिए दी गई तारीख के शेष अवधि तक के लिए झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 की प्रथम अनुसूची का संशोधन होने तक स्वामिस्व/अतिरिक्त स्वामिस्व की बढ़ी हुई दर के अनुपात में बढ़ी हुई ठेका राशि के भुगतान करने का भी वचन दिया है और जहाँ ठेकेदार ने उपर्युक्त जैसा कि वार्षिक किस्त जो भुगतान करना है, के साथ ठेके की शेष अवधि के लिए ऐसी बढ़ी हुई अवधि से जो झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 की प्रथम अनुसूची में संशोधन होने के कारण स्वामित्व/अत्यधिकस्वामिस्व की बढ़ी हुई दर के अनुपात के ठेके की बढ़ी हुई राशि के भुगतान का भी वचन दिया है और जहाँ ठेकेदार ने ..... राशि सुरक्षित जमा राशि के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिज्ञा के पूर्ण होने के लिए जमा किया है -

अब निम्न प्रकार से ये तथ्य साक्ष्य होंगे -

1. राज्य सरकार एतद् द्वारा ठेकेदार, पट्टाधारक अथवा खदान अनुज्ञप्ति धारक अथवा अल्पावधि अनुज्ञप्ति धारक अथवा कोई व्यक्ति जो ..... (खनिज का नाम) की ढुलाई कर रहा है जो खनिज पट्टा के अन्तर्गत खदानों से उत्खनित है, से स्वामिस्व/ अतिरिक्त स्वामिस्व संग्रह करने के लिए प्राधिकृत करते है। यह स्वामिस्व/अतरिक्ति स्वामिस्व ..... ..... (खनिज का नाम) पर झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 की प्रथम अनुसूची में वर्णित दो पद अनुबंध के तहत क्षेत्र से प्रेषण किए जाने पर लिया जाएगा ।

2. यह अनुबंध ..... से प्रारंभ होकर ..... तारीख तक की अवधि के लिए प्रभावी होगा ।

3. ठेकेदार स्वामिस्व/अतिरिक्त स्वामिस्व को खदान के मुहाने के पास संग्रह करेगें और यदि स्वामिस्व खदान के मुहाने के पास संग्रह नहीं किया जाता है तो जिला खनन पदाधिकारी समाहर्त्ता अथवा सक्षम पदाधिकारी की पूर्व लिखित अनुमोदन के पश्चात् खदान के पास किसी निर्धारित स्थान में किया जाएगा ।

4. ठेकेदार उक्त खनिज के प्रत्येक प्रेषक के लिए संग्रह किए गए स्वामिस्व/अतिरिक्त स्वामिस्व की राशि के लिए मुद्रित रसीदें निर्गत करेगा तथा रसीद पर प्रेषण की तारीख तथा समय अंकित करेगा तथा अपने पास रसीद के अधकट्टी रखेगा। समाहर्त्ता उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार वाले सक्षम पदाधिकारी द्वारा मांगे जाने पर जाँच हेतु वह ठेकेदार इन अधकट्टियों को उपस्थापित करेगा ।

5. राज्य सरकार के विभाग द्वारा उपर्युक्त वर्णित खनिजों के स्वयं उपयोग किए जाने के मामले में तथा ठेकेदार की एजेन्सी के माध्यम से नहीं तब यदि पट्टा अथवा अनुज्ञप्ति क्षेत्र से अलग किसी कार्यकारी खदान से खनिज का उत्खनन हो रहा हो तो ऐसे किसी विभाग से ठेकेदार स्वामिस्व अत्यधिक स्वामिस्व नहीं लेगा ।

6. ठेकेदार ठेका को पूर्ण रूप से किसी को हस्तांतरित नहीं करेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से ठेके के अन्तर्गत कोई ठेका नहीं देगा ।

7. ठेकेदार को झारखण्ड राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित दर पर स्वामिस्व/अतिरिक्त स्वामिस्व वसूलने के अतिरिक्त ठेका क्षेत्र में खदान के संदर्भ में और कोई अन्य अधिकार नहीं होगा ।

8. ठेकेदार झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार तथा विभाग के किसी पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश तथा निर्देशों का अनुपालन करेगा तथा यहाँ पर जो वर्णित नहीं है, स्वामिस्व/अतिरिक्त स्वामिस्व संग्रह ठेकों के संदर्भ में झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 की सभी शर्तों का पालन करेगा ।

9. स्वामिस्व/अतिरिक्त स्वामिस्व उन लघु खनिज के लिए संग्रह किया जाएगा जो ठेका अवधि में उत्खनन तथा प्रेषण किए गए है तथा ठेका क्षेत्र के बाहर से लाए गए लघु खनिजों के लिए नहीं लिया जाएगा ।

10. ठेके की शर्तों के समुचित अनुपालन में त्रुटि होने पर सुरक्षित जमा राशि को जप्त कर लिए जाने के साथ 15 दिन की सूचना देकर सक्षम पदाधिकारी द्वारा ठेका को समाप्त किया जा सकता है अथवा अग्रिम के रूप में भुगतान की गई किस्तों को भी जप्त किया जा सकता है अथवा वैकल्पिक रूप से सुरक्षित जमा राशि से अधिक नहीं का दण्ड भी लगाया जा सकता है।

11. ठेकेदार स्वामिस्व/अतिरिक्त स्वामिस्व के संग्रह की व्यवस्था स्वयं करेगा तथा पट्टाधारक अथवा खदान धारक द्वारा ठेकेदार को स्वामिस्व/अतिरिक्त स्वामिस्व के भुगतान किए जाने से इनकार करता है तो इसमें राज्य सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होगी किन्तु इस संदर्भ में उसके द्वारा यदि कोई शिकायत की जाती है तो झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के तहत कारवाई करने पर विचार किया जा सकता है।

12. ठेकेदार ठेका में निर्धारित ठेका राशि के अनुरूप किस्तों का भुगतान करेगा तथा यदि निर्धारित तिथि तक किसी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो इसे भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा तथा 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से सूद देय होगा ।

13. ठेके को राज्य सरकार द्वारा जनहित में 15 दिन का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है ।

14. ठेके के समुचित अनुपालन के लिए सुरक्षित जमा राशि को ठेके के समाप्त होने के बाद अथवा जनहित में पहले ही समाप्त कर दिया जाने के बाद वापस लौटा दिया जाएगा।

उपर्युक्त के साक्ष्य के रूप में पार्टियों ने अपना हस्ताक्षर अंकित किया है ।

**झारखण्ड सरकार**

**खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड**

(प्रपत्र-एल)

स्वामिस्व के पुर्नमूल्यांकन हेतु नोटिस का नमूना प्रपत्र

(देखे नियम 44(1)

प्रेषक,

जिला/सहायक खनन पदाधिकारी

.....

.....

.....

सेवा में,

.....

.....

.....

विषय - ग्राम ..... अंचल ..... जिला .....

में ..... खनिज के लिए प्रदान किए गए खनन पट्टा के संदर्भ में स्वामिस्व

के पुर्नमूल्यांकन हेतु नोटिस ।

कृपया पत्र सं. ..... दिनांक का संदर्भ ले जिसे आपके उपर्युक्त खनन पट्टा के संबंध में ..... वर्ष के लिए स्वामिस्व के पुर्नमूल्यांकन हेतु लिखा गया था एवं आपके झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम 41 के अन्तर्गत सूचित किया गया था। अत: आपको सलाह दी जाती है कि आप कृपया .....200..... को निम्नांकित अभिलेखों के साथ कार्यालय में स्वयं उपस्थित हों ।

यदि आप उपस्थित होने तथा अभिलेखों का उपस्थापित करने में असफल रहते है तो झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के निमय 44 के अनुरूप आपकी अनुपस्थिति में मूल्यांकन किया जाएगा तथा यदि कोई शेष राशि पाई गई तो उसकी वसूली बिहार एण्ड उड़ीसा पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी अधिनियम, 1914 के तहत् वसूली की जाएगी तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के तहत् पट्टा अनुबंध के अनुरूप कारवाई की जाएगी ।

उपस्थापित किए जाने वाले अभिलेख -

1. उत्पादन पंजी
2. भंडारण पंजी

10. ठेके की शर्तों के समुचित अनुपालन में त्रुटि होने पर सुरक्षित जमा राशि को जप्त कर लिए जाने के साथ 15 दिन की सूचना देकर सक्षम पदाधिकारी द्वारा ठेका को समाप्त किया जा सकता है अथवा अग्रिम के रूप में भुगतान की गई किस्तों को भी जप्त किया जा सकता है अथवा वैकल्पिक रूप से सुरक्षित जमा राशि से अधिक नहीं का दण्ड भी लगाया जा सकता है।

11. ठेकेदार स्वामिस्व/अतिरिक्त स्वामिस्व के संग्रह की व्यवस्था स्वयं करेगा तथा पट्टाधारक अथवा खदान धारक द्वारा ठेकेदार को स्वामिस्व/अतिरिक्त स्वामिस्व के भुगतान किए जाने से इनकार करता है तो इसमें राज्य सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होगी किन्तु इस संदर्भ में उसके द्वारा यदि कोई शिकायत की जाती है तो झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के तहत कारवाई करने पर विचार किया जा सकता है।

12. ठेकेदार ठेका में निर्धारित ठेका राशि के अनुरूप किस्तों का भुगतान करेगा तथा यदि निर्धारित तिथि तक किसी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो इसे भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा तथा 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से सूद देय होगा ।

13. ठेके को राज्य सरकार द्वारा जनहित में 15 दिन का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है ।

14. ठेके के समुचित अनुपालन के लिए सुरक्षित जमा राशि को ठेके के समाप्त होने के बाद अथवा जनहित में पहले ही समाप्त कर दिया जाने के बाद वापस लौटा दिया जाएगा।

उपर्युक्त के साक्ष्य के रूप में पार्टियों ने अपना हस्ताक्षर अंकित किया है ।

**झारखण्ड सरकार**

**खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड**

(प्रपत्र-एल)

स्वामिस्व के पुर्नमूल्यांकन हेतु नोटिस का नमूना प्रपत्र

(देखे नियम 44(1)

प्रेषक,

जिला/सहायक खनन पदाधिकारी

.....

.....

.....

सेवा में,

.....

.....

.....

विषय - ग्राम ..... अंचल ..... जिला .....

में ..... खनिज के लिए प्रदान किए गए खनन पट्टा के संदर्भ में स्वामिस्व

के पुर्नमूल्यांकन हेतु नोटिस ।

कृपया पत्र सं. ..... दिनांक का संदर्भ ले जिसे आपके उपर्युक्त खनन पट्टा के संबंध में ..... वर्ष के लिए स्वामिस्व के पुर्नमूल्यांकन हेतु लिखा गया था एवं आपके झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम 41 के अन्तर्गत सूचित किया गया था। अत: आपको सलाह दी जाती है कि आप कृपया .....200..... को निम्नांकित अभिलेखों के साथ कार्यालय में स्वयं उपस्थित हों ।

यदि आप उपस्थित होने तथा अभिलेखों का उपस्थापित करने में असफल रहते है तो झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के निमय 44 के अनुरूप आपकी अनुपस्थिति में मूल्यांकन किया जाएगा तथा यदि कोई शेष राशि पाई गई तो उसकी वसूली बिहार एण्ड उड़ीसा पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी अधिनियम, 1914 के तहत् वसूली की जाएगी तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के तहत् पट्टा अनुबंध के अनुरूप कारवाई की जाएगी ।

उपस्थापित किए जाने वाले अभिलेख -

1. उत्पादन पंजी
2. भंडारण पंजी

3. परिवहन चालान
4. मापतौल चालान
5. परिवहन चालान
6. विपत्र पुस्त
7. श्रमिक भुगतान पंजी
8. रोकड़ पुस्त तथा खनन पट्टा से संबंधित अन्य अभिलेख
9. अन्य अभिलेख अथवा दस्तावेज जिन्हें उपस्थापित किया जाना वांछित है

जिला/सहायक खनन पदाधिकारी

**प्रपत्र एम**

[देखें नियम 48 (1)]

लघु खनिज के परिवहन चालान के लिए प्रपत्र

सं. ..... तारीख .....

1. पट्टाधारक/अनुज्ञप्तिधारक का नाम तथा पता
2. खदान पट्टा अनुज्ञप्ति की विस्तृत विवरणी
3. लघु खनिज का नाम .....
4. उन व्यक्तियों/ठेकेदारों के नाम तथा पते जिनको खनिजों को बेचना या आपूर्ति करना है।
5. परिमात्रा
6. ट्रक सं./आर.आर. सं./कैरियर सं.
7. यदि सड़क/नदी के द्वारा लघु खनिज का परिवहन करना है तो वाहक का नाम तथा पता।
8. खनिजों की आपूर्ति का स्थान .....
9. प्रेषण की तारीख तथा समय .....

जिला खनन पदाधिकारी
द्वारा अनुमोदन की मुहर

पट्टेधारी/अनुज्ञप्तिधारी
का हस्ताक्षर

**प्रपत्र - एन**

[(देखें नियम 48(2) तथा 67(6)]

पट्टाधारक/अनुज्ञप्तिधारक द्वारा संधारित की जाने वाली पंजियाँ

1. पट्टाधारक/अनुज्ञाप्तिधारक का नाम तथा पता
2. खदान पट्टा अनुज्ञप्ति की विस्तृत विवरणी
3. क्षेत्रफल
4. खनिज
5. खदान क्षेत्र का स्थान निर्धारण

| तारीख | प्रां. शेष | उत्खनित परिमाण | कुल | उन व्यक्तियों के नाम जिनको खनिज बेचा गया/प्रेषित किया गया | निर्गत किए गए चालानों की सं. | बेची गई अथवा प्रेषित की गई कुल परिमाण | दिन की समाप्ति पर भण्डार का परिमाण | स्वामिस्व की राशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

**प्रपत्र - एन**

[(देखें नियम 48(2) तथा 67(6)]

पट्टाधारक/अनुज्ञप्तिधारक द्वारा संधारित की जाने वाली पंजियाँ

1. पट्टाधारक/अनुज्ञाप्तिधारक का नाम तथा पता
2. खदान पट्टा अनुज्ञप्ति की विस्तृत विवरणी
3. क्षेत्रफल
4. खनिज
5. खदान क्षेत्र का स्थान निर्धारण

| तारीख | प्रां. शेष | उत्खनित परिमाण | कुल | उन व्यक्तियों के नाम जिनको खनिज बेचा गया/प्रेषित किया गया | निर्गत किए गए चालानों की सं. | बेची गई अथवा प्रेषित की गई कुल परिमाण | दिन की समाप्ति पर भण्डार का परिमाण | स्वामिस्व की राशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

**प्रपत्र-ओ**

(देखे नियम 55)

कार्यपालक दण्डाधिकारी के न्यायालय में

मैं ..... पिता ..... निवासी ..... ..... मोहल्ला ..... पो. ..... थाना ..... जिला का हूँ एवं एतद् द्वारा निम्न प्रकार से अभिपुष्टि तथा घोषणा करता हूँ कि -

1. मैं झारखण्ड सरकार भारत संघ के ..... विभाग का एक निबंधित ठेकेदार हूँ तथा मैंने ..... का संरचना कार्य निष्पादन करने का कार्य लिया है।

2. कि मैं उपर्युक्त कार्य के क्रम में निम्न परिमाण में खनिजों की आपूर्त्ति की है।

   (1) ..... बालू ..... तारीख ..... ..... को जो मेरे द्वारा ..... से (पट्टाधारक/अनुज्ञप्तिधारक/अन्य व्यक्ति का पूरा पता) खरीदा गया है ।

   (2) ..... पत्थर ..... तारीख को जो मेरे द्वारा ..... (पट्टाधारक/अनुज्ञप्तिधारक/अन्य व्यक्ति का पूरा पता) से खरीदा गया है ।

   (3) ..... खनिज ..... तारीख को जो मेरे द्वारा ..... (पट्टाधारक/अनुज्ञप्तिधारक/अन्य व्यक्ति का पूरा पता) से खरीदा गया है ।

3. कि उपर्युक्त कंडिका में वर्णित सामग्रियों को मेरे द्वारा विश्वास पाकर तथा इस तथ्यों की जाँच करके कि विक्रेता इस सामग्रियों की बिक्री के लिए प्राधिकृत है, विवरणी नीचे दी जा रही है -

   (1) विक्रेता का नाम एवं पता, यदि विक्रेता पट्टाधारक/अनुज्ञप्ति धारक है तो उस खान की विस्तृत विवरणी जिससे बिक्री की गई खनिज का उत्खनन किया गया है ..... ..... यदि विक्रेता अनुज्ञप्ति धारक / पट्टाधारक नही है तो अन्य व्यक्ति का नाम तथा पता जिसको क्रेता ने खरीदा है।

   (2) तारीख के साथ खरीदी गई सामग्री की मात्रा .....

4. कि विक्रेता द्वारा निर्गत किए गए प्रमाण-पत्र जिनके द्वारा आपूर्ति तथा मेरे द्वारा खपत की गई सामग्रियाँ जो क्रय की गई वह उसके साथ संलग्न है तथा मेरे विश्वास में सत्य है।

5. कि मेरी जानकारी में इस शपथ-पत्र के तथ्य सत्य है यदि खनिज के विक्रेता द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में ठेकेदार प्रमाण-पत्र समर्पित करता है तो यह कंडिका प्रभावी नहीं होगा ।

**प्रपत्र-पी**

(देखे नियम 55)

नियम 55 के अन्तर्गत प्रपत्र पी-प्रमाण-पत्र का नमूना जो कार्यकारी ठेकेदार विक्रेता से प्राप्त करेगा। जिसे वह इस शपथ-पत्र विपत्र के साथ संलग्न करेगा।

1. विक्रेता का नाम और पता यदि विक्रेता पट्टाधारक/अनुज्ञप्तिधारक है तो उस खान की विस्तृत विवरणी जिससे संबंधित खनिज का उत्खनन हुआ है।
2. यदि विक्रेता अनुज्ञप्ति धारक/पट्टाधारक नहीं है जो अन्य व्यक्ति का नाम तथा पता जिससे उक्त विक्रेता ने लघु खनिज खरीदा है तथा इसके बाद कार्यकारी ठेकेदार ने उससे खरीदा है, विक्रेता द्वारा ऐसी खरीद की तारीख के साथ ।
3. क्रेता/ठेकेदार का नाम और पता ।
4. तारीख के साथ क्रय किए गए खनिज का परिमाण-प्रमाणित किया जाता है कि मेरी जानकारी एवं विश्वास में उर्पयुक्त पार्टियाँ सही है ।

तारीख डीलर का हस्ताक्षर

**प्रपत्र-क्यू**

(प्रपत्र क्यू में अनुज्ञप्ति पत्र)

(देखे नियम 67)

श्री/श्रीमती ..... को लघु खनिज ..... को ..... ..... (स्थान का नाम) ..... थाना ..... जिला में भण्डारण करने के लिए स्वीकृति दी जानी है तथा वे जे.एम.एम.सी. रूल, 2004 के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे ।

यह अनुज्ञप्ति दिनांक.....तक वैध होगी

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

---

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 239/क--300+100--शनि मुण्डा ।